महानगर नई दिल्ली बुधवार 31 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (18 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

ऐतिहासिक विधेयक को मिली संसद की मंजूरी

तीन तलाक नाकबूल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

संसद ने मुसलिम महिलाओं को तीन तलाक देने की प्रथा पर रोक लगाने के प्रावधान वाले एक ऐतिहासिक विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी। विधेयक में तीन तलाक का अपराध सिद्ध होने पर संबंधित पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

राज्यसभा

इससे पहले उच्च सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए प्रस्ताव को 84 के मुकाबले 100 मतों से खारिज कर दिया। विधेयक पर लाए गए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के एक संशोधन को सदन ने 84 के मुकाबले 100 मतों से खारिज कर दिया। विधेयक पारित होने से पहले ही जद (यू) एवं अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने इससे विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक प्रसिद्ध न्यायाधीश आमिर अली ने 1908 में एक किताब लिखी थी। इसके अनुसार तलाक ए बिद्दत का पैगंबर मोहम्मद ने भी विरोध किया है। प्रसाद ने कहा कि एक मुसलिम आइटी पेशेवर ने उनसे कहा कि तीन बेटियों के जन्म के बाद उसके पति ने उसे एसएमएस से तीन तलाक कह दिया है। उन्होंने कहा–एक कानून मंत्री के रूप में मैं उससे क्या कहता? क्या यह कहता कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मढ़वा कर रख लो। अदालत में अवमानना का मुकदमा करो। पुलिस कहती है कि हमें ऐसे मामलों में कानून में अधिक अधिकार चाहिए।

उन्होंने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा लाए गए विधेयक का जिक्र करते हुए कहा– मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का कानून मंत्री नहीं। यदि मंशा साफ हो तो लोग बदलाव की पहल का बाकी पेज 8 पर

न्याय और सम्मान से जीने का हक मिला मुसलिम महिलाओं को : मोदी

प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक कदम करार दिया

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

तीन तलाक निषेध संबंधी विधेयक को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि इससे करोड़ों मुसलिम माताओं–बहनों को सम्मान से जीने का हक और तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुसलिम महिलाओं को न्याय मिला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज करोड़ों मुसलिम माताओं–बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है।' उन्होंने कहा कि सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुसलिम महिलाओं को आज न्याय मिला है। इस ऐतिहासिक मौके पर वे सभी सांसदों का आभार व्यक्त करते हैं। मोदी ने कहा कि तीन तलाक विधेयक का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, 'तुष्टिकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं–बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुसलिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है।'

84 के मुकाबले 99 मतों से पारित किया *विधेयक* को राज्यसभा ने यह विधेयक लोकसभा में पिछले हफ्ते ही पारित हुआ था।

03 साल तक की जेल का प्रावधान *तीन तलाक* का अपराध सिद्ध होने पर संबंधित पति को

मतदान के दौरान विपक्ष के 20 सांसद गैरहाजिर

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

विवादास्पद तीन तलाक विधेयक पर राज्यसभा में मतदान के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पांच–पांच सांसदों सहित विपक्ष के 20 सांसद अनुपस्थित रहे। यह जानकारी सूत्रों ने दी।

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों को अब पार्टी को कारण बताना पड़ेगा क्योंकि विधेयक पर वोटिंग के दौरान सभी सांसदों की सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने विप जारी किया था। सत्तारूढ़ दल ने 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019' को राज्यसभा में 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित करा लिया। सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के सदस्य अगर सदन में मौजूद होते तो वह विधेयक को प्रवर समिति के पास भिजवा सकता था।

कांग्रेस के जो पांच सदस्य गैरहाजिर रहे उनमें बाकी पेज 8 पर

चंदौली में आग के हवाले किए गए किशोर की मौत

चंदौली (उ.प्र.), 30 जुलाई (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में कथित तौर पर 'जय श्रीराम' नहीं बोलने पर आग के हवाले किए गए 17 वर्षीय किशोर की मंगलवार को मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया है। पूरी खबर पेज 17

राजीव कुमार नए वित्त सचिव

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार को वित्त सचिव की पदवी दी गई है। सुभाष चंद्र गर्ग के स्थान पर कुमार को वित्त सचिव बनाया गया। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कुमार को नया वित्त सचिव मनोनीत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी हैं।

अवनी लवासा का तबादला

जम्मू–कश्मीर में लेह की उपायुक्त अवनी लवासा सहित 20 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। पूरी खबर पेज 8

जौहर विश्वविद्यालय पर छापे

लखनऊ, 30 जुलाई (भाषा)

उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को रामपुर के मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय पर छापा मार एक मदरसे से बाकी पेज 8 पर

राजौरी में नियंत्रण रेखा पर जवान शहीद

जम्मू, 30 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की और गोले दागे।

अधिकारियों ने कहा कि भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया जिससे पाकिस्तान सेना की चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा और उसके सैनिक हताहत हुए। उन्होंने कहा कि इसी गोलीबारी में नायक कृष्ण लाल (34) शहीद हो गए। वहीं अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश–ए–मोहम्मद के एक स्वयंभू 'कमांडर' समेत दो आतंकवादी मारे गए। स्वयंभू कमांडर फैयाज पंजू पुलवामा आतंकी हमले का सह–षडयंत्रकर्ता था। पुलिस ने यह जानकारी दी।

सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, 'पाकिस्तानी सेना ने राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के संघर्षविराम का उल्लंघन किया।' उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया। अधिकारी ने कहा, 'हमारे जवानों ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों को भारी नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए।' आनंद ने लाल को 'बहादुर, बहुत उत्साहित और ईमानदार' सैनिक बताया।

पीआरओ ने कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति हमेशा आभारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लाल अखनूर जिले के घगरियाल गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी शशि देवी हैं। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने उत्तरी कश्मीर के तंगहार क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम क्षेत्रों व गांवों पर भी गोलीबारी की। तीन दिन में यह संघर्षविराम उल्लंघन का तीसरा मामला है। सोमवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के मनकोटे और शाहपुर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के गोलीबारी की थी। पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में रविवार को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में दस दिन के बच्चे की मौत हो गई थी जबकि दो लोग घायल हुए थे।

दूसरी ओर अनंतनाग में एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'एक गोपनीय सूचना के आधार पर अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में हुई मुठभेड़ में बाकी पेज 8 पर

सुरक्षा बल के जवान *(फाइल फोटो)*

पाकिस्तानी सेना ने राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के संघर्षविराम का उल्लंघन किया। *अनंतनाग* में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश–ए–मोहम्मद के एक स्वयंभू 'कमांडर' समेत दो आतंकवादी मारे गए।

पीड़िता के घायल होने के मामले की जांच सीबीआइ को

जनसत्ता टीम/भाषा
नई दिल्ली/लखनऊ, 30 जुलाई।

उन्नाव बलात्कार कांड पीड़िता के कार दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी होने से कुछ दिन पहले ही उसके परिजनों ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखकर इस मामले के आरोपियों द्वारा कथित रूप से धमकी दिए जाने और उनसे अपनी जान को खतरे की आशंका व्यक्त की थी।

उधर, केंद्र ने उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता की सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी है। इस बीच, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता के चाचा को पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की पैरोल मंगलवार को मंजूर कर दी। पिछले रविवार को पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को ले जा रही कार को रायबरेली में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें पीड़ित की दो महिला रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। इस हादसे में बलात्कार पीड़िता और वकील बुरी तरह जख्मी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पीड़िता के परिजनों द्वारा हिंदी में लिखा गया यह पत्र प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। प्रधान न्यायाधीश ने सेक्रेटरी जनरल को इस पत्र के आधार पर एक नोट तैयार करके पेश करने का आदेश दिया है। बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के दो सदस्यों द्वारा लिखा गया यह पत्र 12 जुलाई का है और इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य प्राधिकारियों को भेजा गया है।

प्रधान न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में 7–8 जुलाई की घटनाओं का जिक्र है, जिसमें भाजपा विधायक सेंगर से कथित रूप से संबंध रखने वाले कुछ लोगों ने पीड़ित के परिवार को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी।

इस बलात्कार कांड में उत्तर प्रदेश के बांगड़मउ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के चार बार के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी हैं और उन्हें पिछले बाकी पेज 8 पर

उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने प्रधान न्यायाधीश को लिखा था पत्र। *पत्र* में जताई थी जान को खतरे की आशंका। *पीड़िता* के चाचा को मिला एक दिन का पैरोल। *पीड़िता* की हालत नाजुक। *प्रदेश* भाजपा ने कहा कि आरोपी विधायक सेंगर बलात्कार का आरोप लगने के बाद ही पार्टी से निलंबित।

नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। *फोटो : अरुष चोपड़ा*

सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ को सौंपने पर करेगा विचार

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह निर्णय करेगा कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को निर्णय के लिए संविधान पीठ को सौंपा जाए।

ईडब्लूएस 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं का मामला

न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई के पीठ ने टिप्पणी की कि समता की अवधारणा में आरक्षण एक अपवाद है और इसका उद्देश्य अवसर में समानता हासिल करना है।

पीठ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने संबंधी संविधान (103वां) संशोधन कानून, 2019 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में दलील दी गई है कि आरक्षण के लिए आर्थिक श्रेणी एकमात्र बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस से संजय सिंह का इस्तीफा, आज भाजपा में शामिल होंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

कांग्रेस नेता संजय सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वे बुधवार को भाजपा में शामिल होंगे।

अमेठी राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंह गांधी परिवार के करीबियों में शुमार किए जाते रहे हैं। लोकसभा के पिछले चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें सुल्तानपुर से अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। असम से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सिंह ने कांग्रेस व राज्यसभा से अपने इस्तीफे की जानकारी साझा करते हुए संवाददाताओं से कहा–आज के समय में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। अगर देश उनके साथ है तो मैं भी उनके साथ हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी भी अतीत में है, और उसे भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता।

उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस और राज्यसभा की सदस्यता बाकी पेज 8 पर

दरअसल

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, तटरक्षक की मदद ली जा रही खोजने में **तलाश जारी** आयकर विभाग ने कहा, कथित पत्र के तथ्य मेल नहीं खाते

कॉफी कैफे डे के संस्थापक व कृष्णा के दामाद सिद्धार्थ लापता

मंगलुरु (कर्नाटक), 30 जुलाई (भाषा)।

'कैफे कॉफी डे' के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ मंगलुरु जाने के दौरान रास्ते से लापता हो गए। पुलिस के अनुसार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद सिद्धार्थ को दक्षिण कन्नड़ जिले के कोटेपुरा इलाके में नेत्रावती नदी के पुल के पास सोमवार रात देखा गया था।

सिद्धार्थ का पता लगाने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), तटरक्षक, होम गार्ड, अग्निशमन विभाग और तटीय पुलिस की सेवा ली गई है। स्थानीय मछुआरे भी तलाश अभियान में शामिल हो गए हैं। सिद्धार्थ सोमवार की दोपहर बंगलुरु से हासन जिले के सक्लेशपुर के लिए निकले थे लेकिन अचानक उन्होंने अपने कार चालक से मंगलुरु चलने को कहा। नेत्रावती नदी पर बने पुल के पास वह कार बाकी पेज 8 पर

'मैं उद्यमी के तौर पर विफल रहा'

बंगलुरु, 30 जुलाई (भाषा)।

वीजी सिद्धार्थ

एसएम कृष्णा

कॉफी डे एंटरप्राइजेज के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ ने लापता होने से पहले कंपनी के कर्मचारियों और निदेशक मंडल को कथित तौर पर लिखे पत्र में कहा, 'मैं एक उद्यमी के तौर पर विफल रहा।' उन्होंने पत्र में लिखा, '37 साल बाद, कड़ी प्रतिबद्धता से लेकर कड़ी मेहनत तक के साथ, हमारी कंपनियों व सहायक कंपनियों में सीधे–सीधे 30,000 नौकरियों का सृजन करने के साथ ही प्रौद्योगिकी कंपनी जिसकी स्थापना के बाद से मैं बड़ा शेयरधारक रहा हूं। वहां 20,000 नौकरियां सृजित करने के बाद, मैं अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद बाकी पेज 8 पर

'काले धन की बात मानी थी सिद्धार्थ ने'

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

आयकर विभाग ने कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ के खिलाफ अपनी जांच के दौरान प्रताड़ित करने के आरोपों से मंगलवार को इनकार किया। आयकर विभाग ने कहा कि उसके पास उनके जो हस्ताक्षर उपलब्ध हैं, वह उस पत्र पर हस्ताक्षर से अलग हैं जिसे सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है। आयकर विभाग ने कहा कि उद्योगपति ने अपने और अपने प्रतिष्ठानों पर छापों के बाद कुछ आय छिपाकर रखना स्वीकार किया था।

असत्यापित पत्र में सिद्धार्थ ने कहा है कि आयकर विभाग के पूर्व डीजी की ओर से काफी प्रताड़ित किया गया। यह 'हमारे माइंडट्री सौदे को रोकने के लिए दो अलग–अलग मौकों पर हमारे शेयर जब्त करने और बाद में हमारे कॉफी डे शेयर का अधिकार लेने के तौर पर आया जबकि हमने संशोधित रिटर्न दाखिल कर दिया था। यह बहुत अनुचित था और इससे हमें नकदी का गंभीर संकट झेलना पड़ा।'

दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने किए कई अहम फैसले

अब शिरडी और सारनाथ की भी तीर्थ यात्रा कराएगी सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा से बुर्जुगों को अब रामेश्वर-द्वारकाधीश समेत सात और नए तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सात नए रूट को शामिल करने की मंजूरी दी दी है। अब तक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार ने देश के पांच धार्मिक स्थलों की यात्राओं को शामिल किया था। इन यात्राओं में सरकार अब वातानुकूलित होटल में ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता की ओर से नए धार्मिक स्थलों को जोड़ने के सुझाव मिल रहे थे। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि नए स्थलों पर भी यात्रा रेल के माध्यम से ही होगी और दिल्ली सरकार यह कोशिश कर रही है कि यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को इन जगहों पर ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरों उपलब्ध कराए जाएं। नए रूट में जो धार्मिक यात्राएं शामिल की गई है। वे लंबे समयसीमा की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ यात्रा योजना के लिए जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब तक अमृतसर व कटरा यात्री गए थे। इन सभी यात्रियों के बेहतर अनुभव सामने आए हैं। इसलिए सात नए रूट जोड़ने का फैसला लिया गया है। नए रूट में सात रामेश्वरम्, तिरुपति, द्वारकाधीश, शिरडी, उज्जैन, कोर्णाक व सारनाथ बौध गया को शामिल किया गया है।

जल्द आएंगी 25 नई बसें

मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू सप्ताह में ही दिल्ली सरकार 25 नई बसों को बेड़े में शामिल करेगी। इसके बाद हर माह नई बसों को बेड़े में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर गंभीर है लेकिन बिना नागरिकों के सहयोग के यह कम नहीं हो सकता। सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग से प्रदूषण स्तर में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुधार के लिए जो भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता होगी, वह उठाए जाएंगे।

बढ़ते अपराधों से मुख्यमंत्री दिखे नाखुश

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बढ़ रहे अपराधों की वजह से नाखुश है।

- कैबिनेट ने दी योजना में नए रूट को शामिल करने की मंजूरी
- अब धार्मिक स्थल पर रुकने की भी सुविधा देगी सरकार

उन्होंने अपराध नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को एक ठोस कार्य योजना विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ही जारी पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है कि शहर में बलात्कार और हत्या के मामले बढ़े हैं। दिल्ली पुलिस के अपराध संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 15 दिनों के भीतर बलात्कार के 80 और हत्या के 20 मामलों की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 'हम केंद्र और उपराज्यपाल के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। हमें एक ठोस कार्य योजना विकसित करने की जरूरत है'।

अदालत परिसरों में बनेंगे 144 कमरे

कैबिनेट ने तीस हजारी, साकेत व कड़कड़डूमा अदालत परिसर में 144 अस्थायी अदालत कक्षों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने कैबिनेट को भेजा था। इस मामले में अदालत की एक विशेष समिति ने नए निर्माण के लिए सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार के मसविदे के मुताबिक इस कार्य पर करीब 179.37 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

शादी-पार्टी में शराब के लिए लेना होगा लाइसेंस

शादी व अन्य समारोह में शराब परोसने के लिए आयोजकों को अब पी-10 लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति में प्रावधान किया है। दिल्ली कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2019-20 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत अवैध तौर पर शराब बिक्री को रोका जा सकेगा और जनता के लिए वैध विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। लाइसेंस प्रक्रिया को भी आसान बनाने की तैयारी है। इसके तहत एल-6, 7 व 10 के लाइसेंस केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगे।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन : L74899DL1960GOI003335
आरबीजी (स्वास्थ्य) का कार्यालय, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
सार्वजनिक सूचना दिनांक: 29.07.2019
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)/मेसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (निष्पादक एजेंसी) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंव सीसी) द्वारा एफ. नंबर 21-41/2019-आईए-III दिनांक 03.07.2019 के माध्यम से **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के लिए न्यू मोतीबाग में स्थित 'कौशल भवन' सरकारी कार्यालय भवन के निमाण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है** और मंजूरी पत्र की प्रतियां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध है और इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंव सीसी) की वेबसाइट **http://www.envfor.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

डिजिटल उत्पाद जो आपके दिलों को जीते

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही का पुनरीक्षित वित्तीय परिणाम
(रु. लाख में)

विवरण		30.06.2019 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	30.06.2018 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित)
परिचालनों से कुल आय		300313	1094446	254971
इस अवधि में शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पूर्व, असामान्य और/या असाधारण मदें)		11087	-458090	-57353
इस अवधि में कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (असामान्य और/या असाधारण मदों के बाद)		11087	-458090	-57353
इस अवधि में कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असामान्य और/या असाधारण मदों के बाद)		10499	-231592	-38868
इस अवधि के कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) समेत एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]		10499	-231592	-38868
इक्विटी शेयर पूंजी		742792	742792	300749
आरक्षित (पुनर्मूल्यन आरक्षित को छोड़कर जैसा कि पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है)		314718	314718	471475
प्रति शेयर अर्जन (प्रति शेयर ₹10/- का)	मूलभूत:	0.14	-7.04	-1.29
(चालू और बंद किए गए परिचालन हेतु)	डायल्यूटेड:	0.14	-7.04	-1.29

कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 30.07.2019

अजीत कुमार दास, कार्यपालक निदेशक
संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक
अशोक कुमार प्रधान, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टिप्पणी : उपर्युक्त, सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत फार्मेट का उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण फार्मेट स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट (BSE: www.bseindia.com तथा NSE: www.nseindia.com) और बैंक के वेबसाइट (www.unitedbankofindia.com) पर उपलब्ध है।

Follow us on www.facebook.com/UnitedBankOfIndiaOfficial http://twitter.com/UnitedBankTweet

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपका बैंक
United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
The Bank that begins with U
Website : www.unitedbankofindia.com

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance
Trusted Since 1906

नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3 मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता- 700071
CIN : U10200WB1906GOI001713; IRDAI Reg. No. 58
वेबसाइट : https://nationalinsurance.nic.co.in

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

राजस्व लेखा (रुपए लाख में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		
	अग्नि	मरीन	विविध	अग्नि	मरीन	विविध
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	69,731	14,389	955,902	67,488	15,939	1,043,228
बिक्री से लाभ/ हानि/ निवेश का रिडेम्पशन	13,666	1,903	124,385	15,083	2,966	139,436
विनिमय लाभ	--	--	--	2	1	--
ब्याज, लाभांश एवं किराया - कुल	12,534	1,745	114,081	11,616	2,284	107,379
कुल (A)	**95,931**	**18,037**	**1,194,368**	**94,189**	**21,190**	**1,290,043**
उपगत दावे (शुद्ध)	38,986	12,942	1,091,474	86,401	7,713	1,192,953
कमीशन	6,973	1,598	73,151	9,114	1,877	99,045
बीमा व्यवसाय से संबंधित संचालन खर्चे	15,945	2,565	241,380	17,537	2,104	269,950
विनिमय हानि	--	--	2,163	--	--	24
निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान/ निवेश के प्रीमियम का परिशोधन/निवेश के मूल्यह्रास के संबंध में छोड़ी गई राशि	431	60	3,923	182	36	1,678
कुल (B)	**62,335**	**17,165**	**1,412,092**	**113,234**	**11,730**	**1,563,650**
प्रचालन लाभ /हानि C = (A-B)	33,596	872	-217,724	-19,045	9,460	-273,607
विनियोजन						
शेयरधारकों के खाते में हस्तांतरण	33,596	872	-217,724	-19,045	9,460	-273,607
आपदा रिजर्व को हस्तांतरण	--	--	--	--	--	--
अन्य रिजर्व को हस्तांतरण	--	--	--	--	--	--
कुल (C)	**33,596**	**872**	**-217,724**	**-19,045**	**9,460**	**-273,607**

तुलन पत्र (रुपए लाख में)

विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
निधि का स्रोत		
शेयर पूंजी	10,000	10,000
रिजर्व एवं सरप्लस	7,269	176,161
फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट- शेयरधारकों की निधि	2,025	78,268
फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट- पॉलिसीधारकों की निधि	258,669	306,977
उधारी	89,500	89,500
कुल	**367,463**	**660,906**
निधि का उपयोग		
निवेश - शेयरधारकों की निधि	18,403	213,221
निवेश- पॉलिसीधारकों की निधि	2,350,815	2,321,244
ऋण	3,914	4,194
स्थायी परिसंपत्तियां	37,422	31,283
वर्तमान देयताएं		
नकद एवं बैंक शेष	130,833	93,065
अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां	702,020	815,253
उप कुल (A)	**832,853**	**908,318**
वर्तमान देयताएं	2,365,061	2,244,861
प्रावधान	510,883	572,493
उप कुल (B)	**2,875,944**	**2,817,354**
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियां / (देयताएं) (C)= (A-B)	**-2,043,091**	**-1,909,036**
विविध खर्च (नहीं छोड़े जाने या समायोजित करने की हद तक)	--	--
लाभ एवं हानि खाते में डेबिट बैलेंस	--	--
कुल	**367,463**	**660,906**

लाभ एवं हानि खाता (रुपए लाख में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन लाभ/हानि	**-183,256**	**-283,192**
(a) अग्नि बीमा	33,596	-19,045
(b) मरीन बीमा	872	9,460
(c) विविध बीमा	-217,724	-273,607
निवेश से आय	**25,179**	**71,686**
(a) ब्याज,लाभांश एवं किराया- कुल	12,323	31,533
(b) निवेश की बिक्री से लाभ	12,856	40,153
घटाकर : निवेश की बिक्री से हानि	--	--
अन्य आय	**7,464**	**3,632**
अन्य संपत्तियों की बिक्री से लाभ	--	498
विविध आय	7,420	3,135
विनिमय लाभ	44	--
कुल (A)	**-150,613**	**-207,874**
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त)	**9,968**	**14**
(a) निवेश के मूल्य में कमी हेतु	241	14
(b) संदिग्ध कर्ज	7,023	--
(c) अन्य	2,704	--
अन्य खर्च	**9,047**	**10,362**
(a) बीमा व्यवसाय से संबंधित खर्चों को छोड़ अन्य खर्च	112	154
(b) निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन	150	320
(c) निवेश के मूल्यह्रास से संबंधित छोड़ दी गई राशि	15	149
(d) छोड़ दी गई परिसंपत्तियां	--	1
(e) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	8	42
(f) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व खर्चे	623	556
(g) डिबेंचर्स पर ब्याज	7,473	7,473
(h) डिबेंचर से संबंधित खर्च	17	3
(i) विनिमय हानि	--	--
(j) अनुमत सीमा से अधिक खर्च (बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 40C के अनुसार)	648	1,664
(k) अन्य विविध खर्चे	1	--
कुल (B)	**19,015**	**10,376**
टैक्स पूर्व लाभ (A-B)	**-169,628**	**-218,250**
कराधान के लिए प्रावधान	--	--
पूर्व के वर्षों से संबंधित कराधान	-16	-1,174
टैक्स पश्चात लाभ	**-169,612**	**-217,077**
विनियोजन		
(a) वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश का भुगतान	--	--
(b) प्रस्तावित लाभांश	--	--
(c) लाभांश वितरण टैक्स	--	--
(d) सामान्य रिजर्व को हस्तांतरण/असमाप्त जोखिम हेतु आकस्मिक रिजर्व	-170,407	-217,082
(e) पॉलिसीधारकों के दावारहित निधि का हस्तांतरण	795	5
पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ/हानि का शेष	--	--
तुलन पत्र को अग्रेषित शेष	--	--

मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात
आईआरडीए के परिपत्र सं.- IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 दिनांक 05 अक्तूबर, 2012 एवं शुद्धिपत्र संदर्भ सं.- IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 दिनांक 3 जुलाई, 2013 में दी गई परिभाषाओं के अनुसार

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1.	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (%)	-6.55	13.73
2.	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम से शुद्ध संपत्ति अनुपात (बार)	96.97	9.23
3.	शुद्ध परिसंपत्तियों का विकास दर (%)	-91.11%	-53.41%
4.	शुद्ध धारण अनुपात (%)	63%	69%
5.	शुद्ध कमीशन अनुपात (%)	8.47%	9.60%
6.	प्रबंधन खर्च से सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात (%)	24.02%	26.79%
7.	प्रबंधन खर्च से शुद्ध लिखित प्रीमियम अनुपात (%)	37.78%	37.95%
8.	शुद्ध उपगत दावों से शुद्ध अर्जित प्रीमियम (%)	109.94%	114.24%
9.	संयुक्त अनुपात (%)	145.41%	149.24%
10.	तकनीकी रिजर्व से शुद्ध प्रीमियम अनुपात (बार)	2.14	1.69
11.	अंडरराइटिंग शेष अनुपात (बार)	-0.43	-0.50
12.	प्रचालन लाभ अनुपात (%)	-17.05%	-25.11%
13.	तरल परिसंपत्तियों से देयता अनुपात (बार)	0.13	0.15
14.	शुद्ध आय अनुपात (%)	-17.58%	-18.93%
15.	शुद्ध संपत्ति अनुपात में मुनाफा (%)	-1083.44%	-123.30%
16.	प्राप्त परिशोधन क्षमता से अपेक्षित परिशोधन क्षमता अनुपात (बार)	1.04*	1.55*
17.	एनपीए अनुपात (%)		
	कुल एनपीए अनुपात (%)	1.36%	1.76%
	शुद्ध एनपीए अनुपात (%)	0.99%	0.39%

* आईआरडीएआई द्वारा दिए गए स्थगन के अनुसार

नोट :
1. उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमिटी द्वारा की गई है और दिनांक 29 जुलाई, 2019 को निदेशक मंडल की आयोजित बैठक में इसकी मंजूरी भी दी गई है।
2. यह प्रकटीकरण आईआरडीए परिपत्र सं. IRDA/F&I/CIR/F&A/12/01/2010 (अनुलग्नक III) दिनांक 28 जनवरी, 2010 के अनुसार एवं उसमें दी गई परिभाषा के अनुसार दी गई है।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े आवश्यकतानुसार पुनर्समायोजित किए गए हैं।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा के परिणामों का सारांश
[सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार विनियमन 52(4) के साथ विनियमन 52(8) को पढ़ा जाए]
(रुपए हजार में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्तमान वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछला वर्ष
1.	प्रचालनों से हुई कुल आय	10,40,02,258	11,26,65,548
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) टैक्स पूर्व (टैक्स, विशेष और/ या असाधारण मदों से पूर्व #)	-1,69,62,855	-2,18,25,042
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) टैक्स से पूर्व (टैक्स, विशेष और/ या असाधारण मदों के बाद #)	-1,69,62,855	-2,18,25,042
4.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) टैक्स के बाद (टैक्स, विशेष और / या असाधारण मदों के बाद #)	-1,69,61,224	-2,17,07,660
5.	उक्त अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लाभ/ (हानि) को मिलाकर (टैक्स पश्चात) एवं अन्य समग्र आय (टैक्स पश्चात)	-1,69,61,224	-2,17,07,660
6.	पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल	10,00,000	10,00,000
7.	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	7,26,932	1,76,16,082
8.	कुल संपत्ति	15,65,503	1,76,06,244
9.	पेड अप ऋण पूंजी / बकाया ऋण	89,50,000	89,50,000
10.	रिडीम करने योग्य बकाया वरीयता शेयर *	शून्य	शून्य
11.	ऋण इक्विटी अनुपात *	5.72	0.51
12.	प्रति शेयर आय (प्रति 10/- रु.)(जारी एवं बंद हो चुके प्रचालनों के लिए)		
	1. मूल :	-169.61	-217.07
	2. मिला जुला :	-169.61	-217.07
13.	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व *	शून्य	शून्य
14.	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व *	शून्य	शून्य
15.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात *	-21.70	-28.20
16.	पेड अप ऋण पूंजी *	-20.53	-26.88

नोट :
a) उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2019 में इसे मंजूरी दी गई है।
b) *सेबी (LODR) विनियमन, 2015 के अनुसार किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी ने असुरक्षित गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए हैं और यह आरडीएआई द्वारा नियंत्रित एक वित्तीय इकाई है।

कृते निदेशक मंडल
अपोहरत्नाकरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 जुलाई, 2019

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	35.1 डि.से.	35.1 डि.से.	32.2 डि.से.	33.4 डि.से.
न्यूनतम	27.4 डि.से.	27.4 डि.से.	27.4 डि.से.	27.4 डि.से.

विद्यार्थी जरूरी दस्तावेज के नहीं बदल सकते विषय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) संबद्ध स्कूलों से कहा है कि विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों का दसवीं और बारहवीं कक्षा में विषय बदलने का कोई आग्रह इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि वे उस विषय की पढ़ाई की व्यवस्था खुद कर लेंगे।

बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं में विषय बदलने के आवेदनों से निपटने के लिए स्कूलों की मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की हैं। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जब विद्यार्थी 10वीं और 12वीं कक्षा में आते हैं तो विभिन्न आधारों पर विषय बदलना चाहते हैं। संशोधित नियमों के तहत, विषय बदलने का कोई भी आग्रह केवल तब स्वीकार किया जाएगा, जब यह शैक्षणिक सत्र में 15 जुलाई से पहले किया गया हो। प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, बोर्ड ने इस उद्देश्य से एसओपी तैयार की हैं। अधिकारी के मुताबिक किसी भी तरह से, सीबीएसई की ओर से विषय बदलने के लिए ऐसा

सीबीएसई ने कहा, 15 जुलाई से पहले छात्र पेश करें दस्तावेज

खुद पढ़ाई का बंदोबस्त करने वाला तर्क नहीं चलेगा

कोई आग्रह स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसमें कहा जाए कि माता-पिता अध्ययन के लिए अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। अब, लगभग सभी विषयों का आंतरिक आकलन होता है और स्कूलों को विद्यार्थियों के आंतरिक आकलन में प्रदर्शन की जानकारी देनी होगी।

अभिभावकों को विषय बदलने का आग्रह दिए गए एक प्रारूप में होना चाहिए। इसके साथ पिछली कक्षा का अंकपत्र (यदि स्कूल बदला नहीं है), यदि स्कूल बदला है तो अंकपत्र और स्थानातंरण प्रमाणपत्र और सरकारी अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल प्रमाणपत्र होने चाहिए।

पुरानी दिल्ली और सदर बाजार स्टेशन के बीच रेलवे लाइन पर मिला शव

सैन्य अधिकारी के परिवार को हत्या का शक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

सेना में कैप्टन स्तर के एक चिकित्सकीय अधिकारी का शव पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन व सदर बाजार के बीच रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। अधिकारी का शरीर दो हिस्सों में कटा हुआ था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जांच शुरू कर दी है। अधिकारी के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। रेलवे पुलिस के उपायुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर अधिकारी का शव रेलवे लाइन पर मिला जबकि वह सुबह पौने पांच बजे ही ट्रेन से दिल्ली में उतर चुके थे। अधिकारी के परिजनों की ओर से हत्या की आशंका पर जांच के बाबत उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मरने के सही कारणों का पता चलेगा। पोस्टमार्टम के दौरान अधिकारी के परिजनों को भी बुलाया गया था ताकि किसी भी प्रकार का संदेह न रहे।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 26 साल के सेना में कैप्टन डॉक्टर दिवाकर पुरी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-17 में अपने परिजनों के साथ रहते थे। उनके घर में माता-पिता के अलावा एक छोटा भाई जतिन है। भाई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। कैप्टन के पिता जीएल पुरी दिल्ली के द्वारका इलाके स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। दिवाकर का करीब ढाई साल पहले सेना में बतौर डॉक्टर चयन हुआ था। उनकी पहली तैनाती राजस्थान के सूरतगढ़ में थी। वहां से करीब दो महीने पहले ही सात सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए उन्हें लखनऊ भेजा गया था। लखनऊ में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह दिल्ली आने के लिए रविवार को श्रमजीवी एक्सप्रेस पर सवार हुए थे। घर वाले उनका इंतजार कर रहे थे लेकिन उनका शव मिलने की सूचना परिवार को मिली। परिजनों का कहना है कि दिवाकर की योजना दिल्ली में कुछ दिन परिजनों के साथ रहने की थी। फिर उन्हें कश्मीर के पुलवामा में नई तैनाती पर जाना था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन से लेकर आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस उपायुक्त दिनेश कुमार गुप्ता का कहना है कि उनके पास से मिले दस्तावेज से यह जानकारी मिली है कि दो दिन पहले भी वे लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे।

पिता बोले, खुदकुशी नहीं कर सकता उनका बेटा

कैप्टन के पिता का कहना है कि उनका बेटा मजबूत इरादे का था। वह खुदकुशी नहीं कर सकता है। उसकी मौत संदिग्ध है। उसकी हत्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस से गुजारिश की है कि मौत के सही कारणों का जरूर पता लगाए। पिता के मुताबिक, रविवार रात जब वह ट्रेन में सवार हुआ था तो उन्होंने उसे फोन किया था लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर सुबह जब ट्रेन आने का समय हुआ तो भी फोन किया गया लेकिन फोन नहीं उठा। कई बार फोन करने के बाद भी जवाब न मिलने पर ट्रेन की स्थिति पता की। ट्रेन के दिल्ली आने पर पुलिस व जीआरपी को सूचना दी गई।

- लखनऊ से प्रशिक्षण पूरा करके लौट रहे थे दिवाकर पुरी
- कुछ सप्ताह बाद जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में होनी थी तैनाती

खबरों में शहर

'कुली लाइंस ने इतिहास के वृत्त में छिद्र कर दिया'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

गिरमिटियों के इतिहास पर आधारित युवा रचनाकार प्रवीण कुमार झा की पुस्तक 'कुली लाइंस' पर हुए संवाद कार्यक्रम में यतींद्र मिश्र ने कहा, 'हर पन्ने में लेखक का मानस खुलता जाता है। भूमिका पढ़ते हुए उन्होंने लेखक की ईमानदारी पर चर्चा की। इस किताब से प्रवीण झा ने इतिहास के वृत्त में छेद कर दिया है, और जब भी इस विषय पर कोई शोध होगा तो इस किताब को आदर्श के तौर पर देखा जाएगा'। रचनाकार प्रवीण कुमार झा के अनुसार वैसे तो कई लोगों ने गिरमिटियों का इतिहास लिखा है, और लिखा जा रहा है, लेकिन हिंदी में पहली बार सभी द्वीपों के इतिहास को एक साथ रखने का प्रयास किया गया है। गिरमिटिया अपनी छह पीढ़ी के बाद भी अपने आपको भारतीय मानते हैं। मालिनी अवस्थी ने कहा कि किताब का विषय और शीर्षक दोनों ही आकर्षित करते हैं। कार्यक्रम का संचालन वाणी प्रकाशन की प्रधान संपादक रश्मि भारद्वाज ने किया। प्रकाशन के निदेशक अरुण माहेश्वरी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

विद्यार्थी नवोन्मेष पुरस्कार देगा इग्नू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने अपने विद्यार्थियों को नवोन्मेष पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2019 है। जानकारी के मुताबिक, इग्नू में पढ़ने वाले छात्र अलग-अलग प्रतिभा के धनी हैं। कुछ विद्यार्थी अपने कार्यों में नवोन्मेष का उपयोग कर रहे हैं। इन सभी छात्रों को सम्मानित करने के लिए नवोन्मेष पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। भारत सरकार ने देश के विकास में शोध और नवोन्मेष के महत्व को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नवोन्मेष करने वाले लोगों को सम्मानित करने का निर्णय किया है। इग्नू का राष्ट्रीय नवोन्मेष दूरस्थ शिक्षा केंद्र (एनसीआइडीई) भी विश्वविद्यालय में नवोन्मेष की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा है। तीन विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में नकद, स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।

जामिया : पाठ्यक्रमों में आवेदन की तिथि बढ़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सेंटर फॉर इनोवेशन एंड आंत्रप्रन्यॉरशिप के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिलों के आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त, 2019 कर दी है। इस केंद्र में बोतल निर्माण और पेयजल पैकेजिंग, बेकरी उत्पाद, मसाले पीसने और पैकेजिंग, पेपर कप-ग्लास, प्लेट्स निर्माण और टेलरिंग व कढ़ाई संबंधी ईडीपी के पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले खुले हैं। इन पाठ्यक्रमों के अलावा केंद्र ने इस साल से चार नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं। इनमें सेल्स एंड मार्केटिंग, एसेंबली लाइन एंड पैकेजिंग, सीएनसी (कम्प्यूटर-कंट्रोल्ड मशीन) बेसिक ट्रेनिंग और सीएनसी (कम्प्यूटर-कंट्रोल्ड मशीन) एडवांस ट्रेनिंग शामिल हैं।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र : दीक्षा: गुरु शिष्य परंपरा पर आचार्य वृहस्पति का संगीत को योगदान पर व्याख्यान, सीवी मेस, सुबह दस से शाम पांच बजे।

शाहबेरी मामला : फ्लैट बेचने वाले बिल्डरों के खिलाफ प्रशासन सख्त

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 30 जुलाई।

शाहबेरी में पिछले पांच साल में 30 ऐसे बिल्डर पाए गए हैं, जिन्होंने पांच से अधिक फ्लैट बेचे हैं। चूंकि ये सभी फ्लैट अवैधानिक और धोखे से बेचे गए हैं। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने निर्देश दिया है कि 17 अन्य बिल्डरों के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी मामला दर्ज कराएं। पिछले साल 13 बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है।

शाहबेरी मामले पर डीएम कैंप कार्यालय में महत्त्वपूर्ण बैठक हुई। जहां मामले में स्टांप विभाग की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि पिछले पांच साल में 30 बिल्डरों ने पांच से अधिक फ्लैट बेचे हैं। डीएम ने कहा कि चिन्हित सभी बिल्डरों की चल-अचल संपत्ति को 14ए की कार्रवाई करते हुए संबद्ध किया जाएगा। बिल्डरों की अन्य जनपदों में संपत्ति को 14ए में संबद्ध कराने के लिए वहां के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि शाहबेरी में सभी इमारतों की एक महत्त्वपूर्ण एजंसी से भवन गुणवत्ता संबंधी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद प्राधिकरण इन भवनों के बारे में जो निर्णय लेगा, उसमें जिला प्रशासन पूर्ण सहयोग देगा। शाहबेरी के फ्लैट खरीदारों को बुलाकर कार्रवाई से अवगत कराया जाए। प्राधिकरण अधिकारियों और शाहबेरी भवन स्वामियों का संवाद जरूरी है। बिल्डरों के अवैधानिक एवं धोखे से भवन निर्माण कराने से व्यापक स्तर पर अव्यवस्था का माहौल बना है। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा सकती है।

आम्रपाली के दो अधिकारी गिरफ्तार, पांच दिन की रिमांड पर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

आम्रपाली समूह के दो प्रमुख अधिकारियों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। प्रकाश वाधवा और अनिल मित्तल की गिरफ्तारी सोमवार शाम को हुई। मंगलवार को दोनों को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया जहां से दोनों को पांच दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है।

आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने बताया कि दोनों को अपने जानकार व्यक्तियों व रिश्तेदारों को उन फर्जी कंपनियों में निदेशक और प्रमुख प्रबंधन पदों के रूप में नियुक्त करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है जिन्हें घर खरीदारों के निवेश किए गए पैसों को डायवर्ट करने के उद्देश्य से बनाया गया था। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोएडा में निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने वाले आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अभी हाल में ही ईडी ने धांधली से जुड़े 11 आरोपियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब किया है।

बहुमंजिला इमारत में आग

जनकपुरी स्थित बहुमंजिला इमारत में मंगलवार सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। ए-ब्लॉक स्थित इमारत में बैंक, कोचिंग संस्थान सहित अन्य दफ्तर हैं। जिस समय आग लगी उस समय वहां विद्यार्थी, शिक्षक और अन्य कर्मचारी सहित करीब पांच सौ लोग मौजूद थे। आनन-फानन में इन सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। (जनसत्ता संवाददाता)

एक से 15 अगस्त तक बंद रहेगी गंगाजल की आपूर्ति

- पानी का दबाव कम होने से बहुमंजिला इमारतों में हो सकती है परेशानी
- कॉल सेंटर नंबरों पर फोन कर मंगाए जा सकते हैं पानी के टैंकर

कॉल सेंटर 1020-242505, 2425026, 2425037

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 30 जुलाई।

गंगाजल पाइपलाइन की मरम्मत के चलते एक अगस्त से अगले 15 दिन तक शहर में गंगाजल की आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान शहर में पेयजल की आपूर्ति ट्यूबवेल, रैनीवेल के जरिए की जाएगी। 15 अगस्त तक गंगाजल आपूर्ति बाधित रहने की वजह से पानी का दबाव भी कम रहेगा। इस दौरान प्राधिकरण के कॉल सेंटर पर फोन करके निवासी पानी के टैंकर मंगा सकते हैं। प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक (जल) बीएम पोखरियाल ने बताया कि गंगाजल पाइपलाइन की मरम्मत की जानी है। निवासियों की मांग पर पानी के टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। इस दौरान प्राधिकरण ने शहरवासियों को पानी का इस्तेमाल गाड़ी धोने, फर्श धोने या बागीचा सींचने आदि में न करने की सलाह दी है। पानी की लाइन में रिसाव या पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की शिकायत प्राधिकरण के कॉल सेंटर नंबर 1020-242505, 2425026, 2425037 पर दर्ज कराई जा सकती हैं। इन्हीं नंबरों पर फोन कर पानी के टैंकरों भी मंगा सकते हैं।

इंडिया गेट के पास तेज संगीत बजाने पर प्रतिबंध

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने इंडिया गेट के आस पास तेज संगीत बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। परिषद ने सूर्यास्त से आधे घंटे पहले तेज संगीत न बजाने के निर्देश दिए हैं, ताकि रोजाना होने वाले रिट्रीट समारोह में बाधा न पहुंचे। रिट्रीट समारोह रोजाना शाम को सूर्यास्त से पहले होता है और इस दौरान वहां बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं।

नई दिल्ली नगरपालिक परिषद का कहना है कि देश के अन्य भागों में जहां भी इस प्रकार के स्मारक या युद्ध स्थल हैं वहां किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होती है। चूंकि राजधानी में राजपथ पर रोज सैकड़ों लोग आते हैं और इस स्थल को देखते हैं लिहाजा यहां अनुमति लेकर कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं। इस दौरान तेज आवाज में स्पीकर या डीजे बजाना या संगीत की धुन पर अन्य कार्यक्रम करने पर पाबंदी लगाई गई है। परिषद ने कहा कि इस दौरान स्मारक पर मौजूद पदाधिकारियों के साथ भी समय का समन्वय किया जा सकता है।

23 साल की युवती को दो लाख की हर्जाना राशि भी देंगे दंपति

देह व्यापार में धकेलने के दोषी दंपति को 11 साल की कैद

प्रियरंजन
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

दिल्ली की एक अदालत के सामने एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कांवड़िया बनकर एक दंपति ने युवती को फंसाया। युवती को देह व्यापार में धकेलने और जबरन शादी करने का दबाव डाला गया। जब उसने आपत्ति जताई तो उसपर तेजाब फेंक दिया गया। तीन साल की सुनवाई के बाद अदालत ने युवती को फंसाने, उसे देह व्यापार में धकेलने की कोशिश करने और उस पर तेजाब हमला करने के आरोप में दंपति को दोषी पाया और 11 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई है।

जब यह मामला सामने आया था, तब पीड़िता 20 साल की थी, आज वह 23 साल की हो गई है। जांच करने वाली पुलिस दल के सदस्यों के मुताबिक, दंपति ऐसे ही कई युवतियों को अपना शिकार बना चुके थे, इस मामले में इनकी गिरफ्तारी हो सकी।

जानकारी के मुताबिक, तीन साल पहले राधे और अनिता दोनों आरोपी कावंड़िया बन दिल्ली से हरिद्वार जल लाने पहुंचे थे। यहां उन्होंने 20 साल की युवती को झांसे में लेने की कोशिश की। शिकायत के अनुसार, यात्रा से लौटते समय, उन्होंने फोन नंबरों का आदान-प्रदान किया और एक-दूसरे से बात करना शुरू किया। राधे ने उस युवती को बताया था कि वह नैनिताल का रहने वाला है और गाजियाबाद में अपनी पत्नी के साथ किराए के कमरे में रह रहा है। आरोपी राधे ने युवती को शादी का प्रस्ताव दिया और बताया कि उसकी पत्नी अनीता को इससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर दोनों मिलकर युवती पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। बकौल पीड़िता, उसे दंपति की कथित अवैध देह व्यापार गतिविधियों के बारे में पता चला और वे उसे घसीटना चाहते थे। एक दिन अनिता ने पीड़िता को फोन किया और मिलने को कहा। जब पीड़िता वहां गई तो वहां राधे भी था। दोनों ने उसपर शादी का दबाव डाला, जिससे उसने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। इस हमले में पीड़ित का चेहरा और दोनों हाथ तेजाब से जल गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतिंदर कुमार गौतम ने राधे और अनीता को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए (तेजाब फेंकने) के साथ 34 दंड (एक सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों की ओर से किए गए कृत्य) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने उन दोनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह रकम अब तेईस साल की हो चुकी पीड़िता को जीवनयापन के लिए दी जाएगी।

'सोशल मीडिया सशक्त माध्यम है'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

भाजपा ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर आधारित एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस सम्मेलन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया ताकतवर है। जिसका जितना अधिक नेटवर्क है, उसकी उतनी ही ताकत है। उन्होंने कहा कि जब हम दुविधा में होते हैं, तब सोशल मीडिया के जरिये ही बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े होते हैं।

प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सोशल मीडिया जन-जन तक पहुंचता है। इसलिए यह जनमत तैयार करने का सशक्त माध्यम है। वहीं, सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा

कि सोशल मीडिया का उपयोग पार्टी को सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए होना चाहिए। उनका इशारा पार्टी के सोशल मीडिया पर एकतरफा प्रचार की ओर था। इस कार्यक्रम का संचाल मीडिया सह प्रभारी नीलकांत बख्शी ने किया।

'पैनिक बटन से नहीं मिलती राहत'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे राकेश अग्रवाल ने सरकार पर ऑटो रिक्शा और टैक्सी मालिकों की ओर से पैनिक बटन लगाए जाने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पैनिक बटन लगाने का दावा पूरी तरह गलत है। अधिकांश मामलों में व्यक्ति को पैनिक बटन दबाने पर किसी भी तरह की राहत नहीं मिलती।

सरकार हर साल फिटनेस के नाम पर करीब 30 करोड़ रुपए वसूल रही है। अधिकारी केवल वाहनों में लाल बटन देखकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। आजाद भारतम के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेस में कहा कि दिल्ली सरकार इसमें मिली हुई है।

फिटनेस प्रमाण पत्र के नाम पर वसूले जा रहे पैसे निजी कंपनी को दिए जा रहे हैं। सूचना के अधिकार के तहत जुटाई गई जानकारी का हवाला देते हुए अग्रवाल ने दावा किया है कि वाहनों में लगे 69 फीसद जीपीएस खराब हैं। एक अप्रैल, 2019 को जारी हुए आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक वाहनों में पैनिक बटन न होने पर वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। इसमें टैक्सी, स्कूल बस, ग्रामीण सेवा और अन्य बसें शामिल हैं। राकेश अग्रवाल ने इसकी सीबीआइ जांच कराने की मांग की है।

दिल्लीवालों ने दिखाया बड़ा दिल

घायलों की मदद तो की लेकिन नहीं लिया सरकार का इनाम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तत्काल मदद करने से हिचकने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक घोषणा की थी। इसके तहत पीड़ितों और घायलों की मदद करने वालों को 2000 रुपए की ईनाम धनराशि दी जानी थी, लेकिन दिल्ली के लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए लोगों की मदद तो खूब की लेकिन ईनाम के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस घोषणा के बाद 14 माह में अब तक 2500 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पत्रकारों से बातचीत में बताया कि दिल्ली सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए फरवरी, 2018 में यह घोषणा की थी। अप्रैल, 2019 तक इससे 2501 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। इस पर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें अस्पतालों ने ऐसे मरीजों को दाखिल करने में आनाकानी की है। इस मामले में मंगलवार को सभी अस्पतालों की बैठक बुलाई गई थी। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सभी निजी अस्पताल इस योजना के हिस्सेदार हैं। इसमें कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कोई भी अस्पताल ऐसे मरीज को लेने से इनकार करता है तो दिल्ली सरकार संबंधित अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि मौत होने की स्थिति में संबंधित अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने से भी दिल्ली सरकार नहीं हिचकेगी।

सरकार दे रही है उपचार का खर्च

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं के मामले में अदालत का भी स्पष्ट आदेश है कि कोई भी निजी अस्पताल ऐसे मरीज को दाखिल करने से मना नहीं कर सकता। साथ ही पीड़ित के उपचार में पैसे की समस्या भी सामने आ रही थी। इसलिए हादसों में पीड़ितों को तत्काल सेवाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार दिल्ली के सीमा क्षेत्र में हो रही दुघर्टना के उपचार का सारा खर्च उठा रही है।

एक ने भी नहीं लिया पुरस्कार

दिल्ली सरकार की इस घोषणा के तहत मदद करने वाले व्यक्तियों को 2000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित करने की बात कही गई थी। अब तक दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में 2500 मामले गए लेकिन पीड़ितों की मदद करने वालों ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक, मदद करने वालों को अस्पताल में अपना नाम पुरस्कार के लिए दर्ज करवाना था लेकिन अधिकतर ने इसके लिए मना कर दिया।

हत्या की साजिश रचने के आरोप में अनंत सिंह को नोटिस

पटना, 30 जुलाई (भाषा)।

एक ऑडियो को लेकर मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनंत सिंह को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। उनसे एक अगस्त को 'आवाज परीक्षण' के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। अनंत सिंह पर एक ठेकेदार और उसके भाई की हत्या की साजिश रचने का आरोप है।

पंडारक थाना प्रभारी रमण प्रकाश वशिष्ठ ने मंगलवार को बताया कि अनंत को बीती रात नोटिस जारी किया गया है। उनसे एक अगस्त को 11 बजे बिहार पुलिस मुख्यालय स्थित एफएसएल कार्यालय में 'आवाज परीक्षण' के लिए पेश होने को कहा गया है।

बता दें कि गत 14 जुलाई को पुलिस ने ठेकेदार भोला सिंह और उसके भाई मुकेश सिंह की हत्या के इरादे से पंडारक पहुंचे चार अपराधियों को हथियारों के साथ धर दबोचा था। इन अपराधियों ने पूछताछ में अनंत सिह का नाम लिया था ।

गिरफ्तार अपराधियों में शामिल एक शूटर के मोबाइल फोन से अनंत सिंह की अपराधी से कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग भी बरामद हुई थी। रिकॉर्डिंग में ठेकेदार और उसके भाई की कथित तौर पर हत्या की साजिश रचने और उसके लिए अपराधियों को सुपारी देने संबंधी ब्योरा है।

पोती की हत्या के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

कोयंबटूर, 30 जुलाई (भाषा)।

बेटे-बहू से बदला लेने के लिए अपनी 10 महीने की पोती की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति को शक था कि उसकी दोनों पत्नियों के उसे छोड़कर चले जाने के पीछे उसके बेटे और बहू का हाथ है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित के माता-पिता ने बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत की थी। जिसके बाद मंगलवार को सेल्वाराज (45) को गिरफ्तार किया गया।

सेल्वाराज ने बच्ची की हत्या की बात कबूल कर ली है। उसने पत्थर मारकर बच्ची की हत्या की थी। पुलिस ने किनाथुकडावु से करीब 10 किलोमीटर दूर ओथाकलमंडपम में एक बेकरी के पीछे से बच्ची का शव बरामद किया। मामले में जांच जारी है।

गोली के शिकार पत्रकार की जान खतरे से बाहर

मधुबनी, 30 जुलाई (भाषा)।

बिहार के मधुबनी जिले के सरिसब पाही बाजार में रविवार रात गोलियों का शिकार हुए पत्रकार की जान अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) में चल रहा है।

एक राष्ट्रीय दैनिक अखबार में कार्यरत प्रदीप मंडल (36) को मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने रविवार-सोमवार रात गोली मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। प्रदीप के पेट में गोली लगी थी और उनके शरीर से गोली निकाल ली गई है।

मधुबनी जिले के पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि प्रदीप के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अब वे खतरे से बाहर हैं। आरोपी सुशील साह और अशोक कामत की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

पिकअप वैन पलटने से दो की मौत

अलवर, 30 जुलाई (भाषा)।

अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक अनियंत्रित पिकअप वैन पलटनेसे उसमें सवार दो युवकों की मौत हो गई जबकि आठ अन्य लोग घायल हो गए। तीन गंभीर घायलों को अलवर रेफर किया गया है। थानाधिकारी भरत लाल ने बताया कि चिडवाई गांव में हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पहुंचे ग्रामीण कांवड़ियों के सामान से भरे पिकअप वैन पर लटक गए, जिससे वैन अनियंत्रित होकर पलट गया।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR PUBLICATION AND DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

SPANDANA

SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED

Our Company was incorporated as Spandana Sphoorty Innovative Financial Services Limited (**"SSIFSL"**) on March 10, 2003 at Hyderabad, Andhra Pradesh, India as a public limited company under the Companies Act, 1956. A certificate of commencement of business was issued to SSIFSL on November 11, 2003 by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh and Telangana at Hyderabad (**"RoC"**). On October 16, 2004, the Reserve Bank of India (**"RBI"**) granted a certificate of registration bearing registration no. N-09.00414 to our Company, for the registration of our Company as a non-deposit accepting non-banking financial company (**"NBFC"**) under Section 45IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Subsequently, pursuant to a special resolution dated November 26, 2007 passed by our shareholders, the name of our Company was changed to Spandana Sphoorty Financial Limited. Pursuant to a letter dated December 26, 2007, the RBI granted its no objection to the change of name of our Company to Spandana Sphoorty Financial Limited and a fresh certificate of incorporation consequent to change of name was issued by the RoC to our Company on January 3, 2008. Further, a fresh certificate of registration bearing registration no. N-09.00414 pursuant to the change of name was issued by the RBI on January 11, 2008. Our Company was granted NBFC – Microfinance Institution (**"NBFC-MFI"**) status by the RBI with effect from April 13, 2015 and a modified certificate of registration bearing registration no. N-09.00414 was issued by the RBI to this effect. For further details of the changes in the name and registered office of our Company, see ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 154 of the Red Herring Prospectus dated July 25, 2019 and for further details of the registrations in relation to the business of our Company, see ***"Government and Other Approvals"*** on page 411 of the RHP.

Registered and Corporate Office: Plot No: 31 & 32, Ramky Selenium Towers, Tower A, Ground Floor, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, Telangana, India; **Tel:** +91 40 4812 6666; **Fax:** +91 40 4438 6640; **Contact Person:** Rakesh Jhinjharia (Company Secretary and Compliance Officer); **E-mail:** secretarial@spandanaindia.com; **Website:** www.spandanaindia.com; **Corporate Identity Number:** U65929TG2003PLC040648

OUR PROMOTERS: PADMAJA GANGIREDDY AND KANGCHENJUNGA LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION ("OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹4,000.00 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 9,356,725 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION, COMPRISING OF AN OFFER FOR SALE OF UP TO 5,967,097 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY KANGCHENJUNGA LIMITED ("CORPORATE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER"), UP TO 1,423,114 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY PADMAJA GANGIREDDY ("INDIVIDUAL PROMOTER SELLING SHAREHOLDER"), UP TO 796,509 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY VIJAYA SIVA RAMI REDDY VENDIDANDI ("VSRRV"), UP TO 783,747 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY VALIANT MAURITIUS PARTNERS FDI LIMITED ("VALIANT"), 132,831 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY HELION VENTURE PARTNERS II, LLC ("HELION II"), UP TO 129,732 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY KEDAARA CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND – KEDAARA CAPITAL AIF 1 ("KEDAARA AIF 1") AND UP TO 123,695 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY HELION VENTURE PARTNERS, LLC ("HELION") (TOGETHER, "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS" AND, TOGETHER WITH THE CORPORATE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, THE INDIVIDUAL PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, KEDAARA AIF 1, VSRRV, HELION II, HELION AND VALIANT, "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFERED SHARES, "OFFERED SHARES") ("OFFER FOR SALE").

• QIB Portion: Not more than 50% **• Retail Individual Bidders: Not less than 35%** **• Non-Institutional Bidders: Not less than 15%**

Price Band: ₹ 853 to ₹ 856 per Equity Share of face value of ₹ 10 each.
The Floor Price is 85.3 times the face value and the Cap Price is 85.6 times the face value of the Equity Shares.
Bids can be made for a minimum of 17 Equity Shares and in multiples of 17 Equity Shares thereafter.

ASBA# | **Simple, Safe, Smart way of Application!!!** | # Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, For further details, check section on ASBA below. **Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.**

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

UPI-Now mandatory in ASBA for Retail Investors applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. Retail Investors also have the options to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

• Investors have to apply through the ASBA process. • ASBA has to be availed by all the investors except Anchor investors. • For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "***Offer Procedure***" beginning on page 441 of the RHP. • The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India "**AIBI**", Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Kotak Mahindra Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018. • For details of the Banks eligible to act as Issuer Banks for UPI, kindly refer to the website of SEBI at www.sebi.gov.in. • For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number-18001201740 and Mail Id-ipo.upi@npci.org.in. • For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link https://www.npci.org.in/upi-live-ipo.

Risks to Investors

- **The four Global Co-ordinators and Book Running Lead Managers and two Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 47 public issues during the current financial year and two financial years preceding the current financial year, out of which 16 public issues closed below the issue/offer price on listing date.**
- **The Price/Earnings ratio based on diluted EPS for fiscal 2019 for the Company at the upper end of the Price band is as high as 16.21 times, on a standalone basis and 16.04 times, on a consolidated basis as compared to the average industry peer group Price/Earning ratio is 21.3 times on a consolidated basis.**
- **The average cost of acquisition per Equity Share for our Selling Shareholders is in the range of ₹3.33 to ₹322.81 per Equity Share. The Offer Price at the upper end of the Price Band is ₹ 856.**

BID/OFFER PROGRAMME

OPENS ON: MONDAY, AUGUST 05, 2019[1]
CLOSES ON: WEDNESDAY, AUGUST 07, 2019

(1) Our Company and the Selling Shareholders may, in consultation with the GCBRLMs and the BRLMs, consider participation by Anchor Investors in accordance with the 2018 SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bidding Date shall be one Working Day prior to the Bid/ Offer Opening Date

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In case of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the Selling Shareholders may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the website of the GCBRLMs and the BRLMs and at the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks, the Sponsor Bank, the Registered Brokers and Share Transfer Agents and Collecting Depository Participants.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (**"SCRR"**). The Offer is being made through the Book Building Process, in compliance with Regulation 26(1) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended (**"2009 SEBI ICDR Regulations"**), wherein not more than 50% of the Offer shall be allocated on a proportionate basis to QIBs (**"QIB Portion"**), provided that our Company and the Selling Shareholders, in consultation with the GCBRLMs and the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (**"Anchor Investor Portion"**), at the Anchor Investor Allocation Price. At least one-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion. 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the 2009 SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All Bidders, other than Anchor Investors, shall mandatorily participate in this Offer through the Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process by providing details of their respective bank accounts and UPI ID, in case of RIBs, if applicable, which will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**). Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through ASBA Process. For details, see ***"Offer Procedure"*** on page 441 of the RHP.

Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorised the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders'/Applicants' sole risk.

Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects of the Company, please see the section titled ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 154 of the RHP and Clause III (A) 1 of the Memorandum of Association of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, please see the section titled "***Material Contracts and Documents for Inspection***" on page 583 of the RHP.

Liability of the members of the Company: Limited by shares

Amount of share capital of the Company and capital structure: The authorised, issued, subscribed and paid up share capital of the Company as on the date of the RHP is as follows: The authorised share capital of the Company is ₹ 2,150,000,000 divided into 900,000,000 Equity Shares of ₹ 10/- each and 1,250,000,000 Preference Shares of ₹ 10/- each. The pre-Offer issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Company is ₹ 596,336,830 divided into 59,633,683 Equity Shares of ₹ 10 each. For details, please see the section titled "***Capital Structure***" beginning on page 75 of the RHP.

Names of signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: The names of the signatories of the Memorandum of Association of our Company are Padmaja Gangireddy, Vijaya Siva Rami Reddy Vendidandi, Koteswaramma Yenumula, Asha Latha Mettla, Dr. Gangireddy Venkateswara Reddy, Nagamalleswara Rao and Bala Showraiah Narishetty who subscribed to 20,000, 12,000, 10,000, 4,100, 2,500, 1,100 and 1000 equity share respectively each of face value of ₹ 10 as initial subscription.

Listing: The Equity Shares offered through the RHP are proposed to be listed on BSE and NSE. Our Company has received an 'in-principle' approval from BSE and NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letters dated July 16, 2018 and July 24, 2018, respectively. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be the NSE. A signed copy of the RHP has been delivered, the Prospectus shall be delivered for registration to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act , 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the RHP up to the Bid/ Offer Closing Date, see ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 583 of the RHP.

Disclaimer Clause of the SEBI: SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Offer or the specified securities or the offer document. The investors are advised to refer to page 416 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of SEBI.

Disclaimer Clause of NSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 420 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.

Disclaimer Clause of BSE : It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the RHP has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the RHP. The investors are advised to refer to page 420 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

General Risks: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the RHP. Specific attention of the investors is invited to **"*Risk Factors*"** on page 18 of the RHP.

GLOBAL CO-ORDINATORS AND BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			BOOK RUNNING LEAD MANAGERS	
AXIS CAPITAL	ICICI Securities	IIFL SECURITIES	JM FINANCIAL	IndusInd Bank	YES SECURITIES
Axis Capital Limited 8th Floor, Axis House, C 2 Wadia International Centre, P. B. Marg, Worli Mumbai 400 025, Maharashtra, India **Tel :** +91 22 4325 2183 **Fax :** +91 22 4325 3000 **E-mail:** ssfl.ipo@axiscap.in **Investor grievance E-mail:** complaints@axiscap.in **Website:** www.axiscapital.co.in **Contact Person:** Simran Gadh **SEBI Registration No.:** INM000012029	**ICICI Securities Limited** ICICI Centre, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai 400 020, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 2288 2460 **Fax:** +91 22 2282 6580 **E-mail:** spandana.ipo@icicisecurities.com **Investor grievance E-mail:** customercare@icicisecurities.com **Website:** www.icicisecurities.com **Contact Person:** Shekher Asnani / Rupesh Khant **SEBI Registration No.:** INM000011179	**IIFL Securities Limited*** 10th Floor, IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg. Lower Parel, (West), Mumbai 400 013, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 4646 4600 **Fax:** +91 22 2493 1073 **E-mail:** spandanaipo@iiflcap.com **Investor grievance E-mail:** ig.ib@iiflcap.com **Website:** www.iiflcap.com **Contact Person:** Vishal Bangard/ Anant Gupta **SEBI Registration No.:** INM000010940	**JM Financial Limited** 7th Floor, Cnergy Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6630 3030 **Fax:** +91 22 6630 3330 **E-mail:** ssfl.ipo@jmfl.com **Investor grievance E-mail:** grievance.ibd@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **Contact Person:** Prachee Dhuri **SEBI Registration No.:** INM000010361	**IndusInd Bank Limited** 11th Floor, One Indiabulls Centre Tower 1 841 Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400 013, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 7143 2208 **Fax:** +91 22 7143 2270 **E-mail:** joshi.rahul@indusind.com **Investor grievance E-mail:** investmentbanking@indusind.com **Website:** www.indusind.com **Contact Person:** Rahul Joshi **SEBI Registration No.:** INM000005031	**YES Securities (India) Limited** IFC, Tower 1 & 2, Unit No. 602, A, 6th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West), Mumbai 400 013, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 3012 6776 **Fax:** +91 22 2421 4508 **E-mail:** spandana.ipo@ysil.in **Investor Grievance E-mail:** igc@ysil.in **Website:** www.yesinvest.in **Contact Person:** Nikhil Bhiwapurkar **SEBI Registration No.:** INM000012227

REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER	
KARVY FINTECH **Karvy Fintech Private Limited** (formerly known as, KCPL Advisory Services Private Limited), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, Telangana, India **Tel:** +91 40 6716 2222; **Fax:** +91 40 2343 1551, **E-mail:** einward.ris@karvy.com **Investor grievance E-mail:** spandana.ipo@karvy.com **Website:** www.karisma.karvy.com **Contact Person:** M. Murali Krishna; **SEBI Registration No.:** INR000000221	**Rakesh Jhinjharia** Plot No: 31 and 32, Ramky Selenium, Towers, Tower A, Ground Floor, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, Telangana, India **Tel:** +91 40 4812 6666; **Fax:** +91 40 4438 6640 **E-mail:** secretarial@spandanaindia.com **Website:** www.spandanaindia.com	Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, the GCBRLMs, the BRLMs or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related problems such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc.

**Pursuant to the transfer of merchant banker registration from IIFL Holdings Limited, with continuance of registration number*

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the Risk Factors on page 18 of the RHP, contained therein before applying in the Offer. Full copy of the RHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the GCBRLMs and the BRLMs, i.e. at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com, www.iiflcap.com, www.jmfl.com, www.indusind.com, www.yesinvest.in, respectively and on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORMS: Bid cum Application Forms can be obtained from the Registered Office of **SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED, Tel:** +91 40 4812 6666; **Fax:** +91 40 4438 6640. **GCBRLMs** : **Axis Capital Limited, Tel :** +91 22 4325 2183, **Fax :** +91 22 4325 3000; **ICICI Securities Limited, Tel:** +91 22 2288 2460, **Fax:** +91 22 2282 6580, **IIFL Securities Limited** (Pursuant to the transfer of merchant bankers registration from IIFL Holdings Limited, with continuation of registration number), **Tel:** +91 22 4646 4600, **Fax:** +91 22 2493 1073 and **JM Financial Limited, Tel:** + 91 22 6630 3030, **Fax:** +91 22 6630 3330 **BRLMs : IndusInd Bank Limited, Tel:** +91 22 7143 2208, **Fax:** +91 22 7143 2270 and **YES Securities (India) Limited, Tel:** +91 22 3012 6776, **Fax:** +91 22 2421 4508 and **Syndicate Member : JM Financial Services Limited, Tel:** +91 22 6136 3400, **Fax:** Not available, at the select locations of the Sub-syndicate Members (as given below), SCSBs, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. ASBA Forms will also be available on the websites of BSE and NSE and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchanges and SEBI.

Sub-Syndicate Members: Achivers Equities Limited, Ajcon Global Services Limited, Almondz Global Securities Limited, Amit Jasani Financial Services Pvt Limited, Amrapali Capital & Finance Services Limited, Anand Rathi Share & Stock Brokers Limited, Anand Share Consultancy, Anil Dhulia, ANS Pvt Limited, Ashwani Dandia & Co, Ashika Stock Broking Limited, Axis Securities Limited, Centillion Capital (P) Limited, Centrum Broking Ltd., Choice Equity Broking Private Limited, Dalal & Broacha Stock Broking Pvt Limited, DB(International) Stock Brokers Ltd., Eureka Stock & Share Broking Services Limited, G Raj & Co. (Consultants) Limited, HDFC Securities Limited, IIFL Wealth Management Limited, Indiabulls Ventures Limited, Inventure Growth & Securities Ltd., Jhaveri Securities, JM Financial Services Limited, Jobanputra Financial Services P. Ltd., Kalpataru Multiplier Limited, Kamlesh D Joshi, Karvy Stock Broking Limited, KJMC Capital Market Services Limited, Kotak Securities Limited, Lakshmishree Investment & Securities Pvt Limited, LKP Securities Limited, Marwadi Shares & Finance, Motilal Oswal Financial Services Limited, Motilal Oswal Securities Limited, MSM Enterprise, Mukesh D Joshi, Nirmal Bang Securities Pvt Limited, O J Financial Services Limited, Ohm Securities, Patel Wealth Advisors Pvt Limited, Prabhudas Liladhar Pvt Ltd., Pravin Ratilal Share & Stock Brokers Limited, Pravin Ratilal Share and Stock Brokers Limited, PRL Stock & Share Brokers Pvt Limited, RR Equity Brokers Pvt Limited, Safal Capital (India) Limited, Sharekhan Limited, SMC Global Securities Limited, SPA Securities Limited, Tanna Financial Services, Trade Bulls Securities (P) Ltd., Tradebulls Securities (P) Limited, VCK Share & Stock Broking Services Limited, Way2wealth Brokers Pvt Limited

Escrow Bank, Refund Bank, Public Offer Account Bank and Sponsor Bank: Kotak Mahindra Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For **Spandana Sphoorty Financial Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date: July 30, 2019

Spandana Sphoorty Financial Limited is proposing, subject to, applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has registered the RHP with the RoC on July 25, 2019. The RHP shall be available on the websites of SEBI, BSE, NSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the GCBRLMs, i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited, IIFL Securities Limited and JM Financial Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com, www.iiflcap.com and www.jmfl.com, respectively and on the websites of the BRLMs, i.e. IndusInd Bank Limited and YES Securities (India) Limited at www.indusind.com and www.yesinvest.in, respectively. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see ***"Risk Factors"*** beginning on page 18 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any U.S. state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the United States Securities Act of 1933, as amended (the **"U.S. Securities Act"**) and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only (1) in the United States to institutions that are "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act (**"Rule 144A"**), and (2) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act (**"Regulation S"**) and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales occur. Prospective purchasers that are "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A are hereby notified that the sellers of Equity Shares may be relying on the exemption from the provisions of Section 5 of the U.S. Securities Act provided by Rule 144A. The Equity Shares are not transferable except in accordance with all applicable laws and the restrictions described under *"Purchaser Representations and Transfer Restrictions"* of the Preliminary Offering Memorandum.

Adfactors 178

जनसत्ता

31 जुलाई, 2019

कानून का शिकंजा

निवेशकों को कम समय में मोटा मुनाफा देकर अमीर बनाने का सपना दिखाने वाली पोंजी योजनाओं पर अब लगाम कसी जा सकेगी। संसद ने 'अनियमित जमा योजनाएं विधेयक, 2019' को मंजूरी दे दी है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि नया कानून लागू होने के बाद लोगों को ठगने वाली ऐसी योजनाएं चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी। देश भर में हजारों छोटी-बड़ी चिटफंड कंपनियां और समूह इस तरह की योजनाएं चला रहे हैं और नए-नए घोटाले सामने आते रहे हैं। लेकिन ऐसी योजनाओं के घोटालेबाज इसलिए बच निकलते हैं कि पोंजी योजनाओं को लेकर अब तक कोई कड़ा कानून नहीं था। ऐसे में घोटालेबाजों को सजा नहीं मिल पाती थी। पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल, ओड़ीशा और असम में जिस तरह से बड़े पैमाने पर चल रही पोंजी योजनाओं का खुलासा हुआ और जो गिरफ्तारियां हुईं, उससे साफ है कि करोड़ों-अरबों की ऐसी ठगी बिना रसूखदारों और राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं होती। पश्चिम बंगाल में जो सारदा चिटफंड घोटाला, पर्ल समूह, रोजवैली घोटाला सामने आया, उसकी आंच राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों तक पहुंची थी। जाहिर है, जहां-जहां भी ऐसी कंपनियां चल रही हैं उनके कर्ताधर्ताओं को बचाने वाले सत्ता में मौजूद हैं।

पोंजी योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़े के अब तक करीब एक हजार मामले सामने आ चुके हैं। चौंकाने वाली यह है कि इनमें लगभग एक तिहाई मामले सिर्फ पश्चिम बंगाल के हैं। यह कारोबार इसलिए फलता-फूलता रहा कि ज्यादातर योजनाओं के निवेशक जानकारी के अभाव में शिकायत ही नहीं कर पाए और कंपनियां पैसा लेकर चंपत होती रहीं। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में सारदा, रोजवैली जैसे घोटालों का पर्दाफाश हुआ तब सरकारों की नींद खुली। पता चला कि पर्ल समूह की निवेश योजना में पांच लाख लोगों ने पैसे जमा कर रखे थे और यह रकम पचास हजार करोड़ के करीब थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, रिजर्व बैंक और सेबी जैसे नियामक सक्रिय हुए और बड़े मामलों की जांच सीबीआइ के हवाले की गई, तब जाकर लगा कि लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है। पिछले पांच साल में सीबीआइ ने पोंजी योजनाओं में घोटालों से जुड़े दो सौ मामले दर्ज किए हैं। ये आंकड़े और हकीकत बताते हैं कि भारत के शासन तंत्र में भ्रष्टाचार की कितना घुसपैठ है, जिसमें गरीब लोगों का पैसा डकारने वाले लोग बिना किसी भय से कारोबार करते रहते हैं। हाल में कर्नाटक में एक पोंजी घोटाले की जांच करने वाले आइएएस अधिकारी को डेढ़ करोड़ रुपए की घूस के मामले में पकड़ा गया। इस कंपनी का मालिक चालीस हजार निवेशकों का पैसा लेकर विदेश भाग गया।

ऐसी कई दुखद घटनाएं भी सामने आईं जब पोंजी योजनाओं में पैसा डूब जाने पर लोगों ने खुदकुशी जैसे कदम तक उठा लिए। ऐसी योजनाओं में पैसा लगाने वाले ज्यादातर लोग मध्यमवर्गीय होते हैं और अच्छे मुनाफे के लालच में कंपनियों में पैसा लगा देते हैं। ऐसे धंधे करने वाली कंपनियां इसलिए बची रहती हैं कि वे रिजर्व बैंक, सेबी जैसे नियामकों के तहत नहीं आतीं और लोगों में जागरूकता की कमी का फायदा उठाती हैं। नए कानून में कठोर उपाय किए गए हैं। लोगों को ठगने वाली योजनाएं चलाना अब आसान नहीं होगा। ऐसा करने वालों को दस साल तक की जेल और जुटाई गई रकम का दो गुना तक जुर्माना भरना होगा। अगर नियमित जमा योजना में मियाद पूरी होने पर पैसा नहीं लौटाया तो उस सूरत में सात साल जेल और पच्चीस करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कानून भले कितना कड़ा क्यों न हो, उससे ज्यादा जरूरी है ऐसे अपराधियों को संरक्षण मिलना बंद हो।

बाघ का जीवन

संरक्षित पशु के रूप में बाघों की घटती संख्या को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है और इसमें सुधार के लिए तमाम अभियान चलाए गए। लेकिन इस मसले पर कोई अच्छी खबर नहीं मिल पा रही थी। बाघों की तादाद पर आए नए आंकड़े से यह साबित होता है कि इस मोर्चे पर इतने सालों के दौरान जो कवायदें की गईं, उनका सकारात्मक हासिल अब सामने आया है। विश्व बाघ दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने 2018 में की गई गिनती के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसे इस मोर्चे पर काफी उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में बाघों की संख्या इस साल दो हजार नौ सौ सड़सठ पाई गई है। यह 2014 में बाघों की कुल संख्या के मुकाबले सात सौ इकतालीस ज्यादा है। यानी पिछले करीब पांच सालों के दौरान बाघों की तादाद में तैंतीस फीसद या करीब एक तिहाई की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जाहिर है, बाघों की कम संख्या को देखते हुए इनके संरक्षण को लेकर जिस तरह की चिंता जताई जा रही थी, उस लिहाज से ताजा आंकड़े काफी राहत भरे हैं।

गौरतलब है कि 2006 में जब बाघों की संख्या महज एक हजार चार सौ ग्यारह तक सिमट गई थी, तब इसे एक गंभीर समस्या के रूप में देखा गया था। दुनिया भर में बाघों के संरक्षण को लेकर जिस तरह के अभियान चल रहे थे, उसमें यह भारत के लिए ज्यादा असहज स्थिति और चिंता की बात थी। लेकिन उसके बाद से ही बाघों के संरक्षण और उनकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए अभयारण्यों के विस्तार से लेकर उनके अनुकूल माहौल बनाने के तमाम उपाय किए गए और इसी का हासिल है कि आज बाघों की तादाद में संतोषजनक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालांकि इस बार बाघों की गणना के लिए अट्ठाईस मानकों का उपयोग किया गया। इनमें गिनती के लिए दायरे में विस्तार से लेकर सर्वे के आकार तक में वृद्धि की गई। इसके अलावा, 2014 में जहां डेढ़ साल और इससे ज्यादा उम्र के बाघों की गिनती की गई थी, वहीं इस बार इस सर्वे में एक साल के बाघों को भी शामिल किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया भर में बाघों के लिए इतना बड़ा सर्वे किसी देश में नहीं होता है। पहले सर्वे का आकार अपेक्षया कम होता था और इसी मुताबिक गिनती पर भी इसका असर पड़ता था।

बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं कि ताजा सर्वेक्षण बाघों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी की राहत भरी खबर देता है, लेकिन सच यह है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। बाघों के पर्यावास वाले इलाकों में इंसानी आबादी के अलग-अलग तरीके से दखल की वजह से समस्या गहराती गई थी और यह चुनौती आज भी बनी हुई है। इसके अलावा, जिस सुंदरबन को बाघों के लिए सबसे मुफीद जगहों में से एक माना जाता रहा है, वहां भी बढ़ती समुद्री सतह की वजह से एक बड़े हिस्से के डूब जाने का संकट मंडरा रहा है। अगर यह स्थिति सामने आती है तो फिर बाघ मनुष्य के रिहाइश की ओर रुख कर सकते हैं। इसके बाद सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान और बाघों के बीच कैसे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। जाहिर है, ताजा उपलब्धि की गति बनाए रखने के लिए जरूरत इस बात की है कि बाघों के पर्यावास को निर्बाध बनाने के अलावा उनके संरक्षण के अन्य उपायों या विकल्पों पर भी काम किया जाए।

कल्पमेधा

लोग उतनी पूर्णता और उत्साह से बुरे काम नहीं करते, जितना धार्मिक विश्वास के वशीभूत होकर करते हैं।

-पास्कल

गरीबी और सवाल

रवि शंकर

देश में गरीबी मिटाने पर जितना धन खर्च हुआ है वह कम नहीं है। केंद्र सरकार के हर बजट का बड़ा भाग आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आवंटित रहता है, किंतु इसके अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि या तो प्रयासों में कहीं कमी है या फिर प्रतिबद्धता नहीं है, या लक्ष्यों की दिशा ही गलत है।

गरीबी एक वैश्विक समस्या है। दुनिया के ज्यादातर देश खासतौर से अफ्रीकी, एशियाई और लातिन अमेरिकी देश इससे जूझ रहे हैं। गरीबी का मतलब है गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीना। किसी भी स्वतंत्र देश के लिए गरीबी एक बहुत शर्मनाक स्थिति है। ऐसे में भारत ने अपने लोगों को गरीबी के दलदल से निकालने की दिशा में लंबी छलांग लगाई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2006 से 2016 के बीच सत्ताईस करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकला गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-06 में भारत के करीब चौंसठ करोड़ यानी पचपन फीसद लोग गरीबी में जी रहे थे। साल 2015-16 में यह संख्या घटकर सैंतीस करोड़ पर आ गई। इस प्रकार भारत ने बहुआयामी यानी विभिन्न स्तरों और दस मानकों में पिछड़े लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

यूएनडीपी की इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि गरीबी कम करने की दिशा में पहल करने वाले देशों में दुनियाभर में भारत समेत दक्षिण एशियाई देश सबसे आगे हैं। यह एक आशाजनक संकेत है कि गरीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई जीती जा सकती है। यूएनडीपी ने गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) का जो सूचकांक तैयार किया है, उसमें गौर करने वाली बात यह है कि गरीबी के दायरे से बाहर होने वालों में मुसलिम, दलित और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की संख्या काफी ज्यादा रही। पिछले एक दशक में भारत में समाज के सबसे गरीब तबके की स्थिति में सुधार आया है। खास बात यह है कि भारत में भी गरीबों के उत्थान में सबसे तेज रफ्तार झारखंड की रही है।

हाल में एक अमेरिकी शोध संस्था- ब्रूकिंग्स की ओर से भारत में गरीबी को लेकर जारी आंकड़े सरकार को सुकून देने वाले थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पिछले कुछ साल में भारत में गरीबों की संख्या बेहद तेजी से घटी है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के ऊपर से सबसे ज्यादा गरीब देश होने का ठप्पा भी खत्म हो गया है। देश में हर मिनट चवालीस लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ रहे हैं। यह दुनिया में गरीबी घटने की सबसे तेज दर है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2022 तक तीन फीसद से कम लोग ही गरीबी रेखा के नीचे होंगे। वहीं 2030 तक बेहद गरीबी में जीने वाले लोगों की संख्या देश में नहीं के बराबर रहेगी।

लेकिन विश्व बैंक इससे अलग सोचता है। उसका मानना है कि अभी भारत में दुनिया की एक तिहाई गरीब आबादी रहती है। इसमें से 32.7 फीसद आबादी ऐसी है जो सवा डॉलर (सौ रुपए से भी कम) से कम में गुजारा कर रही है। जबकि 68.7 फीसद आबादी ऐसी है, जिसे दो डॉलर (डेढ़ सौ रुपए लगभग) रोजाना से कम में गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन वर्तमान में भारत में गरीबी के मापदंड ही सवालों के घेरे में हैं। हमारे यहां गरीबी की एक नहीं, कई परिभाषाएं हैं। तेंदुलकर समिति के मानक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ताईस रुपए और शहरी क्षेत्रों में तैंतीस रुपए प्रतिदिन खर्च करने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर रखा गया और इस मानक के अनुसार गरीबी रेखा वाली आबादी में बाईस फीसद की गिरावट दर्ज की गई। यह आकलन काफी विवादास्पद रहा था। बाद में रंगराजन समिति ने इस सीमा को बढ़ा दिया, जिसमें ग्रामीण इलाकों में बत्तीस रुपए और शहरी इलाकों में सैंतालीस रुपए प्रतिदिन खर्च करने वालों को गरीबी रेखा से बाहर रखा गया और गरीबी में तीस फीसद गिरावट की बात कही गई। नीति आयोग के ताजा अनुमान के मुताबिक शहरों में पैंसठ रुपए और ग्रामीण इलाकों में बाईस रुपए बयालीस पैसे से ज्यादा रोजाना खर्च करने वाले लोग गरीब नहीं हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये आंकड़े गरीबी की परिभाषा तय करने के लिए पर्याप्त हैं?

आजादी के सात दशक बाद भी भारत में गरीब और गरीबी पर लगातार अध्ययन और खुलासे हो रहे हैं। भारत को आज भी विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है। अभी भी यहां गरीबी रेखा से नीचे बड़ी आबादी रहती है। भले हम संयुक्त राष्ट्र विकास

कार्यक्रम की रिपोर्ट से खुश हो सकते हैं कि भारत को गरीबी कम करने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है लेकिन हम इस सच्चाई से भी इनकार नहीं कर सकते कि अब भी दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं। अब भी छत्तीस करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में गरीबी झेल रहे हैं।

भारत में 1990 से 2017 के बीच सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में 266.6 फीसद का इजाफा हुआ है। क्रय क्षमता के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय करीब 4.55 लाख रुपए पहुंच गई है जो पिछले साल से 23,470 रुपए अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के चार राज्यों- बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है। गौर करने वाली बात यह है कि इन चारों राज्यों में पूरे भारत के आधे से ज्यादा गरीब रहते हैं जो करीब बीस करोड़ की आबादी है। स्पष्ट है, गरीबी न केवल भारत, बल्कि दुनिया के अन्य विकासशील व पिछड़े देशों के लिए भी अभिशाप बनी हुई है। इसीलिए अभी भी अपेक्षाकृत गरीबों की बेहतरी के लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

देश में गरीबी की दर घटने को लेकर लोगों की यह धारणा कुछ हद तक सही हो सकती है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का इसमें योगदान है। लेकिन इन योजनाओं से कितनी और किस तरह गरीबी दर में कमी आ रही है, यह दावा विवादों को ही जन्म दे रहा है। ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन और इनमें भ्रष्टाचार को सवाल उठते रहे हैं। एक तरफ तो विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था होने की आत्ममुग्धता तो दूसरी तरफ विश्व के एक तिहाई गरीबों को अपने दामन में समेटे रहने का कलंक। भारत की यह विरोधाभासी छवि वाकई सोचने को बाध्य कर देती है। बुलेट ट्रेन का सपना संजोते देश ने दूसरे देशों के उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने की क्षमता तो अर्जित कर ली, पर वह गरीबी के अभिशाप से मुक्त नहीं हो सका। देश में गरीबी मिटाने पर जितना धन खर्च हुआ है वह कम नहीं है। केंद्र सरकार के हर बजट का बड़ा भाग आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आवंटित रहता है, किंतु इसके अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि या तो प्रयासों में कहीं कमी है या फिर प्रतिबद्धता नहीं है, या लक्ष्यों की दिशा ही गलत है।

गरीबी वाकई बड़ा अभिशाप है जिसे हम सदियों से झेलते आ रहे हैं। यह कैसे और कब तक दूर होगा, यह एक विचारणीय मुद्दा है। भले ही सरकारी और गैर सरकारी प्रयास हर स्तर पर किए जाते हैं ताकि कोई भी गरीब न रहे। लेकिन काम कठिन है। यदि आबादी के बोझ से हमसे भी ज्यादा दबा चीन गरीबी से उबर सकता है तो हम क्यों नहीं? इसे दुर्भाग्य ही कहें कि भारत में हर साल गरीबी उन्मूलन और खाद्य सहायता कार्यक्रमों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फिर भी भारत की सवा सौ करोड़ की विशाल आबादी में एक चौथाई से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बेशक आज देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, फिर भी गरीबी, भुखमरी से लोग मर रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है?

समाज की संगत में

जगमोहन चोपता

दुनिया मेरे आगे

गेहूं की कटाई से खाली खेतों में जगह-जगह चूल्हे जल रहे थे। हर चूल्हे पर दो महिलाएं मुस्तैदी से रोटियां पका रही थीं। खेत के किनारे पुरुषों का झुंड सब्जी काट रहा था। इक्का-दुक्का युवा बड़े कड़ाहे में हलवा बना रहे थे। छोटे-छोटे लड़के-लड़कियां हर एक चूल्हे से बनी रोटियों को इकट्ठा कर रहे थे। कुछ बच्चे सभी को चाय बांट रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग गप मारने के साथ-साथ इन तमाम कामों पर पैनी नजर गड़ाए हुए थे। ऐसा लगता था कि किसी फिल्म के दृश्य का फिल्मांकन किया जा रहा हो। लेकिन यह सब हो रहा था पहाड़ के एक गांव में।

बीते सप्ताह एक शादी में अपने गांव चोपता जाना हुआ, जहां शाम को बरात आनी थी। बाजार के तमाम दबावों के बावजूद गांव में आज भी सहकारिता पर आधारित कामकाज जारी है। गांव के लोग बरातियों के लिए मिल कर खाना तैयार करते हैं। युवक-युवतियों द्वारा बरात के स्वागत से लेकर खाना परोसने तक के तमाम काम मिल-जुल कर किए जा रहे थे। इस प्रक्रिया में धीरे-धीरे बड़े-बुजुर्ग छंट कर मार्गदर्शक की भूमिका में चले जाते हैं तो छोटे बच्चे उनकी जगह लेने लगते हैं।

समाजीकरण का यह बहुत ही अनोखा आयोजन लगता है। इस प्रक्रिया में स्कूली बच्चे इन तमाम कामों के जरिए एक बड़े समूह के साथ संवाद करते हैं। यह संवाद इनमें समूह में काम करने का कौशल तो देता ही है, साथ में देता है खूब सारा आत्मविश्वास। यह विश्वास है काम के प्रति समर्पण का, काम के प्रति आदर का और इंसानी समाज में काम कितना महत्त्वपूर्ण है, इन सबका।

काम करते छोटे-छोटे बच्चों को देख वयस्क अंदाजा लगा लेते हैं कि किस बच्चे की किस तरह के कामों में रुचि है। वे उनमें भविष्य के कुशल भोजन बनाने, भोजन परोसने और मिल कर काम करने और जश्न मनाने वाले नागरिक को न सिर्फ देख रहे होते हैं, बल्कि उनको इस ओर बढ़ाने का भी सायास प्रयास करते हैं। यह खेतिहर समाज के बहुत जरूरी संस्थान जैसा है, जहां वे अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। इसे लेकर गांव के बड़े-बुजुर्गों का बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन भी है। मसलन, जो बच्चा इन तमाम प्रक्रियाओं में अच्छे से जुड़ता है, बड़े होकर समाज में घुलने-मिलने के साथ ही वह जो भी पेशा चुनता है, वहां वह अपने लिए बेहतर स्थान बना लेता है। ऐसा कहने के पीछे उनके पास पीढ़ियों के खूब सारे उदाहरण होते हैं।

इन तमाम पहलुओं को देखते हुए मुझे लगता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में ऐसे बच्चों के अनुभव कितने कारगर और शिक्षण को जीवंत करने वाले हो सकते हैं! शादी-ब्याह के उनके पास ढेरों उदाहरण होते हैं, जो जेंडर, जाति और विविधता के सम्मान जैसी अवधारणाओं पर समझ बनाने के लिए बहुत मुफीद लगते हैं। काम के प्रति सम्मान का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है! इतिहास में समय और परिवर्तन को बरातों में आए बदलाव के जरिए बहुत ही रोमांचक तरीके से समझा जा सकता है। साथ ही यहां भौगोलिक वजहों से खाना बनाने के तरीकों से लेकर परोसने की प्रक्रियाओं के जरिए समझना सहज हो सकता है।

इस प्रक्रिया में बच्चों को अपने समाज और वहां की प्रक्रियाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने का मौका मिल पाएगा। गांवों में समय के साथ-साथ इन प्रक्रियाओं में क्या-क्या बदलाव आए? बदलाव के कारण क्या रहे और आने वाले दिनों में किस तरह का बदलाव हो सकता है? ऐसे सवालों के जवाब तलाशने में मददगार होंगे, जिससे इतिहास, भूगोल की दक्षताओं पर बच्चे सहजता से समझ बना पाएंगे। समाज में हो रहे इस तरह के बेहतर प्रयासों को जब कक्षाओं में स्थान मिलता है तो बच्चों को भी महसूस होता है कि उनके समाज में होने वाले काम कितने महत्त्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही शादियों में खुलेआम शराब परोसने, दिन-प्रतिदिन महंगी होती शादियां, दहेज जैसी बुराइयों पर भी आलोचनात्मक विश्लेषण के खूब मौके मिलते हैं। स्थानीय संदर्भों पर कक्षा में होने वाले संवाद से बच्चों में एक सजग भावी नागरिक के रूप में मुकम्मल समझ बनेगी, जिससे वे अपने स्तर पर अपने गांवों में जहां बेहतर कामों को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे, वहीं कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए संवाद और जागरूकता फैलाने के साथ ही इनसे विमुख भी हो पाएंगे।

उत्तराखंड के बहुत से सरकारी स्कूलों में खोजबीन विधा पर आधारित बाल शोध मेलों के जरिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां बच्चे अपनी पाठ्य-पुस्तकों की विषय-वस्तु पर सवाल तैयार करते हैं। इनके जवाब समुदाय की मदद से खोजते हैं और स्कूल में एक दिन बाल शोध मेले का अयोजन करते हैं। इस आयोजन में वे अपने शोध को प्रस्तुत करते हैं। बाल शोध विधा द्वारा शिक्षण करने वाले शिक्षक साथियों के अनुभव बताते हैं कि बच्चे इन प्रक्रियाओं में सवाल बनाने, डाटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रस्तुतिकरण जैसे कौशल सहजता से सीखते हैं। इस तरह की प्रक्रियाओं में समुदाय का स्कूल से जुड़ाव और मजबूत होता है जो विद्यालय विकास के लिए बहुत कारगर है।

बदलाव के बरक्स

कश्मीर एक बार फिर चर्चा में है। वैसे तो सालभर वह किसी न किसी वजह से टीवी की बहसों, खबरिया चैनलों की 'ब्रेकिंग न्यूज' तो कभी अखबारी सुर्खियों में रहता है। कभी अलगाववादी पाकिस्तान जाने की बात कहते हैं तो कभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के छापों से बिलबिला पड़ते हैं। कभी हमारे जवानों के आतंकियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त होने की दुखद खबर खबरें आती हैं तो कभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने की कामयाबी हमारे वीरों के खाते में दर्ज होती है। कभी इन्हीं जवानों द्वारा कश्मीर के बच्चों को पढ़ाने से लेकर उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने के लिए सेना और प्रशासनिक सेवाओं में जाने की निशुल्क कोचिंग मुहैया कराने की सकारात्मक खबरें भी आती हैं। इस सबसे लगता है कि कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है। वहां लोग अब बंदूक छोड़कर कलम पकड़ रहे हैं और बम की जगह विकास की बातें कर रहे हैं। पर उसी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री कह रही हैं कि अनुच्छेद 35 के साथ छेड़छाड़ बारूद को चिंगारी दिखाने जैसी होगी। आखिर क्या कारण है कि घाटी में महज दस हजार सैनिक बढ़ाए जाने की बात सुन कर महबूबा मुफ्ती इतनी आग-बबूला हो रही हैं?

दरअसल, अनुच्छेद 35 के जरिए घाटी के कट्टरपंथी अलगाववादी और सियासतदान अपनी राजनीति की दुकानें चलाते रहे हैं। इन्होंने कश्मीरियों की पढ़ाई-लिखाई और रोजगार बंद कर दिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में। इन्हीं के बच्चे सीमा पार से आ रहे पैसे से विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये चंद लोग बात-बात पर कश्मीरियों को उकसा कर, बहला-फुसला कर आतंकी और जिहादी भी बना रहे हैं। इन्हीं की करतूतों के कारण कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी पूरी तरह से भारत का नहीं लगता है। मौजूदा केंद्र सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है वहां के सभी लोगों तक पहुंचने के लिए। हाल ही में 'मन की बात में' प्रधानमंत्री ने कश्मीर में चलाए जा रहे 'बैक टू विलेज' कार्यक्रम की तारीफ की। इसके तहत कश्मीर के शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा में अधिकारियों ने एक रात और दो दिन बिताए ताकि आम कश्मीरियों को विश्वास दिलाया जा सके कि सरकार को उनकी फिक्र है और वे खुद को भारत से अलग न समझें। ऐसे छोटे मगर प्रभावी कदमों के कारण ही आज कश्मीर का परिदृश्य धीरे-धीरे बदल रहा है।

इससे जहां सालों पहले अपनी जन्मभूमि छोड़ गए कश्मीरी पंडित वापस आ रहे हैं तो वहीं पिछले वर्ष कश्मीर का बारामुला जिला पिछले सत्तर सालों में पहली बार आतंक मुक्त जिला घोषित हुआ है।

अफसोस की बात है कि कुछ लोगों को यह बदलाव रास नहीं आ रहा है। एक तरफ अमरनाथ यात्रा में रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु देश के कोने-कोने से पहुंच रहे हैं तो दूसरी ओर कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि अमरनाथ यात्रा से कश्मीरियों को दिक्कत होती है। कौन नहीं जानता कि पर्यटन कश्मीर के लोगों की जीवन रेखा है। अगर किसी राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो वहां रोजगार भी बढ़ता है और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। पर सत्ता को सेवा की जगह सिर्फ मेवा का जरिया समझने वालों को यह बात कहां समझ आएगी? वे तो चाहते हैं कि आम कश्मीरी अनपढ़ रहे, देश-दुनिया से कटा रहे। पिछले वर्ष पंचायत चुनाव को लेकर भी महबूबाजी का विरोध था पर क्यों, इसका कोई जवाब नहीं मिला। क्या पंचायतों का गठन नहीं होना चाहिए? कश्मीर के लोगों ने 71 फीसद मतदान कर और पंचायत चुनाव में बढ़-चढ़कर भाग लेकर बता दिया कि वे धमाकों की धमकी से नहीं डरने वाले और कश्मीर की वह पुरानी प्रतिष्ठा बहाल करना चाहते हैं जब उसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था।

● *देवानंद राय, दिल्ली*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कैसा समाज

एक सांसद ने आदतन संसद में एक महिला सांसद पर तंज किया। हमें बहुत बुरा लगा। मीडिया आहत! समाज आहत! होना भी चाहिए।

एक विधायक महोदय बलात्कार के आरोप में सलाखों के पीछे सुरक्षित हैं। जबकि उधर पहले पीड़िता के बाप को मारा गया, फिर एक गवाह का काम तमाम हुआ और फिर चाचा को जेल में प्रताड़ित किया गया। इसके बाद की कहानी में संयोग कुछ ऐसा बना कि अचानक एक ट्रक पीड़िता की गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी चाची और मौसी मौके पर ही हलाक हो जाती हैं। वकील और खुद पीड़िता मरणासन्न हैं। लेकिन बेहद मासूम हम बाकायदा 'कन्फ्यूज' हैं कि ये घिनौनी हरकतें कौन कर सकता है; कि इस मुसल्सल घटनाक्रम का लाभार्थी कौन हो सकता है!

घिन आती है कि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं जिसे घृणित कामों से कोई खास सरोकार नहीं है, बल्कि उसकी लानत-मलामत तो इस बात से तय होती है कि उन्हें अंजाम देने वाला व्यक्ति विशेष कौन है!

● *राहुल मिश्रा, चिरगांव, झांसी*

खुद से शुरुआत

अगर हम 250 ग्राम का मोबाइल और 300 ग्राम का 'पावर बैंक' अपनी जेब में रख सकते हैं तो 30 ग्राम का कपड़े का थैला क्यों नहीं? बढ़ता हुआ प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग और इसके खतरों पर चिंता तो सब जताते हैं लेकिन उसे रोकने या कम करने के लिए आज तक कितनों ने क्या किया? ग्राहक दुकानदार से कपड़े का थैला रखने को कहता है और दुकानदार ग्राहक को थैला साथ लाने के लिए कहता है। दुकानदार को कपड़े के थैले में सामान देना महंगा सौदा लगता है और पर्यावरण के लिए वह यह नुकसान सह ले, ऐसे निस्वार्थी दुकानदार बहुत कम हैं।

तो क्यों न शुरुआत हम खुद से करें! क्यों न हम सब्जी, फल या अन्य सामान लेने के लिए घर से कपड़े का थैला ले जाना शुरू कर दें? गाय, व्हेल मछलियां जैसे हजारों अन्य जीव-जंतुओं की हर साल प्लास्टिक खाने से मौत हो जाती है। गंदगी हम लोग फैलाते हैं और उसकी कीमत मासूम जीव-जंतुओं को चुकानी पड़ती है! क्या यह उचित है? क्या हमें यह सब रोकना नहीं चाहिए? अगर रोकना चाहते हैं तो सिर्फ एक तीस ग्राम का कपड़े का थैला अपने साथ रखना है ताकि प्लास्टिक से दूरी बनाए रखें। शुरुआत आज, अभी से करें।

● *संदीप राणा, जामिया मिल्लिया, दिल्ली*

बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर

उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53 हजार 483 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें से 38 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र है। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का विशेष योगदान है। उत्तराखंड के जंगलों का वातावरण बाघों के अनुकूल है। यही कारण है कि बीते कुछ सालों में यहां बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बाघों की संख्या को बनाया रखना एक बड़ी चुनौती है।

इंटरनेट ठगी का नया तरीका

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली।

देश/दिल्ली

- नाइजीरियाई मूल के निवासी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बनाते हैं शिकार
- अब ऐप डाउनलोड करा कर या फिर खरीदारी के नाम पर की जा रही है ठगी
- साइबर सेल को गिरोह की लॉकेशन जुटाने के लिए करनी पड़ती है काफी मशक्कत
- झारखंड का जामताड़ा जिला ऑनलाइन ठगी का बन चुका है अड्डा, दर्जनों गिरोह बेहद सक्रिय

ऑनलाइन ठगी के मामले दिनों-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठगों ने अपना जाल विदेशों में भी फैलाया हुआ है। यही कारण है कि ठगों के बारे में सुराग जुटाना पुलिस विभाग के साइबर सेल के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। अब ठग गिरोह के सदस्य नए-नए तरीकों से लोगों की जमापूंजी चंद मिनटों में चट कर रहे हैं। कहीं खरीदारी करने के नाम पर ठगी तो कहीं ऐप डाउनलोड करवा कर धोखाधड़ी हो रही है। बीती 10 जुलाई को दिल्ली के वसंत कुंज उत्तरी थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां महिला प्रोफेसर विष्णु प्रिया पांडेय से एक नामी शॉपिंग मॉल में ऑनलाइन खरीदारी करने के नाम पर एक लाख रुपए की ठगी कर ली गई। खरीदारी के लिए उनके पास एक लिंक आया था, जिसे भरते ही चंद मिनटों में 49-49 हजार रुपए दो बार और एक बार 10 हजार रुपए उनके खाते से उड़ा लिए गए।

इसी प्रकार से 29 जून को मध्य प्रदेश के सागर में मोबाइल ऐप से ऑनलाइन ठगी की गई। ठगी के शिकार कारोबारी को पहले फर्जी कॉल सेंटर के जरिए 'एनीडेस्क' के नाम से एक खास तरह की ऐप डाउनलोड कराई गई। इसके बाद पीड़ित का गूगल पे अकाउंट हैक किया गया। बाद में फोन पर बात करते हुए दो मिनट में 75 हजार रुपए खाते से गायब कर दिए गए। खास बात यह है कि इसके लिए ठगों ने पीड़ित से न तो उसके बैंक खाते की जानकारी मांगी और न ही ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के बारे में पूछा। दरअसल एनीडेस्क ऐप को डाउनलोड करने के दौरान एक नौ अंकों (डिजिट) का एक कोड दिया जाता है। ऑनलाइन ठगी करने वाले पीड़ित से यह कोड लेते हैं। फिर ऐप पर परमिशन मांगी जाती है। जैसे ही पीड़ित परमिशन देता है। फोन का रिमोट एक्सेस हैकर को मिल जाता है। फिर वह मोबाइल में पहले से मौजूद बैंकिंग ऐप से पैसा गायब कर देता हैं।

नाइजीरिया के निवासी सक्रिय

दिल्ली पुलिस की माने तो ठगी में विदेशियों का बड़ा हाथ है। समय-समय पर ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जाता है। बड़े शहरों में नाइजीरियाई ठगी के धंधे में काफी सक्रिय हैं। ये विदेशी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्हें कम समय में अधिक रुपए कमाने का लालच देते है और उनके साथ मिल कर लोगों के साथ ठगी की जाती है। बीते चार जून को दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ही नाइजीरियाई आर्थर ओकेके (33) को गिरफ्तार किया था, जिसने विकासपुरी के एक बुजुर्ग से करीब 35 लाख 80 हजार रुपए ठग लिए थे। ठगी मामले में लिप्त नाइजीरियाई की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस करती रहती है। हैरानी की बात यह है कि कई विदेशियों के वीजा और पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी होती है।

पूर्व न्यायधीश हो चुके हैं शिकार

ऑनलाइन ठगी का शिकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरएम लोढ़ा भी हुए हैं। नौ अप्रैल को ठगों ने उनका ई-मेल आइडी हैक कर उनसे एक लाख रुपए का ठगी कर ली। ठगों ने उन्हें उनके दोस्त बीपी सिंह की मेल आइडी से मेल कर भाई के बीमार होने की जानकारी दी थी और एक लाख रुपए का ट्रांसफर करने को कहा था। पूर्व न्यायाधीश ने दो बार में यह रुपए बताए गए खाते में ट्रांसफर किए थे। यही नहीं, महानायक अमिताभ बच्चन को भी ठगी का शिकार होना पड़ा है। ठगों ने उनके खाते से पांच लाख रुपए की ठगी की थी, जिसके तार झारखंड के जामताड़ा से जुड़े होने का पता चला था।

झारखंड का जामताड़ा ठिकाना

दिल्ली पुलिस की माने तो तो भले ही नाइजीरियाई मूल के निवासी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लोगों की जमापूंजी पर हाथ साफ कर रहे हैं, लेकिन ठगी के अधिकतर मामले झारखंड के जामताड़ा के करमाटांड इलाके से जुड़े होते हैं। 70-80 फीसद ठगी के मामलों में मोबाइल फोन के लॉकेशन या फिर इंटरनेट के आइपी एड्रेस जामताड़ा के आसपास के इलाकों के मिलते हैं। यह इलाका ठगों का गढ़ बन गया है। हालांकि, बीते साल 2018 के 24 मई को ठगों के मास्टर माइंड राम कुमार मंडल को गिरफ्तार किया था, जो इलाके में हेलो मास्टर के नाम से जाना जाता है। यह आरोपी लोगों से फोन पर संपर्क साधता था और बातचीत कर उनका विश्वास जीत लेता था। मात्र 10 सेकेंड में पीड़ित के खाते से एक लाख 85 हजार रुपए उड़ा लिए थे। हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ई-वॉलेज के सर्विस प्रोवाइडर की मदद से पीड़ित के 40 हजार रुपए मंगा लिए थे, जिन ई-वॉलेट में आरोपी ने रुपए ट्रांसफर किए थे।

साइबर सेल काफी सक्रिय है

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल का कहना है कि ठगी करने वाले गिरोह नए-नए तरीके अपनाते रहते हैं। साइबर सेल ठगों की हर गतिविधियों पर नजर रखती है। समय-समय पर ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया जाता है और आरोपियों को पकड़ा जाता है।

परामर्शदाता की भूमिका में होंगे विद्यार्थी

आशीष दुबे
नोएडा।

उत्तर प्रदेश

यूपी के डिग्री और स्नातकोत्तर महाविद्यालय साप्ताहिक परामर्श केंद्रों के नए कलेवर में दिखाई देंगे। जहां पर परामर्शदाता (कंसल्टेंट) की भूमिका में स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं रहेंगे। जीएसटी पंजीकरण, आयकर रिटर्न, बीमा, सरकारी योजनाओं, बैंक से ऋण लेने की जानकारी, अकाउंटिंग की बारीकियां, साझेदारी या करार की शर्तों समेत अन्य बिंदुओं पर लोगों को पूरी और सटीक जानकारी मिलेंगी। संबंधित विषय के शिक्षक भी इन केंद्रों में मौजूद रहकर मार्गदर्शन करेंगे। जानकारों का मानना है कि इस तरह के निःशुल्क परामर्श केंद्र मझोले कारोबारियों समेत जानकारी प्रदान करने वाले छात्र-छात्राओं के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने में भी खासा सहायक होंगे।

मेरठ एवं सहारनपुर मंडल के उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए यह अनूठी पहल की है। इसके तहत महाविद्यालयों में प्रत्येक संकाय में प्रत्येक शनिवार को एक घंटे के लिए निःशुल्क परामर्श केंद्र संचालित किया जाएगा। ताकि विद्यार्थियों की योग्यता और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त ज्ञान का समाज के सभी वर्गों द्वारा उपयोग हो सके।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि सरकारी कॉलेजों को केवल डिग्री देने तक सीमित ना रखकर विद्यार्थियों के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। मेरठ और सहारनपुर मंडल में कुल 18 सरकारी, 50 अशासकीय अनुदानित और 1002 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं। इनमें तीन लाख छात्र-छात्राएं विभिन्न विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं। संचालित होने वाले परामर्श केंद्रों में दो विद्यार्थी स्नातकोत्तर स्तर और तीन विद्यार्थी स्नातक अंतिम वर्ष के नामित करने के लिए एक रोस्टर बनाया जाएगा। संकाय के शिक्षक भी वहां मौजूद रहकर सहयोग प्रदान करेंगे। परामर्श केंद्र पर एक रजिस्टर रखकर किए गए कार्यों का विवरण रखा जाएगा। इन परामर्श केंद्रों पर वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी मझोले दुकानदार, आयकर, विपणन से संबंधित, स्वास्थ्य एवं विज्ञान संबंधी परामर्श विज्ञान संकाय में और मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, आर्थिक विषयों संबंधी परामर्श कला संकाय से प्राप्त कर लाभांवित होंगे।

डॉ. गुप्ता के मुताबिक इस योजना के अगले चरण में कॉलेजों और उद्योगों के बीच करार कराने की योजना है, ताकि उद्योग अपनी जरूरत के आधार पर विद्यार्थियों को ढाल सके और पढ़ाई के अलावा प्रायोगिक जानकारी देने अल्प अवधि वाले सत्र (शॉर्ट टर्म कोर्स) शुरू किए जाएंगे। साथ ही सरकारी विभागों के अधिकारियों को भी जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मसलन बीमा, जीएसटी, भविष्य निधि, अकाउंट, शेयर, फिजियोथैरेपी जैसे विषयों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए उनके क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों/ कार्यालयों के साथ समझौता किया जाएगा। जो इन छात्र- छात्राओं को तीन से चार महीने अवधि के प्रशिक्षण सत्रों में प्रायोगिक जानकारी देंगे। प्रायोगिक जानकारी होने से पढ़ाई या डिग्री मिलने पर ऐसे विद्यार्थियों को नौकरी मिलने में आसानी होगी।

मेरठ और सहारनपुर मंडल के सभी राजकीय एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को मौजूदा शैक्षिक सत्र से साप्ताहिक निःशुल्क परामर्श केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। स्व वित्त पोषित महाविद्यालयों में भी ऐसे केंद्र खोले जाने चाहिए। ताकि विद्यार्थियों को सैद्धांतिक के साथ ८

- डॉ. राजीव कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ एवं सहारनपुर मंडल

वन माफिया से बाघों के आश्रय स्थल बचाना बड़ी चुनौती

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

उत्तराखंड

उत्तराखंड के जंगलों में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2018 में बाघों की गणना के बाद अब सूबे में इनकी संख्या बढ़कर 442 हो गई है, जो 2014 की गणना से 102 ज्यादा है। 2014 में उत्तराखंड में 340 बाघ थे। बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड मध्यप्रदेश और कर्नाटक के बाद तीसरे नंबर पर है। जबकि राज्य के क्षेत्रफल के घनत्व के हिसाब से उत्तराखंड पहले स्थान पर है। वहीं सभी टाइगर रिजर्व पार्कों में बाघों की तादाद के हिसाब से जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क पहले स्थान पर है। उत्तराखंड के जंगलों में 2006 में 179 और 2010 में 227 बाघ थे। बारह साल में उत्तराखंड में बाघों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है।

उत्तराखंड के वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाघों के आश्रय स्थलों को वन माफिया से बचाना है। अवैध रूप से जंगलों में शिकार करने वाले वन्य जीव तस्करों से भी बाघों की हिफाजत करना एक बड़ी चुनौती है। वहीं जंगल के समीप बसे गांवों में बाघों की बढ़ी आबादी के कारण वन्य जीव और मानव संघर्ष में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

पिछले दिनों जिम कार्बेट पार्क की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र में एक बाघिन को गांव वालों ने सामूहिक रूप से हमला करके मार दिया था। 2016 में उत्तरप्रदेश की सीमा से लगे राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में बाघों की पांच खाले पकड़ी गई थीं। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं और यहां वन्य जीव तस्कर और वन माफिया काफी सक्रिय है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में इसकी स्थापना बाघों के अस्तित्व को बचाने के लिए हैली राष्ट्रीय पार्क के तौर पर की गई थी।

राज्य सरकार ने बाघों की सुरक्षा के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। राज्य की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां बाघों समेत अन्य वन्य जीवों के अनुकूल है। राज्य में बाघों की तादाद बढ़ने से राज्य का नाम राष्ट्रीय फलक पर तेजी से उभरा है। जो राज्य के लिए गौरव की बात है।

-हरक सिंह रावत, उत्तराखंड के वन मंत्री

राज्य में बाघों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वह वन विभाग की चौकस सुरक्षा व्यवस्था और जन सहयोग के कारण हुआ है। बाघों की संख्या और बढ़ेगी। अब हमारा लक्ष्य अगली गणना के समय पूरे देश में सर्वोच्च स्थान हासिल करने का रहेगा।

-जयराज, उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक

बाद में इस पार्क को बसाने में अहम भूमिका निभाने वाले जिम कार्बेट के नाम पर रखा गया। यह पार्क नैनीताल जिले के रामनगर नगर क्षेत्र के पास है। बाघ परियोजना के तहत आने वाला यह पहला पार्क है।

यह पार्क राम गंगा की पातलीदून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है जिसके तहत 821.99 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट बाघ संरक्षित क्षेत्र है। वहीं 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी और इसे 2015 में बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजाजी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व पार्क घोषित किया गया।

'उत्तराखंड के जंगलों का वातावरण बाघों के अनुकूल है। हालांकि जंगल के आसपास जिस तरह आबादी का दबाव बढ़ रहा है, वह एक बड़ी चुनौती है।

20 हजार गांवों में सरकारी बस सेवा नहीं

राजीव जैन
जयपुर।

राजस्थान

देश की आजादी के 72 साल बाद भी राजस्थान की ग्रामीण आबादी की पहुंच सरकारी बसों तक नहीं है और मजबूरन उन्हें सफर तय करने के लिए निजी बसों की सुविधाएं लेनी पड़ रही है। राज्य के 20 हजार गांव अब भी सरकारी बस सेवा से वंचित है। इन इलाकों को बस सेवा से जोड़ा जाए तो सरकार को 2 हजार बसों की जरूरत होगी। वहीं, राजस्थान रोडवेज की हालत बहुत खराब है और मौजूदा समय में साढ़े चार हजार करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है।

राजस्थान की सार्वजनिक परिवहन सेवा पूरी तरह से लूट खसोट का अड्डा बन चुकी है। प्रदेश में दस साल पहले सभी ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने की कवायद भी शुरू हुई थी। लेकिन निजी बस ऑपरेटरों के दबाव और रोडवेज के लगातार घाटे में चलने के कारण सरकार की योजना धरी की धरी रह गई। नौकरशाही की लापरवाही के कारण प्रदेश की परिवहन सेवा पूरी तरह से निजी हाथों में पहुंच गई है।

2012 में हुए एक सर्वे में यह सामने आया था कि राज्य में 5 हजार ग्राम पंचायत मुख्यालय बस सेवा से वंचित है। इनमें से करीब साढ़े चार हजार पंचायतों में सड़कों की जो हालत थी उसके मुताबिक उन्हें ग्रामीण बस सेवा से जोड़ा जा सकता था। इसके लिए बस संचालन पीपीपी मॉडल बनाकर 244 कलस्टर बनाए गए और उनके लिए निविदा भी मांगी गई थी। फिर ग्रामीण बस सेवा से वर्ष 2013 में 2428 पंचायतों को जोड़ा गया। निजी बस ऑपरेटर की 440 बसों के जरिए 1525 ग्राम पंचायत और रोडवेज से 903 पंचायतों को जोड़ा गया। इसके बाद भी 3 हजार ग्राम पंचायतें बसों से वंचित रह गईं। घाटे की वजह से सरकार ने इन मार्गों पर बसों का संचालन सात साल पहले ही बंद कर दिया है। रोडवेज ने इन बसों का संचालन ग्रामीण इलाकों से बंद कर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर शुरू कर रखा है।

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि 'सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सस्ती और सुविधाजनक बस सेवा उपलब्ध कराने के प्रयास में लगी हुई है। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बस स्टैंड निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए भूमि का निशुल्क आबंटन करवाने की नीति बनाई जा रही है। रोडवेज का घाटा चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। राजस्थान रोडवेज को फिर से पटरी पर लाने के तमाम प्रयास किए जा रहे है। इसके लिए रोडवेज के श्रमिक और कर्मचारियों के संगठनों से निरंतर संवाद किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सार्वजनिक परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को बसों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए रोडवेज में नई बसों की खरीद के साथ निजी बस मालिकों को भी आगे लाया जाएगा।

दूसरी तरफ राजस्थान रोडवेज श्रमिक और कर्मचारी संगठनों के संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष एमएल यादव का कहना है कि प्रदेश में किसी भी दल की सरकार हो, उसकी मंशा यह कभी नहीं रही कि सार्वजनिक परिवहन सेवा को मजबूत किया जाए। रोडवेज में रिटायर श्रमिकों और कर्मचारियों को उनके पेंशन के साथ ही अन्य परिलाभ तक नहीं दिए जा रहे है। रोडवेज के श्रमिक संस्थान को बचाने के लिए लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे है। सरकार पूरी तरह से रोडवेज की मदद करें तो निश्चित ही प्रदेश के सभी ग्रामीण अंचलों में लोगों को सस्ती और सुविधाजनक परिवहन बस सेवा मुहैया हो सकती है।

बच्चा-बच्चा बनेगा 'सौर राजदूत'

सुशील राघव
नई दिल्ली।

चेतन सिंह सोलंकी

देश

'महात्मा गांधी के जन्मदिन वाले दिन यानी 2 अक्तूबर 2019 को दुनिया भर के 10 लाख विद्यार्थी एक साथ सौर लैंप बनाएंगे।

'26 दिसंबर 2018 को साबरमती आश्रम से 'गांधी वैश्विक सौर यात्रा' की शुरुआत की।

'इसके लिए गांधी वैश्विक सौर यात्रा की वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है।

हर लैंप को बनाने में 510 रुपए का खर्च आएगा और यह खर्च बच्चे को ही वहन करना होगा। सौर लैंप बनाने के लिए बच्चे को पूरी किट उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों को उनके शिक्षक प्रशिक्षण देंगे। शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश और विदेश में 5000 से अधिक स्थानों पर एक साथ सौर लैंप बनाने का कार्य होगा। इसमें भाग लेने वाले सबसे अधिक भारतीय ही होंगे।

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन इसके उदाहरण देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। किसी स्थान पर इतनी अधिक बारिश हो रही है कि बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है तो किसी स्थान पर लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि (आइपीसीसी 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक) हमें 2050 तक पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना होगा। अन्यथा पृथ्वी की हालत और खराब होगी। इस समस्या को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने विद्यार्थियों को 'सौर राजदूत' बनाने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्तूबर 2019 को दुनिया भर के 10 लाख विद्यार्थी एक साथ सौर लैंप बनाएंगे।

सौर ऊर्जा में पीएचडी प्रोफेसर सोलंकी कहते हैं कि वह 20 सालों से लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे अब तक सैकड़ों महिलाओं को सौर ऊर्जा के कार्य से जोड़ चुके हैं। ये महिलाएं न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव ला रही हैं बल्कि अपनी जिंदगी को भी बदल रही हैं। प्रोफेसर सोलंकी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले विनाश के बारे में 99.9 फीसद लोगों को जानकारी ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर तापमान बढ़ता है तो उससे बनने वाली विकट परिस्थितियों का सामना आज के युवाओं को ही करना होगा। इसलिए क्यों ना नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने में इन्हीं को शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि गांधी जी से प्रेरणा लेकर इसी उद्देश्य से उन्होंने 26 दिसंबर 2018 को साबरमती आश्रम से 'गांधी वैश्विक सौर यात्रा' की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने 30 देशों की यात्रा की और अंतिम चरण में वे भारत के 30 शहरों की यात्रा पर हैं। इस क्रम में प्रोफेसर सोलंकी 24 जुलाई को आइआइटी कानपुर भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहां पर विद्यार्थियों को सौर ऊर्जा के फायदों के बारे में बताया। इस यात्रा का समापन 15 अगस्त 2019 को साबरमी आश्रम में ही होगा।

प्रोफेसर सोलंकी ने बताया कि इस अभियान के तहत 2 अक्तूबर 2019 को आयोजित होने वाली 'विद्यार्थी सौर राजदूत कार्यशाला' के लिए गांधी वैश्विक सौर यात्रा की वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई की 2 अक्तूबर तक सौर लैंप बनाने के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या दस लाख को पार कर जाएगी। प्रोफेसर सोलंकी ने बताया कि अभी तक हम सभी सोचते हैं कि सौर लैंप गांवों या बिजली की पहुंच से दूर वाले स्थानों के लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सौर लैंप हर उस बच्चे के लिए जरूरी है जो पृथ्वी के भविष्य को उज्ज्वल देखना चाहता है।

हर लैंप को बनाने में 510 रुपए का खर्च आएगा और यह खर्च बच्चे को ही वहन करना होगा। सौर लैंप बनाने के लिए बच्चे को पूरी किट उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों को उनके शिक्षक प्रशिक्षण देंगे। शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश और विदेश में 5000 से अधिक स्थानों पर एक साथ सौर लैंप बनाने का कार्य होगा। इसमें भाग लेने वाले सबसे अधिक भारतीय ही होंगे। इआइटी बॉम्बे के अलावा केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, टेरी, आर्ट ऑफ लिविंग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आदि का भी सहयोग मिल रहा है।

कॉलेजियम ने 16 स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 16 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की और चार अतिरिक्त न्यायाधीशों के मामले में मिली सिफारिश पर निर्णय स्थगित कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एनवी रमण की तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने कहा कि उसने शीर्ष अदालत के सहयोगी न्यायाधीशों की राय, निर्णय आकलन समिति की रिपोर्ट, राज्य सरकार के दृष्टिकोण और न्याय विभाग की टिप्पणी पर विचार किया है।

कॉलेजियम ने कहा कि जिन नामों की सिफारिश की गई थी, उसमें से कुछ के आचरण और व्यवहार से संबंधित चुनिंदा अपुष्ट जानकारियां भी हैं।

कॉलेजियम ने इन अपुष्ट जानकारियों के बारे में कहा कि हमारी राय में, इन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें कोई दम नजर नहीं आया। कॉलेजियम ने जिन न्यायाधीशों को स्थायी बनाने की सिफारिश की है, उनमें न्यायमूर्ति राजीव जोशी, सलील कुमार राय, जयंत बनर्जी, राजेश सिंह चौहान, सरल श्रीवास्तव, जहांगीर जमशेद मुनीर, राजीव गुप्ता, सिद्धार्थ, अजित कुमार, रजनीश कुमार, अब्दुल मोइन, दिनेश कुमार सिंह, राजीव मिश्रा, विवेक कुमार सिंह, चंद्रधारी सिंह और अजय भनोट शामिल हैं।

कॉलेजियम ने जिन चार नामों पर निर्णय स्थगित किया है, उनमें न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी, इरशाद अली, नीरज तिवारी और वीरेंद्र कुमार शामिल हैं। कॉलेजियम ने स्पष्ट किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अतिरिक्त जानकारी मिलने पर विचार किया जाएगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की कॉलेजियम ने 18 फरवरी को 19 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश शीर्ष अदालत से की थी। हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए सारे नामों पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सहमति थी।

23 दिन में जारी हुआ सीटेट का परिणाम, 3.52 लाख छात्र सफल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से मंगलवार को केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटेट) के परिणाम की घोषणा की गई। 7 जुलाई को आयोजित हुई इस परीक्षा में 3.52 लाख उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। बोर्ड की ओर से इस परीक्षा का परिणाम रिकार्ड समय 23 दिन में जारी किया गया है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई और पास होने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी। वहीं सीबीएसई के सचिव और सीटेट के निदेशक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि बारहवें संस्करण के लिए 29.22 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 23.77 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा का आयोजन 104 शहरों के 2942 केंद्रों पर किया गया था। 3.52 में से 2.15 लाख उम्मीदवार पहले पेपर (कक्षा 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए) और 1.37 लाख उम्मीदवार दूसरे पेपर (कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए) में पास हुए हैं। सभी सफल उम्मीदवारों को अंकपत्र और योग्यता प्रमाणपत्र डिजीलॉकर में उपलब्ध कराया जाएगा।

रतुल पुरी के 254 करोड़ के 'बेनामी शेयर' जब्त, तार अगस्ता वेस्टलैंड मामले से जुड़े

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

आयकर विभाग ने रतुल पुरी के 254 करोड़ रुपए मूल्य के 'बेनामी शेयर' जब्त किए हैं। उन्हें यह शेयर कथित तौर पर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले के एक संदिग्ध से फर्जी कंपनी के माध्यम से प्राप्त हुए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। रतुल पहले से कर अपवंचना और धन शोधन के आरोपों में कर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों ने बताया कि बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम की धारा 24(3) के तहत विभाग के दिल्ली स्थित कार्यालय ने इन शेयर या 'गैर-संचयी अनिवार्य तौर पर परिवर्तनीय प्राथमिकता शेयर' (सीसीपीएस) को जब्त करने का अस्थायी आदेश जारी किया। यह राशि ऑप्टिमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के तौर पर स्वीकार की गई। ऑप्टिमा इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध रतुल पुरी के पिता दीपक पुरी द्वारा प्रवर्तित कंपनी मोजर बेयर से है।

आयकर विभाग का आरोप है कि 254 करोड़ रुपए का निवेश समूह की एक अन्य कंपनी एचईपीसीएल द्वारा सौर पैनलों के आयात का अधिक बिल दिखाकर किया गया। इसके लिए दुबई के राजीव सक्सेना की एक कागजी कंपनी की मदद ली गई। सक्सेना अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर घोटाले में आरोपी है। उसे जनवरी में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सक्सेना को गिरफ्तार कर चुका है। जबकि रतुल पुरी से मामले में पूछताछ चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि रतुल पुरी को इन बेनामी शेयरों का लाभ प्राप्त हुआ और उन पर उपयुक्त कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन बेनामी शेयर और अवैध कोष को सक्सेना ने रतुल पुरी की ओर से तीसरे पक्ष द्वारा भेजी जाने वाली राशि के तौर पर प्राप्त किया। बाद में इसे मॉरीशस स्थित एक मुखौटा कंपनी रिजेल पावर लिमिटेड के माध्यम से वापस भारत भेज दिया गया। बाद में ऑप्टिमा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेशित 254 करोड़ रुपए के शेयरों को 'तत्काल' समूह की अन्य कंपनी यूनोकॉन इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में हस्तांतरित कर दिया गया।

महाराष्ट्र : कांग्रेस और राकांपा के चार विधायकों ने दिया इस्तीफा

मुंबई, 30 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र में विपक्षी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के चार विधायकों ने मंगलवार को राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इन विधायकों के भाजपा में शामिल होने की अटकले हैं।

एनसीपी के विधायक शिवेंद्र सिंहराजे भोसले (सतारा), वैभव पिचड़ (अकोले) और संदीप नाईक (ऐरौली) व कांग्रेस के विधायक कालिदास कोलंबकर (नयगांव) ने अपने इस्तीफे दक्षिण मुंबई स्थित विधान भवन में स्पीकर हरिभाऊ बागड़े को सौंपे। बागड़े को ये इस्तीफे अलग-अलग सौंपे गए। भोसले ने कहा कि मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र के हित की रक्षा में ज्यादा दिलचस्पी है। वैभव पिचड़ अहमदनगर जिले के अकोले तहसील के रहने वाले हैं और एनसीपी के पूर्व मंत्री मधुकर पिचड़ के बेटे हैं। महाराष्ट्र भाजपा के नेता कहते रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का लक्ष्य राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में 220 पर जीत दर्ज करना है। कोलंबकर मुंबई से सात बार विधायक चुने जा चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि ये चारों विधायक बुधवार को भाजपा में शामिल हो सकते हैं। एनसीपी की मुंबई इकाई के प्रमुख सचिन अहीर ने शिवसेना में शामिल होने के लिए हाल में पार्टी छोड़ दी थी, जबकि एनसीपी नेता जयदत्त क्षीरसागर मई में शिवसेना में शामिल हुए।

कांग्रेस से संजय सिंह का इस्तीफा, आज भाजपा में शामिल होंगे

पेज 1 का बाकी

से इस्तीफा दे चुके हैं और कल (बुधवार को) भाजपा में शामिल होंगे। सिंह ने कहा, 'कांग्रेस में संपर्क साधना संभव नहीं है। मैंने लंबे समय तक यह सब देखने के बाद यह फैसला किया।' उन्होंने दावा किया, 'कांग्रेस दिशाहीन है और लोगों से दूर हो चुकी है।'

सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सिंह असम से कांग्रेस के पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे। बताया गया कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल अगले साल अप्रैल में खत्म होना था। उन्होंने फिलहाल भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि क्या भाजपा उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाएगी।

मतदान के दौरान विपक्ष के 20 सांसद गैरहाजिर

पेज 1 का बाकी

विवेक तनखा, प्रताप सिंह बाजवा, मुकुट मिथी और रंजीब बिस्वाल के अलावा संजय सिंह शामिल हैं। संजय सिंह ने इससे पहले मंगलवार को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस और सपा सदस्यों के अलावा राकांपा के वरिष्ठ नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल भी सदन में अनुपस्थित रहे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, आइयूएमएल और केरल कांग्रेस के एक-एक सदस्य भी वोटिंग के दौरान गैरहाजिर रहे।

मतदान के दौरान केटीएस तुलसी भी अनुपस्थित थे जो नामित सदस्य हैं लेकिन वह विधेयक का विरोध करते रहे थे। विपक्षी दल के सदस्यों की गैरहाजिरी के अलावा अन्नाद्रमुक, बसपा और टीआरएस के सदस्य भी सदन में नहीं थे। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ दल के पास ऊपरी सदन में बहुमत नहीं है।

कॉफी कैफे डे के संस्थापक व कृष्णा के दामाद सिद्धार्थ लापता

पेज 1 का बाकी

से उतर गए और उन्होंने चालक से कहा कि वह टहलने जा रहे हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त सेंथिल शशिकांत सेंथिल ने कहा, 'उन्होंने (सिद्धार्थ) चालक से उनके आने तक रुकने को कहा। जब वे दो घंटे तक वापस नहीं आए तो चालक ने पुलिस से संपर्क कर उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई।' मंगलुरु के पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल ने संदेश में कहा, 'तलाश में स्थानीय मछुआरों की मदद ली जा रही है। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने किस-किस से फोन पर बात की थी।'

तटरक्षक बल ने बयान में कहा, 'एअर कुशन व्हीकल (एच-198) नेत्रावती नदी में तलाश कर रहा है और सीजी की गोताखार टीमों की मदद कर रहा है। गोताखोरों की तीन टीमें, जिला आपदा राहत दल के साथ मिलकर लापता सिद्धार्थ का पता लगा रही हैं।'

राजौरी में नियंत्रण रेखा पर जवान शहीद

पेज 1 का बाकी

फैयाज पंजू अपने साथी के साथ मारा गया।' अधिकारी ने बताया कि फैयाज 12 जून को अनंतनाग में सीआरपीएफ कर्मियों पर हुए हमले में शामिल था। इस हमले में सीआरपीएफ के पांच जवान शहीद हो गए थे और एसएचओ अरशद खान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि बाद में उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि मारे गए अन्य आतंकवादी की पहचान की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने फैयाज पंजू के मारे जाने को एक 'बड़ी उपलब्धि' बताया है।

सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ को सौंपने पर करेगा विचार

पेज 1 का बाकी

आधार नहीं हो सकती। इन याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। केंद्र ने नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन कराया है।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने पीठ से कहा कि इस समय दो मुद्दे हैं-क्या इस मामले को संविधान पीठ को सौंपा जाना चाहिए और क्या इस बीच कोई अंतरिम राहत दी जा सकती है। केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि इस मामले में वह अंतिम बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह इस सवाल पर भी बहस के लिए तैयार हैं कि क्या इसे संविधान पीठ को सौंपा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि सिद्धांततः हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहते और ऐसी स्थिति में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसे संविधान पीठ को सौंपा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह निर्णय करेगी कि क्या इस मामले को संविधान पीठ को सौंपा जाना चाहिए। धवन ने पीठ से कहा कि यदि इस मुद्दे को संविधान पीठ को भेजा जाना होगा तो फिर अंतरिम आदेश की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि एक मुद्दा यह भी है जिस पर शीर्ष अदालत को विचार करना होगा कि क्या संविधान (103वां संशोधन) कानून बुनियादी ढांचे का हनन करता है। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मयम ने कहा कि 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लांघी नहीं जा सकती है। उन्होंने दलील दी कि संविधान (103वां संशोधन) कानून के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी का आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है। जिसका मतलब यह हुआ कि यह 50 फीसदी की सीमा पार करेगा। शीर्ष अदालत इससे पहले 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी केंद्र के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। इस संविधान संशोधन विधेयक को संसद ने जनवरी में मंजूरी दी थी और इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी संस्तुति प्रदान की थी।

कांग्रेस के कई विधायक-सांसद छोड़ चुके पार्टी

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

लोकसभा चुनाव में करारी हार के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पार्टी में भगदड़ की स्थिति है। देश के अलग अलग राज्यों को मिलाकर पार्टी के अब तक तीन दर्जन से ज्यादा विधायक व सांसद इस्तीफा देकर भाजपा व अन्य दलों में शामिल हो चुके हैं। कर्नाटक में विधायकों की बगावत की वजह से कांग्रेस-जेडी (सेकु) की गठबंधन सरकार भी औंधे मुंह गिर पड़ी। अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस और गांधी परिवार द्वारा पार्टी संगठन के मामलों से दूरी कायम कर लेने की अटकलों के मद्देनजर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अभी कुछ अन्य राज्यों में भी, विशेषकर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे राज्यों में, पार्टी को विधायकों की बगावत का सामना करना पड़ सकता है।

लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को सबसे पहले और सबसे तगड़ा झटका तेलंगाना में लगा जब उसके 18 में से 12 विधायक एक साथ सूबे में सत्तारुढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस) में शामिल हो गए। सूत्रों की मानें, तो पार्टी की ओर से इन विधायकों को मनाने और रोकने की पुरजोर कोशिश की गई लेकिन जैसे ही दलबदल विधेयक कानून से बचने लायक संख्या पूरी हुई, इन विधायकों ने सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया। यही कहानी गोवा में भी दोहराई गई। दिलचस्प तरीके से सूबे की विधानसभा में विपक्ष के नेता सहित कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लेकिन सरकार बना पाने में नाकाम रही। इसके बावजूद विधायक एकजुट थे। लेकिन लोकसभा चुनाव की हार और उसके बाद राहुल के इस्तीफे से पैदा हुए संकट के बाद एकदम से भगदड़ की हालत बन गई। उधर, कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस की गठबंधन सरकार भी कांग्रेसी विधायकों की बगावत की ही वजह से टूटी क्योंकि जिन 17 विधायकों ने बागी तेवर दिखाए उनमें 14 अकेले कांग्रेस पार्टी के थे।

गुजरात में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए अल्पेश ठाकोर ने हाल ही में पार्टी छोड़ दी, तो मंगलवार को महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक ने पार्टी छोड़ने का एलान कर दिया तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। सूत्रों का कहना है कि नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में कायम असमंजस, अनिश्चितता और हताशा के माहौल के मद्देनजर कई अन्य राज्यों में भी विधायकों के पार्टी छोड़ने की आशंका बनी हुई है। खासकर महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा आदि उन राज्यों में हलचल ज्यादा तेज है क्योंकि इन राज्यों में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं।

गुजरात से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी महासचिव शक्ति सिंह गोहिल ने इस मामले में कहा कि यह सही है कि हमारी पार्टी के लिए यह एक मुश्किल वक्त है। कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह पार्टी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी में अच्छा बुरा समय आता-जाता रहता है। बुधवार को हो रही पार्टी महासचिवों व प्रभारियों की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि इसका पार्टी अध्यक्ष पद मामले से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ऐसा संभव है कि महासचिवों व प्रभारियों की बैठक के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाए और कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कोई निर्णय लिया जाए।

लेह उपायुक्त अवनी लवासा का तबादला

श्रीनगर, 30 जुलाई (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को भारी प्रशासनिक फेरबदल किया गया और लेह की उपायुक्त अवनी लवासा सहित 20 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। उनके बैच की आइएएस अधिकारी एस सहरिश असगर को राज्य के जनसंपर्क विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो राज्य में यह पद पाने वाली पहली महिला होंगी।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य में सात आइएएस अधिकारियों सहित 20 अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इसके तहत अवनी लवासा को जम्मू-कश्मीर आर्थिक पुनर्निर्माण एजंसी (ईआरए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) पद पर नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अवनी लेह की उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर सुर्खियों में रही थीं। उन्होंने मीडियाकर्मियों को कथित तौर पर रिश्वत देने के मामले में राज्य के कुछ भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। वह आम चुनाव के दौरान चर्चा में रहे चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की बेटी हैं। जम्मू-कश्मीर कैडर की 2013 बैच की आइएएस अधिकारी अवनी की जगह सचिन कुमार वैश्य को लेह का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की रहने वाली और 2013 बैच की आइएएस अधिकारी असगर को राज्य के सूचना व जनसंपर्क विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर वह प्रथम महिला होंगी। सांबा की उपायुक्त सुषमा चौहान को रमेश कुमार की जगह जम्मू का उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

'मैं उद्यमी के तौर पर विफल रहा'

पेज 1 का बाकी

लाभ देने वाला कारोबारी मॉडल बनाने में विफल रहा हूं।'

सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे इस पत्र में उन्होंने कहा, 'मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इसे सब कुछ दे दिया। मैं उन सभी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के लिए माफी मांगना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया।' अब तक इसकी तत्काल पुष्टि नहीं हो पाई कि यह पत्र सिद्धार्थ ने ही लिखा है या नहीं। सिद्धार्थ ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी लेकिन आज मैं हिम्मत हार रहा हूं क्योंकि मैं निजी इक्विटी साझेदारों में से एक की तरफ से शेयर वापस खरीदे जाने का और दबाव नहीं झेल सकता हूं, एक लेन-देन जो मैंने छह माह पहले एक दोस्त से बड़ी मात्रा में धन राशि उधार लेकर आंशिक तौर पर पूरा किया था। उन्होंने कहा, 'अन्य कर्जदाताओं की तरफ से अत्यधिक दबाव ने मुझे स्थिति के आगे झुक जाने पर मजबूर किया है।'

सिद्धार्थ ने पत्र में आरोप लगाया कि आयकर के पूर्व महानिदेशक ने बहुत उत्पीड़न किया जिन्होंने हमारे माइंडट्री सौदे को रोकने के लिए दो अलग-अलग मौकों पर हमारे शेयर जब्त कर लिए और बाद में हमारे कॉफी डे शेयर का अधिकार ले लिया जबकि हमने फिर से रिटर्न दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा, 'यह बहुत अनुचित था और इससे हमें नकदी का गंभीर संकट झेलना पड़ा।' सिद्धार्थ ने कहा, 'मैं आप सबसे मजबूत बने रहने और नए प्रबंधन के साथ इन कारोबारों को चलाना जारी रखने का अनुरोध करता हूं। सभी गलतियों के लिए एकमात्र मैं जिम्मेदार हूं।

प्रियंका ने प्रधानमंत्री से आरोपी विधायक को संरक्षण नहीं देने को कहा

उन्नाव बलात्कार पीड़िता मामला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के सड़क दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी होने के मामले में मंगलवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर यूपी सरकार को कठघरे में खड़ा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहा कि वे उनकी पार्टी के आरोपी विधायक को कथित राजनीतिक संरक्षण नहीं दें।

कांग्रेस के अलावा कई अन्य विपक्षी दलों ने भी कार दुर्घटना के बाद उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता के जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बीच सत्तारूढ भाजपा पर हमला तेज किया। लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बसपा और द्रमुक के सदस्यों ने इस मामले पर सदन से वाकआउट किया, तो संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने घटना के बाद सीबीआइ जांच का आदेश दिया है और वह निष्पक्ष ढंग से काम कर रही है। इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया-ईश्वर के लिए, प्रधानमंत्री जी, इस अपराधी और उसके भाई को आपकी पार्टी से मिल रही राजनीतिक शक्ति छीनी जाए। अब भी बहुत देर नहीं हुई है। उन्होंने पूछा-कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को हम राजनीतिक सत्ता की ताकत और संरक्षण क्यों देते हैं और पीड़िता को अपनी जिंदगी के लिए लड़ने को अकेले क्यों छोड़ देते हैं? उन्होंने सड़क दुर्घटना मामले में दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि यह प्राथमिकी साफ तौर पर दिखाती है कि परिवार डरा हुआ था। इसमें यह भी जिक्र है कि वह सुनियोजित दुर्घटना थी।

विपक्षी दलों कांग्रेस, बसपा और सपा ने भाजपा पर एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

तीन तलाक नाकबूल

पेज 1 का बाकी

समर्थन करने को तैयार रहते हैं। प्रसाद ने कहा कि जब इस्लामिक देश अपने यहां अपनी महिलाओं की भलाई के लिए बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो हम तो एक लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हमें यह काम क्यों नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा कि तीन तलाक से प्रभावित होने वाली करीब 75 फीसद महिलाएं गरीब वर्ग की होती हैं। ऐसे में यह विधेयक उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रसाद ने कहा कि हम 'सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास' में भरोसा करते हैं और इसमें हम वोटों के नफा नुकसान पर ध्यान नहीं देंगे और सबके विकास के लिए आगे बढ़ेंगे और उन्हें (मुसलिम समाज को) पीछे नहीं छोड़ेंगे। मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई मुसलिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य विधि से तीन तलाक देता है तो उसकी ऐसी कोई भी उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त पाने की हकदार होगी। इस रकम को मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा।

इससे पहले, विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने इसे अपराध की श्रेणी में डालने के प्रावधान पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे पूरा परिवार प्रभावित होगा। हालांकि सत्ता पक्ष ने इस विधेयक को राजनीति के चश्मे से नहीं देखे जाने की नसीहत देते हुए कहा कि कई इस्लामी देशों ने पहले ही इस प्रथा पर रोक लगा दी है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 उच्च सदन में चर्चा के लिए पेश किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में इस प्रथा को अवैध ठहराया गया। लेकिन उसके बाद भी तीन तलाक की प्रथा जारी है। यह विधेयक लोकसभा में पिछले हफ्ते ही पारित हुआ है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस की सदस्य अमी याज्ञनिक ने कहा कि महिलाओं को धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि सभी महिलाओं के प्रति क्यों नहीं चिंता की जा रही है? समाज के सिर्फ एक ही तबके की महिलाओं को समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। यह समस्या सिर्फ एक कौम में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वे विधेयक का समर्थन करती हैं लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में डालना उचित नहीं है। चर्चा में भाग लेते हुए जद (यू) के वशिष्ठ नारायण सिंह ने विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे न तो विधेयक के समर्थन में बोलेंगे और न ही इसमें साथ देंगे।

हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है और उसे पूरी आजादी है कि वह उस पर आगे बढ़े।

जौहर विश्वविद्यालय पर छापे

पेज 1 का बाकी

चोरी हुई बहुमूल्य पुस्तकें बरामद की हैं। रामपुर से सपा सांसद आजम खान इस विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलाधिपति हैं।

पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) प्रवीण कुमार ने बताया, ह्यरामपुर जिला और पुलिस प्रशासन के दल ने विश्वविद्याय में छापा मारा और एक मदरसे की मुहर लगी 400 से 500 पुस्तकें बरामद की। मदरसे से कितनी पुस्तकें गायब थी इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम 250 साल पुराने ऐतिहासिक आलिया मदरसा से चोरी हुई हजारों पुस्तकों की जांच कर रही है। बरामद हुई पुस्तकें ऐतिहासिक और बहुमूल्य हैं।

पीड़िता के घायल होने के मामले की जांच सीबीआइ को

पेज 1 का बाकी

साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश भाजपा ने मंगलवार को दावा किया कि सेंगर को 2018 में ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि सेंगर को करीब दो साल पहले बलात्कार का आरोप लगने के बाद ही निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेंगर को लेकर पार्टी का फैसला अब भी कायम है और सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।

उधर, केंद्र ने उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता की सड़क दुर्घटना मामले में गंभीर रूप से घायल होने के मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी है। इससे पहले, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआइ से कराने की संस्तुति की थी। दुर्घटना में गंभीर रूप से बलात्कार पीड़िता और उनके वकील की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पीड़िता से मिलने पहुंचे उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने ट्रामा सेंटर पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस बीच, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता के चाचा को पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की पैरोल मंगलवार को मंजूर कर दी। अदालत ने रायबरेली जेल के अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता के चाचा को कड़ी सुरक्षा के बीच गंगा घाट पर उसकी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ले जाया जाए। इससे पहले, पीड़िता के चाचा की पैरोल की मांग को लेकर उसके परिवार के लोगों ने लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर के बाहर मंगलवार को सुबह धरना प्रदर्शन किया था।

बलात्कार के आरोप में शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज

जम्मू, 30 जुलाई (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में 20 वर्षीय गर्भवती महिला की शिकायत के बाद सरकारी स्कूल शिक्षक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि बरारी के मध्य विद्यालय में तैनात सुभाष सिंह फरार है और उसे पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कथित तौर पर छह महीने की गर्भवती महिला ने सोमवार को रामनगर थाना में संपर्क किया और आरोप लगाया कि सिंह ने कुछ महीने पहले उसके साथ बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। अधिकारी ने बताया कि महिला को चिकित्सीय जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच की जा रही है।

अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब सामने आई, जब महिला के माता-पिता उसे कुछ चिकित्सीय समस्याओं के लिए डॉक्टर के पास ले गए और उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी गर्भवती है।

कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

जम्मू, 30 जुलाई (भाषा)।

दक्षिण कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा में दर्शन के लिए यहां के भगवती नगर आधार शिविर से मंगलवार को 1,175 श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह अब तक का सबसे छोटा जत्था है।

अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं के इस जत्थे में 252 महिलाएं, दो बच्चे और 95 साधु-संत शामिल हैं। ये तीर्थयात्री मंगलवार तड़के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 47 वाहनों में घाटी के लिए रवाना हुए। इन सभी के दिन के आखिर में अनंतनाग जिले के पहलगाम और गंदेरबल जिले के बालटाल स्थित आधार शिविरों में पहुंचने की संभावना है। 46 दिवसीय यह वार्षिक यात्रा एक जुलाई को शुरू हुई थी और इसके 15 अगस्त को संपन्न होने का कार्यक्रम है।

अधिकारियों ने बताया कि बालटाल मार्ग पर अस्थायी तौर पर रोकी गई यात्रा मंगलवार सुबह बहाल कर दी गई। सोमवार शाम तक 3,21,410 यात्रियों ने पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग के दर्शन कर लिए थे। अधिकारियों ने बताया कि भगवती नगर आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हुए जत्थे में से 660 तीर्थयात्री पहलगाम आधार शिविर की ओर जा रहे हैं, जबकि बाकी 515 तीर्थयात्री बालटाल मार्ग से यात्रा शुरू करेंगे।

सोलंकी अजा/अजजा कल्याण संबंधी समिति के सभापति नियुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

भाजपा सांसद डॉक्टर किरीट पी सोलंकी को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2019-20) का सभापति नियुक्त किया गया है। लोकसभा सचिवालय की विज्ञप्ति के अनुसार इस समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का कार्यकाल 24 जुलाई से शुरू होकर 30 अप्रैल 2020 को समाप्त होगा।

लोकसभा सदस्यों में गिरीश चंद्र, संतोख सिंह चौधरी, अनिल फिरोजिया, तापिर गाव, सौमित्र खान, गोइडेटी माधवी, प्रतिमा मंडल, ए नारायणस्वामी, अशोक महादेवराव नेते, विंसेंट एच पाला, छेदी पासवान, ए राजा, उपेंद्र सिंह रावत, संध्या राय, डॉ किरीट पी सोलंकी, रेबती त्रिपुरा, इंजीनियर विश्वेश्वर टुडु, कृपाल बालाजी तुमाने और भानु प्रताप सिंह वर्मा शामिल हैं। रामचंद्र पासवान के 21 जुलाई को निधन हो जाने के कारण एक स्थान रिक्त है।

BOI AXA Mutual Fund

(Investment Manager: BOI AXA Investment Managers Private Limited)

Registered Office: B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013
CIN: U65900MH2007FTC173079

BOI AXA Mutual Fund

NOTICE

NOTICE is hereby given to all investor(s)/Unit holder(s) of BOI AXA Mutual Fund ('the Fund') that in accordance with Regulation 54 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018, the Annual Report and Abridged Annual Report of the schemes of the Fund for the year ended March 31, 2019 has been hosted on the website of the Fund viz. www.boiaxamf.com and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com.

Investors can submit a request for physical or electronic copy of Annual Report or Abridged Annual Report by giving a call to our Service Centre at 1800-266-2676/1800-103-2263 or sending an email to "service@boiaxa-im.com" or sending SMS to 9210012222 from investor's registered mobile number. SMS format "ASTMTP<Space>Folio no." for physical copy and "ASTMTE<Space>Folio no." for soft copy or write a letter to Head- Customer Services, BOI AXA Investment Managers Private Limited, B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013.

For BOI AXA Investment Managers Private Limited
(Investment Manager for BOI AXA Mutual Fund)

Place : Mumbai Sd/-
Date : July 30, 2019 **Authorised Signatory**

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the IBBI (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016
Corrigendum to Advertisement published on July 29, 2019

This is in reference to the advertisement inviting Expression of Interest ("EOI") in the Corporate Insolvency Resolution Process of Lanco Solar Private Limited published in page number 3 of **Jansatta** on **July 29, 2019** ("**Main Advertisement**"). The following text should be considered as the text mentioned below the table and should be read accordingly. The same needs to be considered as part of the Main Advertisement for all relevant purposes

Sd/-
Huzefa Fakhri Sitabkhan
Resolution Professional of Lanco Solar Private Limited
IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115
1012, Dalamal Tower, Free Press Journal Road,
211, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Date: July 29, 2019, Place: Mumbai

All other contents, terms and conditions of the Main Advertisement remain unchanged. The Committee of Creditors / Resolution Professional reserve the right to cancel or modify the process without assigning any reason and without any liability whatsoever. This is not an offer document.

Sd/-
Huzefa Fakhri Sitabkhan
Resolution Professional of
Place: Mumbai **Lanco Solar Private Limited**
Date: July 31, 2019 **IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115**

ट्राइटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः आर-4, यूनिट नं. 102, प्रथम तल, खिरकी एक्स्टेंशन, मैन रोड, मालवीय नगर, दिल्ली-110017
CIN: L74899DL1990PLC039989
cs@tritoncorp.in/011-49096562

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की 03री बैठक (वित्त वर्ष 2019-2020 के लिये) मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को 2.30 बजे अप. में आर-4, यूनिट 102, प्रथम तल, खिरकी एक्स्टेंशन, मैन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये समेकित तथा स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यक किसी अन्य मामलों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशकों/ अधिकारियों/ विर्निदिष्ट व्यक्तियों द्वारा कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो 30 जुलाई, 2019 से 16 अगस्त, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.tritoncorp.in तथा बम्बई स्टॉक एक्सचैंज की साइट अर्थात www.bseindia.com जहां कम्पनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
ट्राइटन कॉप लिमिटेड के लिये
सुदीश कुमार रस्तोगी
स्थानः नई दिल्ली (निदेशक)
तिथिः 30.7.2019 **DIN: 00688082**

TIRUPATI FIBRES AND INDUSTRIES LTD.

Corporate Identification Number: L24302RJ1980PLC002030

Registered Office: Tirumpati Nagar, Abu Road, Sirohi, Rajasthan- 307026
Tel: +91-022-66104541 | **Email:** tirupatifibreslimited@gmail.com | **Contact Person:** 9820022882

THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT ("PA") IS BEING ISSUED BY MR. PRADEEP DHAWALCHAND KANUGO ("OFFERER"), BELONGING TO THE PROMOTER AND PROMOTER GROUP OF TIRUPATI FIBRES AND INDUSTRIES LTD (THE "COMPANY") IN TERMS OF CHAPTER V OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DELISTING OF EQUITY SHARES) REGULATIONS, 2009 ("SEBI REGULATIONS") TO ACQUIRE UPTO 3,04,926 EQUITY SHARES OF THE COMPANY HAVING FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT 4.79 ("EXIT PRICE") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (DEFINED TO MEAN ALL THE SHAREHOLDERS OTHER THAN THE PROMOTER AND PROMOTER GROUP MEMBERS HEREINAFTER REFERRED TO AS "PUBLIC SHAREHOLDERS") ("EXIT OFFER").

I. TIRUPATI FIBRES AND INDUSTRIES LTD

a) Tirupati Fibres and Industries Limited was incorporated on May 09, 1980 under the Companies Act, 1956.
b) The Registered Office of the Company is presently situated at Tirumpati Nagar, Abu Road, Sirohi, Rajasthan- 307026.
c) The Company Identification Number of the Company L24302RJ1980PLC002030.
d) The paid-up Share Capital of the Company is ₹ 3,54,16,000 comprising of 35,41,600 Equity Shares of ₹ 10 each.
e) The Equity Shares of the Company were listed on BSE Limited (**"BSE"**). The Company was compulsorily delisted by BSE as per chapter V of the SEBI Regulations vide a press release dated March 24, 2018 (**"Press Release"**) w.e.f. May 11, 2018 (**"Effective Date of Delisting"**).
g) Pursuant to regulation 23(3) of the SEBI Regulations, the Promoter of the compulsory delisted company shall acquire delisted equity shares from the public shareholders by paying them the value determined by the valuer, subject to their option of retaining their shares.
h) Accordingly, the Offeror on behalf of the Promoter and Promoter Group Members of the Company, in compliance with regulation 23(3) of the SEBI Regulations is hereby making Exit Offer to the Public Shareholders of the Company.
i) Exit Price of ₹ 4.79 (Rupees Four & Seventy Nine Paisa Only) per Equity Share has been determined by the valuer appointed by BSE.

II. DETAILS OF THE OFFERORS

A. PRADEEP DHAWALCHAND KANUGO

Mr. Pradeep DhawalchandKanugo, aged about 38 years is an Indian Citizen residing at 2702 Earth Castle Bldg, Opp. Sikka Nagar, V.P. Road, Mumbai-400004, belongs to the promoter group of the Company. Mr. Pradeep Dhawalchand Kanugo holds 14,12,880 Equity Shares representing 39.89% of the paid up equity share capital of the Company.

As on the date of this PA, Mr. Pradeep Dhawalchand Kanugo has not been prohibited by SEBI from dealing in Securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act, 1992, or any other regulations made there under.

Mr. Pradeep Dhawalchand Kanugo has not been declared a Willful Defaulter by any Banks, Financial Institutions or Consortium thereof.

Mr. Pradeep Dhawalchand Kanugo is authorised to give open offer to the public shareholders of the Company on behalf of all other Promoter Share holder named as Mr. Dhawalchand Kanugo, Mr. Jitendra Dhawalchand Kanugo, Mr. Vikram Dhawalchand Kanugo, Mr. Akshat Jain and Marudhar Yarns Limited.

III. EXIT PRICE AND FINANCIAL ARRANGEMENTS

a) The Company was compulsorily delisted by BSE as per chapter V of the SEBI Regulations. The Fair Value per Equity Share of ₹ 4.79 to be paid by the Offeror to the Public Shareholders under the Exit Offer has been determined by the independent valuer appointed by the BSE. Accordingly, the Offeror shall acquire the Equity Shares tendered by the Public Shareholders for cash at ₹ 4.79 (Rupees Four & Seventy Nine Paisa Only) per Equity Share.
b) The Offerors has opened an escrow account bearing account No. 000405119502 (**"TFIL- Exit Offer Escrow Account"**) and an special escrow account bearing account No. 001105029694 (**"TFIL- Exit Offer Special Escrow Account"**) with ICICI Bank Limited, (**"Escrow Bank"**) a company incorporated under the Companies Act, 1956 of India and carrying on business as a banking company under the Banking Regulation Act, 1949, having its registered office at ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara 390007, Gujarat, India and acting through its Branch Office at ICICI Bank Limited, Capital Markets Division, 1st Floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation Churchgate, Mumbai - 400020 and have made a deposit of ₹ 14,60,600 (Rupees Fourteen Lakh Sixty Thousands Six Hundred Only) in the said Escrow Account. The cash deposited in Escrow Account represents 100% of the total consideration payable to the Public Shareholders under this Exit Offer.

IV.TERMS AND CONDITIONS RELATING TO ACCEPTANCE OF OFFER

a) The Exit Offer shall remain open for a period of one month w.e.f. Monday, August 05, 2019 to close on Thursday, September 05, 2019. After the closure of Official Exit Offer period the Offeror will keep open this Exit Offer for a further period of Eleven months which will end on Wednesday, August 05, 2020 to facilitate the non-exited Public Shareholders.
b) All the public shareholders of the Company are eligible to participate in this exit offer. Public shareholders have an option to either participate in the Exit Offer by tendering their equity shares or retain their equity shares in the Company. Public Shareholders who desires to participate in the Exit Offer may tender their equity shares to the Offeror.
c) As per Regulation 40(1) of the LODR Regulations (notified by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018) read with the press release dated December 3, 2018 and March 27, 2019 issued by SEBI, effective from April 1, 2019, requests for effecting transfer of securities of listed companies shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a Depository. Since the Offer opens from August 05, 2019, the Shareholders desirous to offer their Equity Shares held in physical form can do so only after the shares are dematerialized and are advised to approach the concerned DP to have their Equity Shares dematerialized.

The Beneficial Owners who hold Shares in demat form are required to execute a trade by tendering the Delivery Instruction for debiting their Beneficiary Account with the concerned DP and crediting the Special Depository Escrow Account opened by the Offeror.

Beneficial Owners having their beneficiary account in CSDL/NSDL have to use inter-depository delivery instruction slip for the purpose of crediting their Shares in favour of the Special Depository Escrow Account with CDSL/NSDL.

The Beneficial Owners should ensure that the credit for the delivered Shares should be received in the Special Depository Escrow Account on or before the Offer Closing Date.

In the case of shares held in dematerialized form, Depository Participant ("DP") name, DP ID, beneficiary account number together with photocopy or counterfoil of the delivery instruction slip in "off- market" mode duly acknowledged by the DP for transferring the Equity Shares in favour of **"TFIL Exit Offer- Operated by Skyline"** filed in as per the instructions given below:

Depository Participant ("DP") Name:	Nikunj Stock Brokers Limited
DP ID:	IN302994
Client ID:	10074399
Account Name:	"TFIL Exit Offer- Operated by Skyline"
Depository:	NSDL

In case of dematerialized Shares, the Shares would reside in the aforesaid Special Depository Escrow Account. The Registrar to the Offer will debit the Special Depository Escrow Account to the extent of payment of consideration made by the Offeror and give instructions for credit of the beneficial account of the Offeror.

The Shares held in dematerialized form to the extent not accepted under the Offer will be released to the Beneficial Owner's Depository Account with the respective DP of the Beneficial Owner, at the sole risk of the Beneficial Owner. An intimation to that effect will be sent to the Beneficial Owner by ordinary post or Courier. For the Shares lying in the aforesaid Special Depository Escrow Account, the Registrar to the Offer shall take action for transferring the Shares to Offeror after the consideration ECS/RTGS/NEFT credit are released to the Beneficial Owners.

d) The Merchant Bankers to the Exit Offer is **Fast Track Finsec Private Limited** having its office at B 502, B Wing Statesman House, 147, Barakhamba Road, New Delhi- 110001.
e) The Registrar to the Exit Offer is **Skyline Financial Services Private Limited** having its office at D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase- I, New Delhi- 110020, Tel No. +91-11-40450193 to 97 Fax No. +91-11-26812683, Email: compliances@skylinerta.com, website: www.skylinerta.com. All the correspondence should be marked to the Registrar to the Exit Offer at aforesaid address.
f) The Offeror will not accept any Equity Shares offered for Exit Offer where there exists any restraint order of a Court/ any other competent authority for transfer / disposal/ sale or where loss of share certificates has been notified to the Company or where the title to the Equity Shares is under dispute or otherwise not clear or where any other restraint subsists.
g) The Offeror will not accept locked-in Equity Shares and non-transferrable Equity Share still the pendency of the lock-in or till the Equity Shares become transferrable.
h) The acceptance of the Exit Offer made by the Offeror is entirely at the discretion of the Public Shareholders of the Company. The Offeror and the Company does not accept any responsibility for the decision of any Public Shareholder to either participate or to not participate in the Exit Offer. The Offeror and the Company will not be responsible in any manner for any loss of Share certificate(s) and other documents during transit and the Public Shareholders are advised to adequately safeguard their interest in this regard.

V. PAYMENT OF CONSIDERATION

a) Upon fulfilment of the terms and conditions mentioned herein and receipt of the requisite regulatory approvals (if any), the consideration for Equity Shares will be paid by the Offeror by way of ECS/RTGS/NEFT. Payment of consideration through ECS/ RTGS/NEFT will be made to bank details provided by respective DP through which shareholders will offer their shares and the intimation of the confirmation of credit of such amount shall be given through inland letter by the Registrar of the Offer.
b) The consideration for such Equity Shares will be settled on a monthly basis and thepayment will be dispatched within 7 working days from the end of the month in whichthe shares were tendered.

VI. GENERAL DISCLAIMER

Every Public Shareholder who desires to avail of the 'Exit Offer' may do so pursuant toindependent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against theOfferor or the Company whatsoever by reason of any loss which may be suffered bysuch person consequent to or in connectionwith such Exit Offer and tender of EquityShares through this Exit Offer whether by reason of anything stated or omitted to bestated herein or any other reason whatsoever.

The Offeror accepts the full and final responsibility for the information contained in the Public Announcement.

We solicit your positive response to the Exit Offer.

For & On behalf of Offeror
Sd/-
Place: Rajasthan **Pradeep Dhawalchand Kanugo**
Date: July 31, 2019 **(Authorized Signatory)**

Raka

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) IN TERMS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF

KPIT TECHNOLOGIES LIMITED

(Formerly KPIT Engineering Limited)
CIN: U74999PN2018PLC174192
Registered Office: Plot-17, Rajiv Gandhi Infotech Park, MIDC-SEZ, Phase-III, Maan, Hinjawadi, Pune - 411057
Tel: +91 20 6770 6000; Email: info@kpit.com; Website: www.kpit.com

Open Offer (**"Offer"/"Open Offer"**) for acquisition of up to 7,12,77,391 (Seven Crore Twelve Lakh Seventy Seven Thousand Three Hundred and Ninety One only) fully paid-up equity shares of face value of INR 10 (Indian Rupees Ten only) each (**"Equity Shares"**) representing 26% (twenty six percent) of the voting share capital of KPIT Technologies Limited (**"KPIT"** or **"Target Company"**) from the public shareholders of the Target Company by Acquirers (as defined below), along with PACs (as defined below) in their capacity as the persons acting in concert with the Acquirers.

This post offer advertisement (**"Advertisement"**) is being issued by Kotak Mahindra Capital Company Limited (**"Manager to the Offer"**), on behalf of the Acquirers and PACs pursuant to and in accordance with Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto (**"SEBI (SAST) Regulations"**) in respect of the open offer to acquire up to 7,12,77,391 (Seven Crore Twelve Lakh Seventy Seven Thousand Three Hundred and Ninety One only) fully paid up Equity Shares of INR 10 (Indian Rupees Ten only) each of KPIT.

This Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with the Public Announcement dated April 22, 2019 (the **"PA"**), the detailed public statement that was published on April 26, 2019 (**"DPS"**), the draft letter of offer dated May 6, 2019 (**"DLoF"**), the letter of offer dated June 28, 2019 (**"LoF"**) and the offer opening public announcement and corrigendum to the DPS that was published on July 11, 2019 (**"Offer Opening Public Announcement and Corrigendum"**). The DPS and Offer Opening Public Announcement was published in Financial Express - English (all editions), in Jansatta - Hindi (all editions), Navshakti - Marathi (Mumbai edition) and Loksatta - Marathi (Pune edition).

1 Name of the Target Company: KPIT Technologies Limited (Formerly KPIT Engineering Limited)
2 Name of the Acquirer(s) and PACs: Proficient Finstock LLP (**"Proficient"** or **"Acquirer 1"**) and Mr. Kishor Patil (**"Acquirer 2"**), are collectively referred to as **"Acquirers"** Mr. Shashishekhar Pandit (**"PAC 1"**), Ms. Nirmala Pandit (**"PAC 2"**), Mr. Chinmay Pandit (**"PAC 3"**), Ms. Hemlata Shende (**"PAC 4"**), Ms. Anupama Patil (**"PAC 5"**), Mr. Shrikrishna Patwardhan (**"PAC 6"**), Mr. Ajay Bhagwat (**"PAC 7"**), Ms. Ashwini Bhagwat (**"PAC 8"**), Mr. Sachin Tikekar (**"PAC 9"**) and K and P Management Services Private Limited (**"PAC 10"**) are collectively referred to as **"PACs"**. Acquirer 1, Acquirer 2, PAC 1, PAC 2, PAC 3, PAC 4, PAC 5, PAC 6, PAC 7, PAC 8, PAC 9 and PAC 10 are collectively referred to as **"KPIT Promoter Group"**.
3 Name of the Manager to the Offer: Kotak Mahindra Capital Company Limited
4 Name of the Registrar to the Offer: Karvy Fintech Private Limited (Formerly known as KCPL Advisory Services Private Ltd)
5 Offer Details:
a Date of Opening of the Offer: Friday, July 12, 2019
b Date of Closure of the Offer: Thursday, July 25, 2019
6 Date of Payment of Consideration: Tuesday, July 30, 2019
7 Details of Acquisition:

Sl. No	Particulars	Proposed in Offer Document		Actuals	
7.1	Offer Price (per Share)	INR 66.50		INR 66.50	
7.2	Aggregate number of shares tendered	7,12,77,391		10,769	
7.3	Aggregate number of shares accepted	7,12,77,391		10,769	
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)	INR 473,99,46,501.50		INR 7,16,138.50	
7.5	Shareholding of the Acquirers & PACs before agreements/public announcement				
	• Number	3,59,12,289		3,59,12,289	
	• % of Voting Share Capital	13.10%		13.10%	
7.6	Shares Acquired by way of agreements				
	• Number	6,99,01,993*		6,99,01,993*	
	• % of Voting Share Capital	25.50%*		25.50%*	
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer				
	• Number	7,12,77,391		10,769	
	• % of Voting Share Capital	26.00%		0.00%	
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement				
	• Number of shares acquired				
	• Price of the shares acquired	Nil		Nil	
	• % of the shares acquired				
7.9	Post offer shareholding of Acquirers & PACs				
	• Number	17,70,91,673		10,58,25,051	
	• % of Voting Share Capital	64.60%		38.60%	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public	**Pre-Offer:**	**Post-Offer:**	**Pre-Offer:**	**Post-Offer:**
	• Number	15,44,63,839	8,31,86,448	15,44,63,839	15,44,53,070
	• % of Voting Share Capital	56.34%**	30.34%**	56.34%**	56.34%**

**In terms of the KEL Investment Agreement, Acquirer 1 and Acquirer 2 will acquire an aggregate of 6,99,01,993 (25.50%) of the Equity Shares from the Sellers and the split between them will be decided closer to the completion of the KEL Investment Agreement*

*** 56,41,373 Equity Shares representing 2.06% of the voting share capital is held by employee benefit trust and not included in the public shareholding details provided above as it is categorized as non promoter-non public shareholding*

1. The Acquirers and the PACs, and their respective directors or partners, as applicable, severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Advertisement and also accept responsibility for their obligations laid down under the SEBI (SAST) Regulations.
2. A copy of this Advertisement will be available on the websites of SEBI (http://www.sebi.gov.in), the BSE Limited (www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and at the registered office of the Target Company.
3. Capitalized terms used but not defined in this Advertisement shall have the meanings assigned to such terms in the PA and/or the DPS and/or LoF.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
kotak Investment Banking **KOTAK MAHINDRA CAPITAL COMPANY LIMITED** 27 BKC, 1st Floor, Plot no. C-27, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051 **Tel:** +91 22 4336 0128; **Fax:** +91 22 6713 2447 **Email:** kpitopenoffer2019@kotak.com kpit.openoffer@kotak.com **Contact Person:** Ganesh Rane **SEBI Registration Number:** INM000008704 **CIN:** U67120MH1995PLC134050	KARVY KEEP GROWING **KARVY FINTECH PRIVATE LIMITED** **(Formerly known as KCPL Advisory Services Private Ltd)** Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032. **Tel No.:** +91 40 6716 2222 **Contact Person:** Mr. M. Muralikrishna **Email ID:** kpit.openoffer@karvy.com **Website:** www.karvyfintech.com **SEBI Registration No:** INR000000221

For and on behalf of the Acquirers and the PACs

Proficient Finstock LLP Sd/-	**Mr. Kishor Patil** Sd/-	**Mr. Shashishekhar Pandit** Sd/-
Ms. Nirmala Pandit Sd/-	**Mr. Chinmay Pandit** Sd/-	**Ms. Hemlata Shende** Sd/-
Ms. Anupama Patil Sd/-	**Mr. Shrikrishna Patwardhan** Sd/-	**Mr. Ajay Bhagwat** Sd/-
Ms. Ashwini Bhagwat Sd/-	**Mr. Sachin Tikekar** Sd/-	**K and P Management Services Private Limited** Sd/-

Place : Pune
Date : July 30, 2019

PRESSMAN

कार्पोरेशन बैंक

(सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक)
एफ–26/9, सैक्टर–7, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
सार्वजनिक सूचना

यह नोटिस सार्वजनिक रूप से जारी किया जाता है कि हम 31.08.2019 को पहली मंजिल, एएन –4 बी, शालीमार बाग, नई दिल्ली –110008 पर स्थित पट्टे के परिसर को खाली कर रहे हैं।

प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

ई – प्रोक्योरमेन्ट सेल
मुख्य अभियंता का कार्यालय, कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची

ई–प्रोक्योरमेन्ट नोटिस (अल्पकालीन)

टेन्डर रेफरेन्स नं0–BCD/CE/12/Daltongaj /2019-20 दिनांक– 30-07-2019

1	कार्य का नाम	Construction of Primary Health Center with Residential Building at Sigsigi, Bishrampur, Daltonganj.
2	प्राक्कलित राशि (रू0)	रू0 2,92,31,025.00 (रुपये दो करोड़ बानवे लाख इकतीस हजार पच्चीस) मात्र ।
3	कार्य पूर्ण करने की अवधि	11 महीने
4	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	06-08-2019
5	बिड प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि/समय	14-08-2019 के 11.00 AM तक
6	निविदा प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	ई – प्रोक्योरमेन्ट सेल मुख्य अभियंता का कार्यालय, कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग, भवन निर्माण विभाग, लाईन टैंक रोड, रांची।
7	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या	0651–2206238
8	ई–प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन संख्या	0651–2206238

- किसी भी प्रकार का बदलाव *http://jharkhandtenders.gov.in* पर देखा जा सकता है।
- अन्य किसी भी प्रकार की सूचना *http://jharkhandtenders.gov.in* पर देखा जा सकता है।

Note: UCAN Registration is mandatory for the Bidders

नोडल पदाधिकारी
ई – प्रोक्योरमेन्ट सेल,मुख्य अभियंता का कार्यालय,
कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग, भवन निर्माण विभाग, लाईन टैंक रोड, रांची

PR 213175 (Building)19-20#D

बूंद – बूंद नहीं बरसेंगे तो बूंद को तरसेंगे

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the Corporate Debtor	**Khairwala International Limited**
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	22nd February, 1992
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Ministry of Corporate Affairs - ROC - Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of Corporate Debtor	U51900DL1993PLC052248
5.	Address of the Registered office and Principal office (if any) of Corporate Debtor	Registered Address: 4273-IF Gali bahu Ji Pahari Dhiraj DELHI Central Delhi DL 110006 Factory address: 2 Km Stone, Khair Somna Road, Kasba Khair, District Aligarh, U.P. 202138 and Village Rasulpur, Kasba Khair, District Aligarh, U.P. 202138
6.	Insolvency commencement date of the Corporate Debtor	09th May, 2019
7.	Date of invitation of Expression of Interest	31st July, 2019
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be obtained at www.primusresolutions.in under Primus Public Announcements
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Details can be obtained at www.primusresolutions.in under Primus Public Announcements
10.	Last date for receipt of Expression of Interest	16th August, 2019
11.	Date of issue of provisional list of prospective Resolution Applicants	26th August, 2019
12.	Last date for submission of objections to provisional list	31st August, 2019
13.	Date of issue of final list of prospective Resolution Applicants	10th September, 2019
14.	Date of issue of Information Memorandum, evaluation matrix and request for Resolution Plans to prospective Resolution Applicants	31st August, 2019
15.	Manner of obtaining request for Resolution Plan, evaluation matrix, Information Memorandum and further information	Shall be shared in electronic form to all the Prospective Resolution Applicants eligible to receive the same under Regulations 36B(1) of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016.
16.	Last date for submission of Resolution Plans	30th September, 2019
17.	Manner of submitting Resolution Plans to Resolution Professional	Details will be provided at the time of issue of Request for Resolution Plan.
18.	Estimated date for submission of Resolution Plan to the Adjudicating Authority for approval	15th October, 2019
19.	Name and Registration number of the Resolution Professional	Mr. Harjeet Singh Rekhi Reg.No.:IBBI/IPA-003/IP-N000177/2018-2019/12124
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Mr. Harjeet Singh Rekhi **Address Registered with the Board:** C3/93, 2nd Floor, Janakpuri, New Delhi, National Capital Territory Of Delhi, 110058 **Email Registered with the Board:** hsrekhi2@gmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	**Address for Correspondence:** Primus Insolvency Resolution and Valuation Pvt. Ltd., C4E/135, Janakpuri, New Delhi, 110058 Email: kil@primusresolutions.in
22.	Further Details are available at or with	This can be obtained by sending a request email at kil@primusresolutions.in
23.	Date of publication of Form G	31st July, 2019

31st July, 2019 Harjeet Singh Rekhi
Place : New Delhi Resolution Professional- Khairwala International Ltd.
Reg.No.:IBBI/IPA-003/IP-N000177/2018-2019/12124

शुद्धि पत्र

एसबीआईआईटी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेडः प्रपत्र ए 29.07.2019 को प्रकाशित। क्रम सं. 11) दावे जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त, 2019 पढ़ें।

जिंदल सॉ लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : ए–1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा – 281403
सीआईएन : L27104UP1984PLC023979

सूचना

एतदद्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त पहली तिमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और समेकित) वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jindalsaw.com पर तथा स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट्स नामतः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

जिंदल सॉ लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
सुनिल कु. जैन
कम्पनी सचिव
एफसीएस : 3056

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30–07–2019

प्रपत्र संख्या आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

रिकी सिक्योरिटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड, सी.आई.एन.–U52190DL2011PTC221641 जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 315, **एफ.आई.ई., पटपड़ गंज, दिल्ली**–110092 में स्थित है के मामले में, ---

–आवेदक

एतदद्वारा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए **सोमवार, 24 जून** 2019 को अयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप दाखिल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लेखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2, विंग, सेकंड फ्लोर, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते 315, **एफ.आई.ई., पटपड़ गंज, दिल्ली**–110092 पर भी भेजे।

कृते एवं के लिए
रिकी सिक्योरिटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
लवलेश गोयल
(निदेशक)
डिन–02791468
फ्लैट नं. 102, प्लाट नं. 391, सेक्टर–4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010
तारीखः 31.07.2019
स्थानः दिल्ली

प्रारूप संख्या आईएनसी–26
(30 कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 पर शासन करने का उद्देश्य)
केंद्र सरकार के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और नियम 30 (5), 30(6)(क) कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 के मामले में
और
ज़िवाह फाउंडेशन जिसका पंजीकृत कार्यालय हाउस नव. 454/1, गली नं.3, दयानन्द नगर, तहसील–बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक– झज्जर, हरियाणा–124507 के मामले में

याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन करने की प्रकिया तारीख 14, मार्च 2019 को सामान्य आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को हरियाणा राज्य" केंद्र शासित प्रदेश " दिल्ली से " में स्थानांतरित एवं कार्यालय के सगम ज्ञापन में संशोधन करने की पुष्टि की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए –21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निर्देशक, उत्तरी क्षेत्र खंडपीठ, नई दिल्ली के एनसीटी, बी –2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 ,उपर्युक्त पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को को ऊपर लिखे पते पर भी भेजेंगे:

निदेशक के लिए और निदेशक की और से
ज़िवाह फाउंडेशन
अमित कुमार (निदेशक)
DIN: 07876261

तिथि: 31.07.2019
स्थान: हरियाणा

दिल्ली शहरी भवन सुधार बोर्ड
सरकार। दिल्ली के एनसीटी की
कार्यकारी अभियंता सी 5–का कार्यालय
01, किलोकरी रिंग रोड, महारानी बाग, नई दिल्ली 110014–
(Ph No. 26342896-011, ई: मेल आईडी–eec.5dusib@gmail.com)

ईटेंडर आमंत्रित करने के लिए प्रेस सूचना–

कार्यपालक अभियंता C-5, DUSIB, DUSIB की ओर से पुनः आमंत्रित करते हुए निम्नलिखित कार्य के लिए दो लिफाफे प्रणाली पर ऑनलाइन प्रतिशत दर बोली लगाते हैं:
एनआईटी नं। 22/EE C-5/DUSIB/20-2019 dt 23/07/2019
कार्य का नाम (राजस्व) एस.यू.आई.ई.–:
SH: जेजे बस्ती, विजय कैंप, हाउसिंग फैक्ट्री, जल विहार, लाजपत नगर में CC फुटपाथ और ड्रेनेज सिस्टम प्रदान करना।
अनुमानित लागत 25रु : 25,68,832/– अर्जित धन 5रु। : 51,500/–
निविदा लागतः रु 500/– समय की अनुमतिः 120 दिन
अंतिम बार और दिनांक जमा करने की तिथिः 19.08.2019 अपराह्न 3:00 बजे तक
बोली प्रपत्र और अन्य विवरण वेब साइट से प्राप्त किए जा सकते हैं (Https://govtprocurement.delhi.gov.in)
सुधार के /किसी भी अद्यतन सभी निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इन निविदाओं से संबंधित * लिए नियमित रूप से उपरोक्त साइट पर जाएँ। प्रेस में विज्ञापित नहीं किया जाएगा।

हस्ता./–
कार्यकारी अभियंता सी 5–, डी.बी.आई.एस.यू.

DIP/Shabdarth/0450/19-20

भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी–सह–एसएआरसी फरीदाबाद
एससीओ–98, 1 ला तल, सेक्टर–16, मार्केट, फरीदाबाद
फोनः 0129–22892222, फैक्सः 0129–2290222

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी–सह–एसएआरसी, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 01.06.2018 जारी कर ऋणधारक (कों) गारन्टर (रों) श्री किशन सिंह, पुत्र श्री प्रेम राज, ग्राम फतेहपुर बिलौच, तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद,–121004 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 10,15,789.00 (रुपये दस लाख पन्द्रह हजार सात सौ नवासी मात्र) 10.02.2019 को बकाया+अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ 11.02.2019 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक(कों)/गारन्टर (रों) खाता सं. 65151770315 तथा 65151799142 के माध्यम से इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 18 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 17.07.2019 को रु. 10,10,236.00 (रुपये दस लाख दस हजार दो सौ छत्तीस मात्र) तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ 18.07.2019 से ब्याज की राशि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फतेहपुर बिल्लोच, बल्लभगढ़ में स्थित सम्पत्ति, माप 1380 वर्ग फीट, फरीदाबाद

तिथिः 29.07.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी–सह–एसएआरसी

प्रपत्र जी
रूचि के अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

[दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क (1) के अधीन]

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	शुभकामना बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	08.12.2006
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज – दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45200DL2006PTC156384
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय का पता	197–ई, पार्केट–4, मयूर विहार फेज–1, दिल्ली डीएल 110091 भारत
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभ की तिथि	26-11-2018
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	31-07-2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की प्राप्ति उपलब्ध है :	www.insolvencyandbankruptcy.in
9.	धारा 29क के अधीन लागू अप्रार्हता के नमूनदर :	www.insolvencyandbankruptcy.in
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	04-08-2019
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	05-08-2019
12.	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	07-08-2019
13.	समावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	08-08-2019
14.	संभावित समाधान आवेदकों से सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	07-08-2019
15.	समाधान योजना हेतु अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि	समाधान प्रोफेशनल द्वारा समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन हेतु अनुरोध, उसके द्वारा केवाईसी, निवेश की क्षमता, प्रकटन हेतु सक्षमता और आईबीसी, 2016 की धारा 29ए तथा सीओसी द्वारा अनुमोदित पूर्व–योग्यता मानदंडों, यदि वहेंड्रे, के तहत ग्राह्यता की जांच के पश्चात डेटा रूम के माध्यम से साझा किए जाएंगे।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	10-08-2019
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	जैसाकि समाधान योजना हेतु अनुरोध (आरएफआरपी) जमा करने हेतु अनुरोध में दिया गया है।
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	22-08-2019
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	आनंद सोनभद्र एएए इन्सोल्वेंसी प्रफेशनल्स एलएलपी पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00739/2017-18/11771
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	आनंद सोनभद्र फ्लैट –2183, सेक्टर–बी, पार्केट–2, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070 पंजीकृत ई–मेल : sonbhadra65@gmail.com
21.	पता और ई–मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के सब पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	आनंद सोनभद्र ई–मेल आईडी : shubhkamna.buildtech@aaainsolvency.com पता : ई–16ए, बेसमेंट, कैलाश कालोनी, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in
23.	प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि	31-07-2019

आनंद सोनभद्र
एफसीए, सीएमए (आस्ट्रेलिया) एवं इन्सोल्वेंसी प्रफेशनल
IBBI/IPA-001/IP-P00739/2017-18/11771
शुभकामना बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
के मामले में समाधान प्रफेशनल
सम्पर्क विवरण :
कार्यालय पता : ई–16ए, बेसमेंट, कैलाश कालोनी, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048
सम्पर्क हेतु नम्बर : 011–46604600

ब्रह्मोस एअरोस्पेस के इंजीनियर को जमानत नहीं

नागपुर, 30 जुलाई (भाषा)।

सत्र अदालत ने यहां ब्रह्मोस एअरोस्पेस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अग्रवाल पर संवदेनशील सूचनाएं पाक खुफिया एजंसी आइएसआइ को देने का आरोप है। नागपुर जिला अदालत में पिछले महीने दायर की गई अपनी याचिका में अग्रवाल ने कहा था कि उसके पास कभी ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं रही। जिला व सत्र अदालत के न्यायाधीश ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने एक संयुक्त अभियान में नागपुर के ब्रह्मोस एअरोस्पेस केंद्र में वरिष्ठ सिस्टम इंजीनियर अग्रवाल को आठ अक्तूबर 2018 को

शुद्धि पत्र

पायने रीअल्टर्स प्राईवेट लिमिटेडः प्रपत्र ए 29.07.2019 को प्रकाशित। क्रम सं. 11) दावे जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त, 2019 पढ़ें।

शुद्धि पत्र

पवन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेडः प्रपत्र ए 29.07.2019 को प्रकाशित। क्रम सं. 11) दावे जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त, 2019 पढ़ें।

जगन्नाथ मंदिर में पान-तंबाकू पर प्रतिबंध

भुवनेश्वर, 30 जुलाई (भाषा)।

ओड़ीशा के पुरी स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर के भीतर पान के पत्तों और तंबाकू पर गुरुवार से प्रतिबंध लग जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मंदिर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

BNP PARIBAS MUTUAL FUND

Investment Manager: BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC)
Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: BNP Paribas House, 1 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400 051. **Website:** www.bnpparibasmf.in • **Toll Free:** 1800 102 2595

NOTICE NO. 23/2019

Disclosure of Annual Report and Abridged Annual Report of the Schemes of BNP Paribas Mutual Fund (the Fund):

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT in terms of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and SEBI circulars issued in this regard from time to time, the Annual Report and the Abridged Annual Report for the period ended March 31, 2019 for the Schemes of the Fund have been hosted on the website of the Fund (https://www.bnpparibasmf.in/downloads/scheme-financials) and AMFI respectively.

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Abridged Annual Report through telephone (call on Toll Free No. 1800 102 2595), by sending an email (customer.care@bnpparibasmf.in), by sending written request to or by visiting any our Investor Services centers (list available on our website https://www.bnpparibasmf.in), or by choosing the relevant option under the scheme application forms (option under application forms applicable for new subscribers). Such copies shall be provided to the unit holders free of cost.

For BNP Paribas Asset Management India Private Limited
(Investment Manager to BNP Paribas Mutual Fund)
Sd/-
Jyothi Krishnan
Head of Compliance, Legal & Secretarial

Date : July 30, 2019
Place : Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

इंडियन बैंक Indian Bank

अंचल कार्यालयः 2–बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, 11, महात्मा गाँधी मार्ग, हज़रतगंज, लखनऊ

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत सूचना

शाखा– गोमती नगर शाखा, 2/139, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010

डिमाण्ड नोटिस की तिथि बकाया धनराशि	उधारकर्ता/प्रोपराइटर/बंधककर्ता/ज़मानतकर्ता का नाम व पता एवं खाता सं.	बंधक सम्पत्ति का विवरण
डिमाण्ड नोटिस की तिथिः **04.07.2019** बकाया रू. **2,35,72,227/–** दिनांक 03.07.2019 तक + ब्याज दिनांक 04.07.2019 से	**ऋणकर्ताः– मेसर्स जेएससी स्टोर प्रोप्रा0– श्री अमित कुमार पुत्र श्री जय कीरत सिंह, 7वां,** केएम, फैजाबाद रोड, ग्राम–लक्षबर बझा, परगनाः प्रतापगंज, तहसीलः नवाबगंज, बाराबंकी–225001 **प्रोप्राइटर/बंधककर्ताः– श्री अमित कुमार पुत्र श्री जय कीरत सिंह,** निवासी मकान सं. 3, चौधरी नगर, नाका पैसार फैजाबाद रोड, नवाबगंज, बाराबंकी– 225001 **जमानतकर्ताः– श्री जय कीरत सिंह पुत्र स्वर्गीय राम सिंह,** निवासी मकान सं. 3, चौधरी नगर, नाका पैसार फैजाबाद रोड, नवाबगंज, बाराबंकी– 225001 **लोन खाता सं. 6515135317 एवं 6504771626**	**साम्यिक सम्पत्तिः** भूमि के सभी भाग व खण्ड **क्षेत्रफल 0.6746 हेक्टेयर** स्थित खसरा सं. 1816, 1955 व 1860 ग्राम सतरिक, नवाबगंज, परगना, जिला–बाराबंकी, **चौहद्दी (गाटा सं. 1816 के अनुसार): पूर्वः** अराजी सं. 1817, **पश्चिमः** चक रोड, **उत्तरः** अराजी सं. 1821, **दक्षिणः** सड़क ननमाऊ स्मारक मार्ग **(गाटा सं. 1860 के अनुसार): पूर्वः** अराजी सं. 1867, **पश्चिमः** अराजी सं. 1861 अ एवं ब, **उत्तरः** अराजी सं. 1858 व 1859, **दक्षिणः** अराजी सं. 1864 व 1865 **(गाटा सं. 1955 के अनुसार): पूर्वः** अराजी सं. 1958, **पश्चिमः** अराजी सं. 1954, **उत्तरः** चक रोड, **दक्षिणः** अराजी सं. 1956 **दृष्टिबंधक सिक्योरिटीः** आइस फैक्ट्री/मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्टोर्ड के लिए मशीनरी, आइस कैन, इक्यूपमेंट आदि स्थापित और कोल्ड स्टोरेज/ परिसर के भाग व खण्ड में स्थापित किया गया, निर्मित भूमि स्थित खसरा सं. 1556/2, 1557/2 एवं 1558/2 एम, लखनऊ से फैजाबाद रोड, ग्राम लक्षबर बझा परगना प्रतापगंज, तहसील– नवाबगंज, जिला– बाराबंकी (यूपी)। उक्त आधार स्वामी श्री जय कीरत सिंह पुत्र राम सिंह द्वारा पट्टे पर दिया गया है। **दृष्टिबंधक स्टॉक्सः** सभी स्टॉक कोल्ड स्टोरेज/ परिसर के भाग व खण्ड पर कोल्ड स्टोरेज चैम्बर्स में संग्रहीत है, निर्मित भूमि स्थित खसरा सं. 1556/2, 1557/2 एवं 1558/2 एम, लखनऊ से फैजाबाद रोड, ग्राम लक्षबर बझा परगना प्रतापगंज, तहसील– नवाबगंज, जिला– बाराबंकी (यूपी)। उक्त आधार स्वामी श्री जय कीरत सिंह पुत्र राम सिंह द्वारा पट्टे पर दिया गया है।

आप सभी निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज सहित ऋण (ऊपर अंकित धनराशि + ब्याज व अन्य खर्चे अंकित दिनांक से प्रभावी ऋण की अदायगी तक) की अदायगी करने में असफल रहे हैं।

बैंक ने आप सभी पर ऊपर खाते में अंकित बकाया धनराशि की मांग करते हुए ऊपर लिखित तिथि को मांग सूचना, उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत किया गया, जो कि Unserved वापस आ गया। आप सभी को इस सूचना के 60 दिनों के अन्दर ऊपर अंकित बकाया राशि (संबन्धित ऋण खाते में बकाया राशि, ब्याज व अन्य खर्चे सहित ऊपर अंकित दिनांक से ऋण के भुगतान तक) भुगतान करें। ऐसा करने में असफल होने पर बैंक ऊपर अंकित संपत्तियों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बाध्य होगा।

हम आपका ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) और नियमों के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं जो कि आपके प्रतिभूतियों से सम्बन्धित "Right of redemption" को दर्शाता है।

यह सूचना बैंक को प्राप्त अन्य उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी की गयी है।

स्थानः लखनऊ दिनांकः 30.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

(सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ)

आप सभी को इस वैकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुपर्द हुए बिना वापस आने के बाद, मैं जमानती लेनदार बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी करता हूं। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋणियों/गारंटरों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है और सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के नियम 3 के अन्तर्गत सार्वजनिक मांग सूचना जारी की जाती है। ताकि आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित बकाया का भुगतान इस प्रकाशन के उपरांत 60 दिनों के अंदर करें। कृपया यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करते है तो बैंक उक्त अधिनियम के धारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम के तहत बकाया सहित बकाया देनदारी की वसूली के लिए उसे बेचेगा। **बकाया देनदारी की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सुविधाओं से पक्षपात किए बिना आप सभी के विरूद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती है।** कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं

क्र. सं.	शाखा एवं ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर के नाम	प्रतिभूति/सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
1.	**शाखा : नारी शिल्प** **मैसर्स भारत ट्रेडर्स (ऋणी/दृष्टिबंधक) मौहम्मद नसीर** पुत्र मौहम्मद शराफत **(प्रोपराइटर),** शिमला बाईपास चन्द्रबनी चौक देहरादून। **मौहम्मद नसीर** पुत्र मौहम्मद शराफत **(प्रोपराइटर),** पता : 523, सरायपीर जगदान देवबंद, सहारनपुर, उ0प्र0 पताः ए-46, ट्रासंपोर्ट नगर, देहरादून **मौहम्मद मुख्तार अहमद** पुत्र मौहम्मद सदीक **(गारन्टर/बंधककर्ता),** जी-269, फाउंटेन चौक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून पिन-248001	बंधक आवासीय सम्पत्ति नं0 जी-269 (ईडब्ल्यूएस), नेहरू क

हथियार छीनने की घटनाएं रोकने के लिए

हथियार सुरक्षा प्रणाली खरीदेगी जम्मू-कश्मीर पुलिस

जम्मू, 30 जुलाई (भाषा)।

आतंकियों द्वारा हथियार छीनने की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर चिंतित जम्मू-कश्मीर पुलिस इससे निपटने के लिए 4000 हथियार सुरक्षा प्रणाली खरीदेगी, जिन्हें स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर लॉक वेपन ट्रैकिंग सिस्टम (एसईटीएलडब्लूटीएस) कहा जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार तीन वर्षों में राज्य में आतंकियों द्वारा एके-47 राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल (एसएलआर) और इंसास राइफलों सहित 200 से अधिक हथियारों के अलावा बड़ी संख्या में गोला-बारूद छीन लिया गया।

राज्य पुलिस ने अपने हथियार और गोला-बारूद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 4000 हथियार सुरक्षा प्रणाली वाहनों की खरीद के लिए हाल में टेंडर जारी किए। सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआइजी) मुबस्सिर लतीफी ने कहा, 'हथियार सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति के लिए निर्माताओं या उनके अधिकृत डीलरों से टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।' उन्होंने कहा कि डब्लूएसएस में जीपीएस ट्रैकर के साथ ट्रिगर आधारित लॉकिंग यूनिट होनी चाहिए, ताकि उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सके और उनका तेजी से पता लगाया जा सके।

ऐसे उपकरण आग्नेयास्त्र के अनुकूल होने चाहिए और उन्हें केवल अधिकृत इस्तेमाल करने वाले के बायोमेट्रिक से ही चलाया जा सके। जबर्दस्ती चलाने के किसी प्रयास से पूरी ट्रिगर प्रणाली बेकार हो जाएगी। पुलिस ने कश्मीर घाटी में हथियार छीनने की घटनाओं में बढ़ोतरी के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा स्मार्टफोन के अधिक इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराते हुए गत वर्ष अपने संतरियों के ड्यूटी के समय इनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

कश्मीर में सब कुछ सामान्य, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें : मलिक

श्रीनगर, 30 जुलाई (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को राज्य के विशेष दर्जे में बदलाव की चर्चाओं को महज अफवाह बताया। मलिक ने कहा कि लोगों को ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी सरकारी दस्तावेजों के आधार पर आशंकाएं जताई जा रही थीं कि अनुच्छेद-35ए में बदलाव हो सकता है।

राज्यपाल मलिक ने कहा, 'यहां काफी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन पर ध्यान नहीं दें। सब कुछ ठीक है। सब कुछ सामान्य है।' मलिक ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर दिख रहे आदेश वैध नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'कोई भी आदेश वैध नहीं है। लाल चौक पर अगर कोई छींकता भी है तो राज्यपाल भवन तक पहुंचते- पहुंचते इसे बम विस्फोट बता दिया जाता है।'

बता दें कि घाटी में सुरक्षाबलों की सौ कंपनियां भेजे जाने के आदेश के बाद से घाटी में अफवाहों का बाजार गर्म है। पिछले तीन दिनों से राज्य सरकार के अधिकारियों और केंद्र सरकार के कुछ विभागों की तरफ से जारी कई फर्जी आदेशों से आशंकाएं जताई जा रही थीं कि जम्मू-कश्मीर को लेकर कोई बड़ा निर्णय होने वाला है।

फर्जी आदेश फैलने की सीबीआइ जांच हो : उमर

नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से फैले 'फर्जी आदेशों' के सिलसिले में सीबीआइ जांच की मांग की है।

अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, 'राज्यपाल द्वारा उठाया गया यह एक गंभीर मुद्दा है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित फर्जी आदेश फैले हैं। इसे महज कुछ कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।' (भाषा)

कब्जे की सूचना

जैसे की, सिटी बैंक एवं डी.सी.बी. बैंक (मूल ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारीगण द्वारा सीक्युरिटायजेशन एंड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सीक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अनुसार और धारा 13(12) सपठित सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 3 के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत कर्जदारों को उनके नामों के समुख निर्देशित राशि का प्रदान संबंधित सूचना में निर्देशित लागू दरों पर ब्याज के साथ संबंधित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रदान और/या वसुली की तिथि तक प्रासंगिक व्यय, मूल्य, प्रभार आदि के साथ करने हेतु निर्देश देने वाली मांग सूचना जारी की गई थी।

क्र. सं.	ऋण खाता सं./ऋणी/सह-ऋणी/ जमानतदार का नाम	कुल बकाया राशि रू में मांग सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक व प्रकार
1.	121696/ संजय साधु/रूचि साधु/एम. एल. साधु	रू. 1,43,28,554.00 21-01-2013	भौतिक 25.07.2019
	सम्पार्श्विक सम्पत्ति का पता: संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जो फ्लैट नं. 1बी, दी किंग्स रिसर्व, सेक्टर गम्मा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है जिसकी सीमाएं- पूर्व: फ्लैट, पश्चिम: फ्लैट,, उत्तर: खुली जगह, दक्षिण: लेन।		
2	HHOMDEL00034646/ HHOMDEL00034889/ HHOMDEL00035429 धर्मेन्द्र सिंह/बृजेश कुमारी	रू. 71,71,721.54 01-03-2016	भौतिक 25.07.2019
	सम्पार्श्विक सम्पत्ति का पता: ए-23, सेक्टर डेल्टा-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, माप 120 स्कवायर मी. सीमाएं- उत्तर पूर्व: प्लॉट नं. 24, दक्षिण पूर्व: 12 मी. चौड़ी सड़क, उत्तर पश्चिम: प्लॉट नं. 4 एवं 5, दक्षिण पश्चिम: प्लॉट नं. 22		

उक्त वर्णित खातों को मूल ऋणदाता के द्वारा असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (आर्सिल) के पक्ष में बिना शर्त एवं अखंडनीय रूप से अद्योहस्ताक्षरित कर दिया गया है तथापि, कर्जदार द्वारा संबंधित राशि का प्रदान करने में असफल होने के कारण यह सूचना विशेष रूप से उपरी निर्देशित कर्जदारों को तथा आम जनता को दी जाती है कि असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (आर्सिल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस कानून के धारा 13(4) सपठित इस नियम के नियम 8 के तहत उन्हे प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उपरी निर्देशित जायदाद/प्रतिभूत संपत्ति का प्राधिकृत अधिकार ने उपरी निर्देशित तिथि को भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है, विशेष रूप से उपरी निर्देशित कर्जदारों को और आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे इस निर्देशित जायदाद/ प्रतिभूत संपत्ति के संदर्भ में व्यवहार न करें और निर्देशित जायदाद/प्रतिभूत संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी व्यवहार आर्सिल के प्रभारों के अधीन होगा, कानून के धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि वे उपलब्ध समय में प्रतिभूत संपत्ति विमुक्त करें।

दिनांक: 31.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

हस्ताक्षर:
प्राधिकृत अधिकारी,
असेट रिकन्सट्रक्शन कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड

Arcil
असेट रीकन्सट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
CIN NO:-U65999MH2002PLC134884 www.arcil.co.in
पंजिकृत कार्यालय: द रूबी, 10 वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (प.), मुंबई-400028, फोन: +91 2266581300
शाखा पता: द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नं. 2, डी.डी.ए. लोकल शॉपिंग सेन्टर, मोर लेण्ड, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

VAIBHAV GLOBAL LIMITED

Regd. Off.: K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur-302004;
Tel:-91-141-2601020; Fax: 91-141-2605077; CIN : L36911RJ1989PLC004945;
E Mail: investor_relations@vaibhavglobal.com; Website : www.vaibhavglobal.com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2019

(₹ In lacs, unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	Consolidated Quarter Ended 30.06.2019 (Unaudited)	30.06.2018 (Unaudited)
1	Total Income from Operations (Net)	43,995.64	39,012.40
2	Other Income	371.98	392.23
3	Total Income	44,367.62	39,404.63
4	Net Profit from Ordinary Activities (before tax and exceptional items)	4,516.34	3,684.31
5	Net Profit from Ordinary Activities before tax (after exceptional items)	4,516.34	3,684.31
6	Net Profit from Ordinary Activities after tax (after exceptional items)	3,601.36	3,004.67
7	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,253.59	2,951.17
8	Equity Share Capital	3,278.76	3,259.86
9	Earnings Per Share (of ₹ 10 each) (for continuing and discontinued operations)		
	i) Basic EPS	11.02	9.22
	ii) Diluted EPS	10.62	8.90

Notes :

1. The above unaudited consolidated financial results for the quarter ended 30th June, 2019 have been reviewed by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30th July, 2019.
2. These unaudited consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015.
3. Current tax includes minimum alternate tax (MAT) and deferred tax includes MAT credit entitlement.
4. Key numbers of standalone financial results of the Parent Company i.e. Vaibhav Global Limited are as under:

(₹ In lacs, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2019 (Unaudited)	30.06.2018 (Unaudited)
Total Income	10,939.61	12,201.06
Profit before tax	994.69	1,266.87
Total comprehensive income	841.18	302.89

5. The unaudited consolidated financial results include the financial results of the Parent Company and the financial results of the following subsidiaries and step down subsidiaries (collectively referred as 'the Group'):

Subsidiaries:
- Genoa Jewelers Limited, BVI
- STS Gems Limited, Hongkong
- STS Jewels Inc., USA
- STS Gems Thai Limited, Thailand
- STS Gems Limited, Japan

Step down Subsidiaries:
- Shop LC Global Inc., USA (previously known as The Jewelery Channel Inc. USA)
- The Jewellery Channel limited, UK
- PT. STS Bali, Indonesia
- STS (Guangzhou) Trading Limited, China

6. During the quarter, the Company has allotted 1,25,218 equity shares of ₹ 10/- each under the Company`s Employees Stock Option Scheme-2006 (As Amended) at exercise price ranging from ₹ 45.30 – ₹ 742.50.
7. Effective 01st April, 2019, the Group adopted Ind AS 116 "Leases", applied to all lease contracts existing on 01 April 2019 using the modified retrospective method and has taken the cumulative adjustment to retained earnings, as on the date of initial application. Accordingly, Group is not required to restate the comparative information for the year and quarter ended 31st March, 2019 and quarter ended 30th June, 2019.

   On 01st April, 2019, the Group has recognised a lease liability measured at the present value of the remaining lease payments and Right-of-Use (ROU) assets at its carrying amount as if the standard had been applied since the lease commencement date, but discounted using the lessee's incremental borrowing rate as at 01st April, 2019.

   Consequently, in the statement of profit and loss for the current period, the nature of expenses in respect of operating leases has changed from "Rent" in previous period to "Depreciation and amortisation expense" for the right of use assets and "Finance cost" for interest accrued on lease liability. As a result the "Rent", "Depreciation and amortisation expense" and "Finance cost" of the current period is not comparable to the earlier periods. To the extent the performance of the current period is not comparable with previous period results, the reconciliation of above effect on statement of profit and loss for the quarter ended 30th June, 2019 is as under:

(₹ In lacs, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter ended 30.06.2019 Comparable Basis	Ind AS 116 impact	Quarter ended 30.06.2019 as reported
Other expenses - Administrative and selling expenses	14,461.37	(281.30)	14,180.07
Depreciation and amortisation expenses	651.36	184.75	836.11
Finance cost	54.07	49.12	103.19
Profit before tax	4,468.91	47.43	4,516.34
Less: Tax expenses	925.10	(10.12)	914.98
Profit after tax	3,564.05	37.31	3,601.36

8. Item exceeding 10% of total expenditure (included in other expenses – administrative and selling expenses)

(₹ In lacs, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2019	30.06.2018
Content and Broadcasting expenses	5,249.97	4,920.06

9. Group operates in single business segment i.e. Fashion Jewelry & Life Style Products.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sunil Agrawal
Managing Director
DIN :00061142

Place : Jaipur
Date : 30th July, 2019

टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(सीआईएन: L65910DL1989PLC034812)
पंजीकृत कार्यालय: चौथा तल, टॉवर 1, एनबीसीसी प्लाजा, सैक्टर-V, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली-110017, फोन: 011-29561180, फैक्स : 011-29561171
ईमेल: complianceofficer@tfciltd.com, वेबसाइट: www.tfciltd.com

सूचना

सेबी (सूचीकरण उत्तरदायित्व एवं प्रकट आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में हम आपको सूचित करते हैं कि टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के निदेशक मंडल की बैठक **30 जून, 2019** को समाप्त तिमाही के लिये वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन के लिये, **शुक्रवार, 9 अगस्त, 2019** को आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट **(www.tfciltd.com)**, बीएसई लि. की वेबसाइट **(www.bseindia.com)** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की वेबसाइट **(www.nseindia.com)** पर उपलब्ध है।

कृते टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
हस्ता./-
(संजय आहूजा)
कम्पनी सचिव

दिनांक: जुलाई 30, 2019
स्थान: नई दिल्ली

PEE CEE COSMA SOPE LTD.

CIN: L24241UP1986PLC008344 www.doctorsoap.com
Regd Office:G-10/8, Padam Deep, Sanjay Place, Agra-282002, Uttar Pradesh
Tel.No. 0562-2527332, Fax.No. 0562-2527329, e-mail: pccosmalisting@doctorsoap.com

PUBLIC NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Tuesday,13th August, 2019** at the Registered Office to inter alia approve and take on record the Un Audited Financial Results for the Quarter ended **30th June, 2019**, alongwith Limited Review Report thereon and to fix the date of Annual General Meeting and Book Closure Dates for the purpose of payment of Dividend, subject to approval by members in the A.G.M. The Notice is also available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com and company's website www.doctorsoap.com.

For & on behalf of the Board
PEE CEE COSMA SOPE LIMITED
ASHOK KUMAR JAIN
(Executive Chairman) DIN:00113133

Place : Agra
Date : 30.07.2019

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

मै. पैरागॉन हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मै. पैरागॉन हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	13 नवम्बर, 2009
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी अधिनियम, 1956, कम्पनी रजिस्ट्रार्स, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U55101DL2009PTC195986
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**पंजी.कार्या.:** ए-49, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024 **कॉर्पोरेट कार्यालय:** ए-49, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	1 जुलाई, 2019 (आईआरपी को 29 जुलाई, 2019 को आदेश की जानकारी हुई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	24 जनवरी, 2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल का नाम, पता, ई-मेल पता तथा पंजीकरण संख्या	अमित अग्रवाल पंजी.सं.: IBBI/IPA-02/IP-N00185/2017-18/10456
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल का पता एवं ईमेल:	एच-63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092 ई-मेल आईडी: amitagcs@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	एच-63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092 ई-मेल आईडी: crown.amitagcs@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	11 अगस्त, 2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	(क) वेब लिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता: लागू नहीं (ख) लागू नहीं।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली ने दिनांक 1 जुलाई, 2019 को जबकि आदेश 29 जुलाई, 2019 को आईआरपी को उपलब्ध हुआ, मै. पैरागॉन हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा मै. पैरागॉन हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के पास 11 अगस्त, 2019 को या उससे पूर्व सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सबूत के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (वर्ग निर्दिष्ट करें) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिश्नलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./-
अमित अग्रवाल
(इन्सॉल्वेन्सी रिजॉल्यूशन प्रॉफिशनल)

तिथि: 30.7.2019
स्थान: दिल्ली

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष
प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली
2019 की कम्पनी याचिका सं. (सीएए) 93 (पीबी)
2019 के कम्पनी आवेदन सं. (सीएए) 80 (पीबी) के साथ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 230 से 232 के मामले में
तथा
व्यवस्था की समग्र योजना के मामले में
बजाज कैपिटल लिमिटेड
('याचिकाकर्ता-1/हस्तांतकरणकर्ता कम्पनी-1')
तथा
बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड
('याचिकाकर्ता-2/हस्तांतकरणकर्ता कम्पनी-2')
तथा
बजाज कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड
('याचिकाकर्ता-3/परिणामी कम्पनी-1')
तथा
बजाज कैपिटल नूवो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड
('याचिकाकर्ता-4/परिणामी कम्पनी-2')
के मध्य

याचिका सुनवाई की सूचना

बजाज कैपिटल लिमिटेड, बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, बजाज कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड तथा बजाज कैपिटल नूवो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड के बीच व्यवस्था की समग्र योजना के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अन्तर्गत याचिकाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 14 जून, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष एक कम्पनी याचिका ('याचिका') प्रस्तुत की गई है। याचिका दिनांक 15 जुलाई, 2019 को दाखिल की गई थी एवं राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष दिनांक 28 अगस्त, 2019 को प्रातः 10.30 बजे याचिका की सुनवाई होनी निर्धारित हुई है। कोई व्यक्ति जिसका हित याचिका से प्रभावित होने की संभावना हो अथवा जो याचिका का विरोध या समर्थन करने के इच्छुक हो, उसे अपने अथवा अपने वकील के नाम एवं पते के साथ हस्ताक्षरित अपने आशय की सूचना, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली एवं याचिकाकर्ता के वकील को नीचे दिए गए पते पर भेज दें, ताकि यह याचिका की सुनवाई के निर्धारित दिन से दो (2) दिन पहले तक याचिकाकर्ता के वकील तक पहुँच जाए। जिस आधार पर वह इस याचिका का विरोध करना चाहता है, उस विरोध का आधार या हलफनामें की एक प्रति इस सूचना के साथ देनी होगी। कोई व्यक्ति जिसे याचिका की प्रति की आवश्यकता हो, उसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसके निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध करायी जाएगी।

जे सागर एसोशिएट्स
एडवोकेट्स एण्ड सोलिसिटर्स
बी-303, तीसरा तल, अंसल प्लाजा,
हडको प्लेस, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली-110 049

दिनांक: जुलाई 30, 2019

TVS
Presents

RAMNATH GOENKA EXCELLENCE IN JOURNALISM AWARDS

INDIA'S MOST PRESTIGIOUS AND COVETED JOURNALISM AWARDS

CALL FOR ENTRIES 2018

Acknowledging accuracy, courage, credibility & fairness

RAMNATH GOENKA MEMORIAL FOUNDATION | INDIAN EXPRESS GROUP

Award Categories

Print/Digital & Broadcast
- Reporting from Conflict States
- Hindi
- Regional Languages
- Environment, Science and Technology Reporting
- Uncovering India Invisible
- Business and Economic Journalism
- Reporting on Politics and Government
- Sports Journalism
- Investigative Reporting

Print/Digital
- Reporting on Arts, Culture and Entertainment
- Foreign Correspondent Covering India
- Editorial Commentary and Cartoons
- Books (Non-Fiction)
- Prakash Kardaley Memorial Award for Civic Journalism
- Photo Journalism
- Best Student-Run Newspaper, Magazine and Digital News Portal

Apply Online: rngfoundation.com/awards

LAST DATE FOR ENTRIES | JULY 31, 2019 | Entries are invited for the year 2018 only.

Ramnath Goenka Memorial Foundation, Express Building, B-1/B, Sector-10, Noida-201 301, Uttar Pradesh, India; **rngf@expressindia.com**

एमटीएनएल-बीएसएनएल के विलय पर काम कर रहा दूरसंचार विभाग

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

दूरसंचार विभाग नकदी संकट से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल और बीएसएनएल के विलय पर काम कर रहा है। एक सूत्र ने मंगलवार को कहा कि विभाग इन कंपनियों को फिर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है।

मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि इन कंपनियों को पटरी पर लाने के लिए जिन चीजों पर विचार किया जा रहा है, उनमें विलय भी एक है। इस बारे में अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा। यह कदम इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) को लगातार घाटा हो रहा है और हाल के समय में उन्हें अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने में भी दिक्कतें आई हैं।

सूत्र ने कहा कि कुल पुनरोद्धार योजना में विलय का विकल्प भी शामिल है। इसकी वजह यह है कि बीएसएनएल अपने दम पर अस्तित्व में बनी नहीं रह पाएगी। इस पर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल को करना है। उसने कहा- योजना यह है कि एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय कर दिया जाए। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में टेलीफोनी सेवाएं देती है, जबकि शेष सर्कलों में बीएसएनएल सेवाएं देती है। दूरसंचार विभाग इन कंपनियों को बचाने के लिए पुनरोद्धार पैकेज पर काम कर रहा है। इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस), संपत्ति का मौद्रीकरण और 4-जी स्पेक्ट्रम का आबंटन जैसे विकल्प हैं।

संसद में दी गई सूचना के अनुसार बीएसएनएल का घाटा 2018-19 में बढ़कर 14,202 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आलोच्य वित्त वर्ष में कंपनी का राजस्व 19,308 करोड़ रुपए रहा। बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 1,65,179 है। कंपनी की कुल आमदनी में से कर्मचारियों के वेतन भुगतान की लागत 75 फीसद बैठती है। वहीं निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेल के कर्मचारियों की संख्या 20,000 है और कर्मचारियों की लागत कंपनी की आय का मात्र 2.95 फीसद है। इसी तरह वोडाफोन के कर्मचारियों की संख्या 9,883 है और कर्मचारियों की लागत उसकी आय का 5.59 फीसद बैठती है। एक अप्रैल, 2019 को बीएसएनएल का नेटवर्थ 34,276 करोड़ रुपए (लेखा परीक्षण के बिना और अस्थायी) था। वहीं एमटीएनएल का नेटवर्क नकारात्मक 9,735 करोड़ रुपए था।

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछले महीने लोकसभा में कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उनके पुनरोद्धार के लिए एक व्यापक योजना बनाई जा रही है।

एफटीआइएल के पूर्व उपाध्यक्ष देसाई पर 12 लाख रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

बाजार नियामक सेबी ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एनपी देसाई पर मंगलवार को 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भेदिया कारोबार से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ सेबी ने यह आदेश दिया है।

भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश के मुताबिक देसाई मार्च, 2008 से सितंबर, 2013 के बीच देसाई एफटीआइएल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व कंपनी सचिव थे। विनियामक ने अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2013 के बीच एफटीआइएल के शेयरों की खरीद-बिक्री की जांच की। एफटीआइएल अब 63 मून टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। सेबी ने जांच के दौरान पाया कि देसाई ने भेदिया कारोबार रोकथाम (पीआइटी) के नियमों का उल्लंघन करते हुए उस अवधि में एफटीआइएल के 12,000 शेयर खरीदे व बेचे।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लोकसभा में मंजूर

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

लोकसभा ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रोत्साहन, संरक्षण व लागू कराने के मकसद से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना करने के प्रावधान वाले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को मंगलवार को मंजूरी दे दी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस विधेयक का मकसद उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहारों से होने वाले नुकसान से बचाना और व्यवस्था को सरल बनाना है। इसमें उपभोक्ता विवाद के न्याय निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और 21 दिन के भीतर उसकी शिकायत स्वतः दर्ज हो जाएगी।

विपक्षी दलों के सुझाव व आपत्तियों पर ध्यान देने का आश्वासन देते हुए पासवान ने कहा कि नियम बनाते समय पर इन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और राष्ट्रहित व उपभोक्ता हित से जुड़े सुझावों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों को उपभोक्ता मंचों से जुड़े रिक्त पदों के बारे में दो दर्जन बार पत्र लिखे जा चुके हैं और वह इन पदों को भरने का आग्रह फिर से करते हैं। सदन ने एनके प्रेमचंद्रन, शशि थरूर, सौगत राय आदि के संशोधनों के प्रस्ताव को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

विधेयक के उद्देश्यों व कारणों में कहा गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण और उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषदों व अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। हालांकि इसमें कई कमियां प्रकाश में आई थीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को वर्ष 1986 में अधिनियमित किए जाने से लेकर माल और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों में भारी परिवर्तन आया है। आधुनिक बाजारों में माल और सेवाओं का अंबार लग गया है।

कॉफी डे के शेयर चेयरमैन के लापता होने की खबर से 20 फीसद लुढ़के

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

कॉफी डे एंटरप्राइजेज लि. (सीसीडी) का शेयर मंगलवार को 20 फीसद लुढ़क गया। इससे कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 813 करोड़ रुपए की गिरावट आई। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक वीजी सिद्धार्थ के लापता होने की खबर से शेयर टूटा है।

सीसीडी का शेयर बंबई शेयर बाजार में 19.99 फीसद टूटकर 154.05 रुपए पर आ गया। यह न केवल 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर है बल्कि एक दिन की गिरावट की सीमा को छू गया। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) में शेयर 20 फीसद गिरावट के साथ एक साल के न्यूनतम स्तर 153.40 रुपए प्रति इकाई पर आ गया। शेयर की कीमत में गिरावट से कंपनी का बाजार पूंजीकरण 812.67 करोड़ रुपए घटकर 3,254.33 करोड़ रुपए पर आ गया।

कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कॉफी डे एंटरप्राइजेज लि. के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक वीजी सिद्धार्थ का सोमवार शाम से कुछ पता नहीं है। हम उनका पता लगाने के लिए संबंधित प्राधिकरणों की मदद ले रहे हैं। इसमें कहा गया है कि कंपनी का प्रबंधन पेशेवर तरीके से है और योग्य नेतृत्व इसकी अगुआई कर रहा है।

भ्रष्टाचार मामले में रोल्स रॉयस के खिलाफ मामला दर्ज

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने नवरत्न पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) एचएएल, ओएनजीसी और गेल के अनुबंध हासिल करने के लिए भारत में एक एजेंट की कथित रूप से सेवाएं लेने पर लंदन स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी रोल्स रॉयस और इसकी भारतीय सहायक कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि कंपनी को 2000 से 2013 के बीच एचएएल से 4736 करोड़ रुपए के अनुबंध मिले। इसके अलावा, गेल और ओएनजीसी के लिए पुर्जों की आपूर्ति करने के अनुबंध मिले। आरोप है कि रोल्स रॉयस ने एक एजेंट की सेवाएं लीं जबकि उसने इस तरह का कदम नहीं उठाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी द्वारा लंबी प्रारंभिक जांच के पांच साल बाद यह कार्रवाई हुई है।

कंपनियों के तिमाही परिणाम हल्के रहने से शेयरों में गिरावट

शेयर सूचकांक 289 अंक और निफ्टी 104 अंक लुढ़का

मुंबई, 30 जुलाई (भाषा)।

कंपनियों के तिमाही परिणाम हल्का रहने और वाहन क्षेत्र को लेकर चिंताओं के बीच बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 289 अंक से अधिक लुढ़क गया। बैंक, वाहन और तेल व गैस शेयरों में भारी बिकवाली के कारण शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 104 अंक की गिरावट के साथ 11,085 अंक पर बंद हुआ। यह सूचकांक का पांच महीने का न्यूनतम स्तर है।

तीस शेयरों वाला सूचकांक बढ़त के साथ 37,735.54 अंक पर खुला और कारोबार के दौरान ऊंचे में 37,950.21 और नीचे में 37,359.03 अंक तक गया। कारोबार के अंत में इसमें गिरावट आई और अंत में 289.13 अंक टूटकर 37,397.24 अंक पर बंद हुआ। पचास शेयरों पर आधारित एनएसई का निफ्टी भी 103.80 अंक टूटकर 11,085.40 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 11,267.45 से 11,072.65 अंक के दायरे में रहा।

सूचकांक के शेयरों में यस बैंक को सर्वाधिक 9.13 फीसद का नुकसान हुआ। उसके बाद इंडसइंड बैंक (6.6 फीसद), हीरो मोटो कार्प (6.01 फीसद), सन फार्मा (4.79 फीसद) और भारतीय स्टेट बैंक (4.70 फीसद) का स्थान रहा। नुकसान में रहने वाले अन्य प्रमुख शेयरों में टाटा स्टील, वेदांता, टाटा मोटर्स, रिलायंस, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, एचडीएफसी और आइसीआइसीआइ बैंक शामिल हैं।

दूसरी तरफ भारती एअरटेल को सर्वाधिक 3.19 फीसद का लाभ हुआ। इसके अलावा टीसीएस (2.32 फीसद), एचसीएल टेक (0.83 फीसद), आइटीसी (0.49 फीसद), एचडीएफसी बैंक (0.39 फीसद), एलएंडटी (0.36 फीसद), एचयूएल (0.19 फीसद), इन्फोसिस (0.16 फीसद) और एनटीपीसी (0.08 फीसद) में तेजी दर्ज की गई।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बिकवाली का दायरा बड़ा रहने से गिरावट आई। अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, अमेरिका के रोजगार के आंकड़े और घरेलू स्तर पर कंपनियों के मिले-जुले तिमाही परिणाम से पहले निवेशक थोड़े सतर्क दिखे। वाहन क्षेत्र को लेकर कमजोर परिदृश्य का भी बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा है। बाजार से पूंजी निकासी जारी रहने से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। शेयर बाजारों के पास उपलब्ध अस्थायी आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने सोमवार को शुद्ध रूप से 704.42 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे।

भारत की आर्थिक वृद्धि जून तिमाही में 5.7 फीसद रहेगी : नोमुरा

मुंबई, 30 जुलाई (भाषा)।

नीति-निर्माताओं की ओर से आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को फिर से तेज करने के प्रयासों के बावजूद देश की जीडीपी वृद्धि जून तिमाही में 5.7 फीसद पर रहने का अनुमान है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा की हालिया रपट में यह कहा गया है।

नोमुरा की रपट के मुताबिक भारत में लघु अवधि में मायूसी और मध्यम अवधि में आशा का अनुमान है। रपट में कहा गया है कि उपभोग व सेवाओं में सुस्ती के कारण नरमी रहेगी। इसके लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जारी संकट को कारक बताया गया है। ये कंपनियां सितंबर, 2018 में नकदी के संकट में फंस गईं। इससे पहले लोगों को टिकाऊ उपभोग के सामान की खरीदन के लिए कर्ज में उनका बड़ा योगदान था। इसके अलावा कमजोर वैश्विक वृद्धि और नकदी में कमी को भी नरमी के कारकों के रूप में गिनाया गया है।

ब्रोकरेज कंपनी के मुताबिक उद्योग व निवेश संकेतक अपेक्षाकृत स्थिर हैं। रपट में कहा गया है- हमारा मानना है कि जीडीपी को अभी और नीचे आना है। हमारा अनुमान है कि मार्च के 5.8 फीसद से घटकर यह जून तिमाही में 5.7 फीसद पर रह जाएगा। नोमुरा का अनुमान है कि सितंबर में देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़कर 6.4 फीसद हो जाएगी। उसके बाद की तिमाही में जीडीपी वृद्धि की रफ्तार 6.7 फीसद रहने की उम्मीद है।

मार्च तिमाही में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार घटकर 5.8 फीसद व 2018-19 में जीडीपी की रफ्तार सुस्त होकर कई साल के निम्न स्तर 6.8 फीसद पर आ गई। भारत की जीडीपी रफ्तार में यह गिरावट ऐसे समय में दर्ज की गई है जब सरकार ने 2025 तक देश को पांच हजार अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना में खामियों को दूर करने का आग्रह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 जुलाई।

शिवसेना सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना में खामियों को दूर करने का आग्रह किया। सांसदों ने शिकायत की कि महाराष्ट्र में कई किसानों को फसल बीमा योजना के तहत उनके नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों से ज्यादा बीमा कंपनियों का फायदा हुआ है।

लोकसभा में शिवसेना के नेता विनय राउत ने कहा कि मुआवजा पिछले पांच वर्षों में सबसे अच्छे फसल उत्पादन पर आधारित होना चाहिए। बुलढाणा से पार्टी के सांसद प्रतापराव जाधव ने कहा कि बीमा कंपनियों के ब्लॉक और जिला स्तर पर भी कार्यालय होने चाहिए। इससे अपने दावों को दर्ज कराने में किसानों को मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि किसान इंटरनेट सुविधाओं के अभाव में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान 24 घंटे में अपने दावों को ऑनलाइन दर्ज नहीं करा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि किसानों के लिए बीमा योजना को अनिवार्य किया जाए। जाधव ने कहा कि यह योजना नई है और इसमें कई खामियां हैं, जिसे दूर किया जाना चाहिए।

संसद ने दी कंपनी संशोधन विधेयक को मंजूरी

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

संसद ने मंगलवार को कंपनी (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद कारोबार में सुगमता बढ़ेगी।

राज्यसभा ने वित्त मंत्री के जवाब के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। इससे पूर्व वित्त मंत्री सीतारमण ने उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों से कारोबार में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) बढ़ेगी और कारोबार सुगमता सूचकांक में भारत का स्थान बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने कंपनी अधिनियम पारित किया था जिसमें लगातार संशोधन की मांगें उठती रहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधनों को सरकार अपनी इच्छा से नहीं लाती बल्कि सभी हितधारकों की मांगों के अनुरूप लाया जाता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधान पर विभिन्न सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा कि सीएसआर के लिए कंपनियों को तीन साल की अवधि दी गई है और पहले साल में उन्हें इसके व्यय के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी करनी है। उन्होंने स्पष्ट किया किया कि कम से कम पांच करोड़ रुपए का लाभ अर्जित करने वाली अथवा एक हजार करोड़ रुपए सालाना कारोबार वाली या 500 करोड़ रुपए शुद्ध परिसंपत्ति (नेट वर्थ) वाली कंपनियां सीएसआर के दायरे में होंगी। उन्होंने कहा कि सीएसआर का प्रावधान सभी कंपनियों पर लागू नहीं होगा। संशोधन के बाद अब कंपनियों को यह बताना होगा कि सीएसआर की राशि कितनी है और कहां खर्च किया गया। इतना ही नहीं, सीएसआर का पैसा खर्च नहीं किए जाने पर प्रधानमंत्री राहत कोष सहित सातवीं अनुसूची में प्रावधानित किसी भी मद में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

'रेरा में संशोधन कर विनियामकों के अधिकार बढ़ाए जाएं'

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

हरियाणा और मध्य प्रदेश के रीयल एस्टेट नियामकों ने कहा है कि रीयल एस्टेट (नियमन व विकास) विधेयक यानी रेरा एक परिपूर्ण कानून नहीं है और इसको ठीक ढंग से नहीं लिखा गया है।

इन नियामकों ने कहा कि रेरा कानून में संशोधन किए जाने की जरूरत है, ताकि उन्हें आदेशों के क्रियान्वयन के लिए अधिक अधिकार मिल सकें। साथ ही इससे निर्णय करने वाले प्राधिकरण को लेकर अस्पष्टता को भी दूर किया जा सकेगा। इन नियामकों ने कहा कि दिवाला व शोधन अक्षमता संहिता में भी संशोधन किया जाना चाहिए।

रेरा के तहत पहले रीयल एस्टेट नियामकों को रुकी पड़ी परियोजनाओं का समाधान के लिए छह महीने का और उसके बाद दिवाला प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। आरआइसीएस रीयल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश-रेरा के चेयरमैन एंथनी डे सा ने कहा कि रेरा परिपूर्ण कानून नहीं है और इसमें संशोधन करने की जरूरत है। यह कानून 2016 में पारित हुआ और मई, 2017 से लागू हुआ था।

मजदूरी संहिता विधेयक 2019 लोकसभा में पास

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) ।

लोकसभा ने मंगलवार को मजदूरी संहिता 2019 संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, कारोबार अनुकूल माहौल और श्रमिक कल्याण को मजबूत बनाया गया है

विधेयक पर चर्चा करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह मजदूरों को न्यूनतम और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि यह कदम मजदूरों के जीवन को सरल बनाने, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और व्यापार सुगम बनाने के लिए उठाया गया है। विधेयक में निरीक्षण की व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। इससे संगठित और असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा । मंत्री के जवाब के बाद कुछ सदस्यों के संशोधनों को अस्वीकार करते हुए लोकसभा ने विधेयक को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री गंगवार ने कहा कि 2002 में श्रम संबंधी समिति ने कहा था कि श्रम संबंधी 44 कानूनों को कम किया जाए। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद इस दिशा में पहल हुई और अब हम इसे लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में श्रम संगठनों, राज्यों और उद्योगपतियों से चर्चा की गई है। विधेयक के मसविदे में कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी में हर पांच साल में संशोधन किया जाएगा।

वेतन संहिता विधेयक सरकार की ओर से परिकल्पित चार संहिताओं में से एक है। ये चार संहिताएं 44 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेंगी। विधेयक के उद्देश्यों में बताया गया है कि ये निवेशकों की सहूलियत और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करेंगी।

वर्तमान में न्यूनतम वेतन अधिनियम और वेतन का भुगतान अधिनियम को एक विशेष वेतन सीमा से कम और अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कामगारों पर ही लागू करने का प्रावधान है। इसके अलावा राज्यों द्वारा कामगारों को डिजिटल मोड से वेतन के भुगतान की परिकल्पना की गई है। विभिन्न श्रम कानूनों में वेतन की 12 परिभाषाएं हैं। इन्हें लागू करने में कठिनाइयों के अलावा मुकदमेबाजी को भी बढ़ावा मिलता है। इस परिभाषा को विधेयक में सरल बनाया गया है। जिससे मुकदमेबाजी कम होने और एक नियोक्ता के लिए इसका अनुपालन सरल करने की उम्मीद है। इससे प्रतिष्ठान भी लाभान्वित होंगे क्योंकि रजिस्टरों की संख्या, रिटर्न और फॉर्म आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे जा सकेंगे। साथ ही उनका रख-रखाव किया जा सकेगा। कानूनों के माध्यम से एक से अधिक नमूना निर्धारित नहीं किया जाएगा। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में विविध न्यूनतम वेतन हैं। वेतन पर कोड के माध्यम से न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रणाली को सरल बनाया गया है। रोजगार के विभिन्न प्रकारों को अलग करके न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए एक ही मानदंड बनाया गया है। न्यूनतम वेतन निर्धारण मुख्य रूप से स्थान और कौशल पर आधारित होगा। इसके तहत निरीक्षण व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। इनमें वेब आधारित बिना बारी के कंप्यूटरीकृत निरीक्षण योजना, अधिकार क्षेत्र मुक्त निरीक्षण, निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी मांगना आदि शामिल हैं।

इलाहाबाद बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

जोनल ऑफिसः नई दिल्ली 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोनः 011-23364535

परिशिष्ट-4-ए, (नियम 8 के तहत अनंतिम (6) देखें)
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना।

यह ई-नीलामी ब्रिक्री सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित परिवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 नियम 8(6) के अधीन बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति है। यह नोटिस सार्वजनिक रूप से जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता (कर्ताओं) और गारंटर (गारंटरो) को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेख में अचल सम्पत्ति इलाहाबाद बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास बंधक रखी थी। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित हेतू निम्नलिखित सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कब्जा लेकर बैंक देयों के वसूली हेतू ''जैसे हैं जहां है आधार पर तथा जैसे हैं जो है आधार पर'' 19.08.2019 विक्रय की जायेगी। उधारकर्ताओं, गारंटियों और बंधककर्ताओं से नीचे उल्लिखित राशि की वसूली। आरक्षित मूल्य का उल्लेख नीचे किया गया है और जमा किए जाने वाले सबसे कम पैसे का उल्लेख क्रमशः किया गया है।

19.08.2019 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक होगी । सरफैसी अधिनियम 2002 के तहत

क्रसं.	उधारकर्ता (ओं) का नाम	गारंटर (रों)/ उधारकर्ता(ओं) का नाम	अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों का विवरण	फिजिकल / रचनात्मक स्थिति	05.07.2019 को सुरक्षित ऋण की राशि	स्थानीय स्वशासन की बकाया राशि, और सरकार के अधिकारी आदि का विवरण यदि बैंक को कोई ज्ञात हो	आरक्षित मूल्य	अग्रिम धन जमा / मिन इंक्रीमेंटल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	मैसर्स प्रितिश ग्रीन डेयरी प्रा.लि. शाखाः एसएएम, नई दिल्ली	श्री बज्र किशोर स्वैन , श्रीमती सुनंदा दास, श्रीमती स्वेता गुमान सिंह , श्रीमती स्वर्णलता बहेरा श्रीमती सुनंदा दास (बधं ककता)	वह सम्पूर्ण सम्पत्ति का हिस्सा जो खुले में एवं निर्माणित है जो कि खाता नम्बर-204 खसरा नं. 5173 में 0.3080 हक्टे. में है जो गांव - मंजरी ग्रांट , शेरगढ़ रोड, तहसील-डोईवाला, ऋषिकेश, जिला-देहरादून उत्तराखंड में स्थित है।	फिजिकल स्थिति	रु. 402.63 लाख+ब्याज और अन्य। बैंक के बकाए की वसूली तक खर्च	बैंक को ज्ञात नहीं है।	132.02 लाख रुपये	रू. 13.21 लाख / रू.1.00 लाख
2	मैसर्स शिव बाकेलाइट मौल्डर्स (प्रोपराइटर श्री सतीश कुमार ढींगरा) और निशा ढींगरा और अमित ढींगरा शाखाः लाजपत नगर, नई दिल्ली	श्री सतीश कुमार ढींगरा श्रीमती निशा ढींगरा श्री अमित ढींगरा	आवासीय डीडीए सम्पत्ति जो पहली मंजिल के फ्लैट नंबर एल-38 है जिसका सुपर कवर एरिया 255.5 वर्ग फीट है, जो थ्री स्टोरी बिल्डिंग से बाहर, पुरानी डबल स्टोरी में ब्लॉक-एल, मेन रोड कॉलोनी जानकारी में, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली (फ्रीहोल्ड)	फिजिकल स्थिति	रु. 74.60 लाख+ब्याज और अन्य खर्च बैंक का बकाया वसूली	बैंक को ज्ञात नहीं है।	32.70 लाख रुपये	रू.3.27 लाख / रू.0.20 लाख
3	मैसर्स एम.के.ट्रेडिंग कम्पनी (प्रोप. श्री जय किशन बसोया) शाखाः लाजपत नगर, नई दिल्ली	गारंटरः श्री विजय पाल पुत्र धर्म पाल बंधककर्ताः श्री जय किशन पुत्र गोपी राम	संपत्ति बियरिंग संख्या 382-ए, मापने वाली भूमि पर 65 वर्ग गज(लगभग) खसरा नम्बर-541/197 का बाहर, खाता नं-99, खेवट नं-36, गांव जोर बाग, जिसे ट्री नगर के रूप में जाना जाता है, नई दिल्ली। क्षेत्रफल 65 वर्ग गज, पूरी चार मंजिला ईमारत।	फिजिकल स्थिति	58.76 लाख रुपये + ब्याज और अन्य खर्च सभी खातों में बैंक के बकाये की वसूली	बैंक को ज्ञात नहीं है।	65.00 लाख रुपये	रू.6.50 लाख / रू.0.20 लाख
4	श्री जलज श्रीवास्तव और श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव शाखाः ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	श्री जलज श्रीवास्तव, श्री पंकज श्रीवास्तव	फ्लैट नम्बर-जी.एम.-1, ग्राउंड फ्लोर , प्लॉट नबंर-45, सेक्टर-5, राजेन्दर नगर, साहिबाबाद, जिला- गाजियाबाद -201005, जिसका क्षेत्रफल 700 वर्ग फुट है।	फिजिकल स्थिति	रूपये 14.85 लाख + ब्याज और अन्य व्यय तक बैंक का बकाया	बैंक को ज्ञात नहीं है।	21.42 लाख रुपये	रू.2.15 लाख / रू.0.10लाख
5	मैसर्स नॉर्थ स्टार कैनवास (पार्टनर्सः श्री मनोज शर्मा और श्री नितिन मोदवाल) शाखाः दक्षिण एक्स, नई दिल्ली	श्री मनोज शर्मा, श्री नितिन मोदवाल मैसर्स शशि एसोसिएट्स, प्रोपराइटर सुश्री शशि बाला रावल श्री बालकिशन सिनसिनवार पुत्र स्वर्गीय	आवासीय संपत्ति सं. 74-75, मोहल्ला मढैया सुखलाल सिंह, पिलखुवा, परगना-डासना और तहसील-हापुड़, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245101, जिसका क्षेत्रफल 233.50 वर्ग गर्ज है।	रचनात्मक कब्जा	रूपये 205.47 लाख+ब्याज और अन्य। बैंक के बकाए की वसूली तक खर्च	बैंक को ज्ञात नहीं है।	15.80 लाख रुपये	रू.1.58 लाख / रू.0.10 लाख
6	मैसर्स राजू एडवरटाइजिंग एजेंसी, प्रो. श्रीमती सरिता सिनसिनवार शाखाः द्वारका 12 बी नई दिल्ली	श्री बिहारी लाल सिनसिनवार (गारंटर और बंधककर्ता)	संपत्ति बियरिंग मुनिसिपल संख्या 7726/17 और 7726/18 ग्राउंड फ्लोर पर बिना छत के अधिकार के 70 वर्ग मीटर भूमि के साथ। वार्ड नंबर-12, फशीह बिल्डिंग, रोशनारा रोड, क्लॉक टॉवर, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007	फिजिकल स्थिति	रुपये 58.91 लाख + ब्याज और बैंक के बकाए कीउवसूली तक अन्य खर्च	बैंक को ज्ञात नहीं है।	38.95 लाख रुपये	रू.3.90 लाख / रू.0.20 लाख
7	मैसर्स झा मेडिसिन कंपनी प्रो. श्री रमेश झा पुत्र श्री इंद्रदेव झा शाखाः कृष्णा नगर, नई दिल्ली	श्री सुनील गोयल श्रीमती आभा गोयल पत्नी श्री सुनील गोयल (बंधककर्ता)	दो कार्यालय, जिसकी निजी संख्या 28 और 29, जिसका क्षेत्रफल 410 वर्ग फीट, आईई. 45.55 वर्ग प्लिंथ/कवर्ड एरिया की माप 38.089 वर्ग मीटर है, जो पहली मंजिल पर बिना छत के अधिकार तक केवल छत का स्तर। संपत्ति का वह हिस्सा बियरिंग नंबर ए-215, खसरा नंबर 80 के बाहर, गांव शकरपुर खास, इल्लाका शाहदरा, दिल्ली 110092 साथ-साथ, अविभाजित, अभाज्य और प्रतिरूप स्भूमि का स्वामित्व अधिकार।	फिजिकल स्थिति	रुपये 70.15 लाख + ब्याज और अन्य खर्च तक बैंक का बकाया वसूली	बैंक को ज्ञात नहीं है।	35.50 लाख रूपये	रू.3.55 लाख / रू.0.20 लाख
8	श्री सौमेन रायें चौधरी (कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से मृतक) पुत्र स्वर्गीर्य श्री धीरेंद्र नाथ रायें शाखाः तुगलकाबाद नई दिल्ली	श्री बिजॉय कृष्ण बसाक, श्री सब्रुतो सिन्हा, श्री सौमेन रायें चौधरी (कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से मतृक) (बधंककर्ता)	वह सम्पत्ति जो फ्लैट प्राइवेट नंबर 2, पहली मंजिल, संपत्ति नंबर 177-ए, वार्ड नंबर 2, खसरा नंबर 1151/3, महरौली, नई दिल्ली -110030, जिसका क्षेत्रफल लगभग 72 वर्ग गज आईई 650 वर्ग फीट।	फिजिकल स्थिति	रुपये 7.18 लाख + ब्याज और अन्य खर्च तक बैंक का बकाया वसूली	बैंक को ज्ञात नहीं है।	16.72 लाख रुपये	रू.1.68 लाख / रू.0.10 लाख

ईएमडी राशि के साथ प्रक्रिया अनुपालन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि और समय	17.08.2019 को शाम 5.00 बजे तक।
ई-नीलामी की तिथि और समय	19.08.2019 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच। 10 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ।
अधिक जानकारी और नियम और शर्तों के लिए, संपर्क करें: ए) सीरियल नम्बर-1 में उल्लेखित सम्मपत्ति के लिए- मुख्य प्रबंधक, एसएएम शाखा (फोन-011-23364381) बी) सीरियल नम्बर-2 और 3 में उल्लेखित सम्मपत्ति के लिए- मुख्य प्रबंधक, लाजपत नगर (फोन-011-24652014) सी) सीरियल नम्बर-4 में उल्लेखित सम्मपत्ति के लिए- मुख्य प्रबंधक, ग्रीन पार्क (फोन-011- 26102973) डी) सीरियल नम्बर-5 में उल्लेखित सम्मपत्ति के लिए- मुख्य प्रबंधक, दक्षिण पूर्व शाखा (फोन-011-24625093 ई) सीरियल नम्बर-6 में उल्लेखित सम्मपत्ति के लिए- वरिष्ठ प्रबंधक, द्वारका 12बी (फोन-011-28035024) एफ) सीरियल नम्बर-7 में उल्लेखित सम्मपत्ति के लिए- वरिष्ठ प्रबंधक, कृष्णा नगर (फोन-011-28035024) जी) सीरियल नम्बर-8 में उल्लेखित सम्मपत्ति के लिए- वरिष्ठ प्रबंधक, तुगलकाबाद (फोन-011-28035024) ई-मेल- zo.del_recovery@allahabadbank.in	न्यूनतम बोली वृद्धि की राशि ऊपर बताई गई है। अधिक जानकारी और नियम और शर्तें डाउनलोड करने के लिए, कृपया यहां जाएं: (i) https://www.allbankcare.in/alb1/APPS/sale/frm_notice_view.aspx (ii) https://www.eprocure.gov.in/epublish/app (iii) https://www.bankeauctionwizard.com. (iv) https://ibapi.in

(प्रधान कार्यालयः 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001)

दिनांकः 30.07.2019 स्थान- नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अलकायदा प्रतिबंध समिति का खुलासा

अलकायदा कमजोर नहीं हुआ, लश्कर से सहयोग जारी

पाकिस्तान से संचालित हो रहे लश्कर व हक्कानी नेटवर्क, तालिबान के लिए काम कर रहा है अलकायदा

संयुक्त राष्ट्र, 30 जुलाई (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी संगठन अलकायदा कमजोर नहीं पड़ा है और पाकिस्तान से संचालित लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क आदि आतंकी गुटों के साथ उसका सहयोग का सिलसिला जारी है। हालांकि उसके सरगना अयमन मुहम्मद अल-जवाहिरी की सेहत और उसके बाद संगठन के काम करने के तरीके को लेकर संदेह बरकरार है।

ये खुलासे विश्लेषणात्मक समर्थन व प्रतिबंध निगरानी टीम की 24वीं रिपोर्ट में हुए हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अलकायदा प्रतिबंध समिति को इस माह सौंपी गई। प्रतिबंध निगरानी टीम इस्लामिक स्टेट, अलकायदा व संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों व कंपनियों पर सुरक्षा परिषद को हर छह महीने में स्वतंत्र रिपोर्ट सौंपती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'अलकायदा कमजोर नहीं पड़ा है। हालांकि उसके आका अयमन मुहम्मद रबी अल-जवाहिरी की सेहत, उसके जीवनकाल और उसके बाद संगठन के काम करने के तरीके को लेकर संदेह बरकरार है।' इसमें कहा गया कि अलकायदा अफगानिस्तान को अपने नेतृत्व के लिए सुरक्षित पनाहगाह मानता रहा है और इसके लिए वह तालिबान के साथ अपने लंबे व मजबूत संबंधों पर निर्भर रहता है। तालिबान के आश्रय के तहत अलकायदा बदख्शां प्रांत, खास कर ताजिकिस्तान के साथ लगने वाले शिगनान इलाके के साथ ही पकतिका प्रांत के बारमल में अपनी मौजूदगी मजबूत करने का इच्छुक है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'अलकायदा का लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के साथ करीब से सहयोग करना जारी है। अलकायदा के सदस्यों का तालिबान के लिए सैन्य व धार्मिक निर्देशकों के तौर पर नियमित रूप से काम करना जारी है।'

खबर कोना

श्रीलंका के मुसलिम मंत्री फिर से सरकार में शामिल

कोलंबो, 30 जुलाई (भाषा)।

श्रीलंका में ईस्टर के दिन बम हमले के बाद इस्तीफा देने वाले चार मुस्लिम मंत्री फिर से सरकार में शामिल हो गए हैं। जांच में इन मंत्रियों के स्थानीय इस्लामी चरमपंथी समूहों के साथ कथित संलिप्तता नहीं पाए जाने के बाद मंत्री सरकार में शामिल हुए। बम हमले में 258 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने सोमवार रात श्रीलंका मुसलिम कांग्रेस के रउफ हाकिम और ऑल सीलोन मक्कल कांग्रेस के रिशाद बदीयुद्दीन को शपथ दिलाई। उनके साथ दो और मुस्लिम मंत्रियों ने भी शपथ ली जिनमें एक राज्यमंत्री और एक उपमंत्री हैं। ये मंत्री उन नौ सांसदों में शामिल थे जिन्होंने जून की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था।

कमला की नई स्वास्थ्य योजना की चौतरफा निंदा

वाशिंगटन, 30 जुलाई (एपी)।

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदारों में शामिल डेमोक्रेट कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के भिन्न धड़ों को एक साथ लाने के प्रयास के तहत सोमवार को एक 'स्वास्थ्य सेवा' प्रस्ताव सबके सामने रखा। हालांकि उनकी यह कोशिश रंग नहीं लाई और इसके उलट उन्हें लगभग सभी की आलोचना का शिकार होना पड़ा। प्रगतिशीलों ने इस प्रस्ताव को स्वास्थ्य लाभ सुविधाओं में नयापन लाने के लिहाज से कमजोर पाया जिसमें सभी के लिए चिकित्सा कानून की बात का अभाव दिखा।

पाकिस्तान में हादसा

रावलपिंडी में मंगलवार को पाकिस्तान सेना का विमान गिरने से मारे गए एक व्यक्ति का शव लेकर जाते बचावकर्मी। पाकिस्तान सेना ने विमान दुर्घटना के कारण का खुलासा नहीं किया है।

पाकिस्तान सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 19 लोगों की मौत

इस्लामाबाद, 30 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तानी सेना का छोटा विमान छावनी शहर रावलपिडी के आवासीय इलाके में सोमवार देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पांच सैन्यकर्मियों समेत 19 व्यक्तियों की मौत हो गई।

- 14 आम नागरिकों की व चालक दल के पांच सदस्यों की मौत
- चालक दल के सभी पांच सदस्यों की मौत

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सिंवसेज पब्लिक रिलेशंस (आइएसपीआर) ने कहा कि नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान पाकिस्तानी सेना का यह विमान मोरा कालू गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 14 आम नागरिकों और चालक दल के पांच सदस्यों की मौत हो गई।

दुर्घटना में पांच से छह घर तबाह हो गए। सेना ने बताया कि दो पायलट समेत चालक दल के सभी पांच सदस्यों की मौत हो गई। रावलपिंडी के जिला आयुक्त अली रंधावा ने मीडिया को बताया कि यह दुर्घटना सोमवार देर रात ढाई से पौने तीन बजे के बीच उस समय हुई जब प्रशिक्षण उड़ान के दौरान छोटा सैन्य विमान रावलपिंडी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

आइएसपीआर ने कहा कि बचावकर्मियों ने दुर्घटना के कारण लगी आग बुझाई और घायलों को रावलपिंडी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया है। ज्यादातर लोग बुरी तरह जल चुके हैं। दुर्घटना के कारणों का अब भी पता नहीं चल सका है और राहत व बचाव कार्य सुबह तक पूरा कर लिया गया। विमान जिस गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वह बाहरिया नगर के रिहायशी इलाके के पास स्थित है। लोगों ने जलते घरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और प्रधानमंत्री इमरान खान ने विमान हादसे में मारे गये लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विमानन सुरक्षा मामले में पाकिस्तान का रेकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है।

साल 2016 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एअरलाइंस (पीआइए) का एक विमान ऐबटाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हो कर जल गया था। इसमें लोकप्रिय पॉप गायक से इस्लामी उपदेशक बने जुनैद जमशेद, उनकी पत्नी और चित्राल के उपायुक्त ओसामा वराइच समेत 48 लोग सवार थे। वहीं, 2012 में भोज एअरलाइन का विमान बोइंग 737 लैंडिग से ठीक पहले इस्लामाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें 121 यात्रियों समेत चालक दल के छह सदस्य सवार थे।

हैती में तैनात भारतीय शांतिरक्षक बहादुरी के लिए सम्मानित

संयुक्त राष्ट्र, 30 जुलाई (भाषा)।

हैती में एक दशक से अधिक समय से तैनात भारतीय शांतिरक्षकों को उनकी अनुकरणीय सेवाओं और पेशेवर दक्षता के लिए बहादुरी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मिशन अक्तूबर में समाप्त हो रहा है और हैती पुलिस की मदद कर रहे शांतिरक्षक अब वापस लौट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मिशन फॉर जस्टिस सपोर्ट इन हैती (एमआइएनयूजेयूएसटीएस) के साथ तैनात इंडियन फॉर्मेड पुलिस यूनिट (एफपीयू) में असम राइफल्स के 140 कर्मी हैं।

कैरेबियाई देश में भारतीय दल का अंतिम अभियान पूरा होने के बाद 140 शांतिरक्षकों में से 126 अधिकारी 21 जुलाई को हैती से विदा हो गए थे। शेष 14 भारतीय अधिकार तीन अगस्त को वहां से रवाना होंगे।

भारतीय एफपीयू कमांडर कर्नल छत्तर सिंह ने कहा, 'हैती में तैनात भारतीय शांतिरक्षकों ने बेहतरीन सेवाएं दीं। हमने हैती पुलिस की मदद की और संयुक्त अभ्यासों के जरिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया। पुलिस आयुक्त सहित हैती कर्मियों ने हमारे काम की सराहना की है।' हैतीयन नेशनल पुलिस के प्रतिनिधियों और एमआइएनयूजेयूएसटीएच के पुलिस घटक की उपस्थिति में इस महीने की शुरुआत में आयोजित समापन समारोह में 140 भारतीय शांतिरक्षकों को सम्मानित किया गया था।

भारतवंशी अरबों डॉलर की फर्जी योजना का दोषी

न्यूयार्क, 30 जुलाई (भाषा)।

अमेरिका में आइटी सलाहकार के तौर पर काम करने वाले भारतीय मूल के एक व्यक्ति को कई अरब डॉलर की फर्जी योजना चलाने का दोषी पाया गया है और उसे इसके लिए उसे कम से कम 20 साल कैद की सजा हो सकती है। न्यू जर्सी में रहने वाले शिवानंद महाराज को ई-मेल धोखाधड़ी और कर्मचारियों के लाभ के लिए बनाई गई योजना के संचालन को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देने का दोषी पाया गया है। इस मामले में कम से कम 25 साल कैद की सजा हो सकती है। न्यूयॉर्क के लिए अमेरिकी अभियोजक जियोफ्री बेर्मान ने कहा कि उसे दिसंबर में सजा सुनाई जाएगी।

हत्या के आरोपी किशोर पर चलेगा वयस्क की तरह मामला

डलास, 30 जुलाई (एपी)।

टेक्सास की न्यायाधीश ने महिला की हत्या करने व डलास और लुइसियाना में कम से कम चार अन्य से बलात्कार करने के आरोपी 16 साल के किशोर पर वयस्क के समान मामला चलाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि लोगों को असल में किशोर से ही बचाए जाने की जरूरत है।

डलास काउंटी की किशोर मामलों की जज एंड्रिया मार्टिन लेन ने 'द डलास मॉर्निंग न्यूज' को बताया कि उनका दृष्टिकोण किशोर अपराधियों के पुनर्वास का रहता है लेकिन उन्होंने कहा कि लेनारियो जार्विस वाशिंगटन के खिलाफ आरोप इतने गंभीर हैं कि उसके खिलाफ एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का आदेश देना पड़ा। न्यायाधीश ने बुधवार को वाशिंगटन को वयस्क के रूप में प्रमाणित किया। उस पर हत्या व निर्ममता से किए गए यौन हमलों के आरोप हैं। उन्होंने अखबार को बताया, 'मैं आमतौर पर इस तरह प्रमाणित नहीं करती हूं। अगर उनके पास सुधरने का मौका है तो सबसे अधिक संभावना है कि मैं उन्हें मौका दूंगी।' यदि वाशिंगटन वयस्क के रूप में दोषी पाया जाता है तो उसे गंभीर सजा भुगतनी पड़ सकती है।

अपने ही दो बच्चों को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला, गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 30 जुलाई।

मंगलवार को देहरादून जिले के डोईवाला क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक ने अपने ही दो बच्चों को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

हादसा मंगलवार तड़के डोईवाला के नागल ज्वालापुर गांव में हुआ। इस गांव की बोक्सा बस्ती में रहने वाले राम सिंह ने एकाएक अपने ही बीवी-बच्चों पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। इस हमले में उसके दो बच्चे- छह साल की बेटी मुस्कान और आठ साल के बेटे विनय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी दूसरी बेटी भूमिका और पत्नी रीना गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें गंभीर अवस्था में देहरादून के जौलीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

घटना को अंजाम देने के बाद राम सिंह ने पंखे से लटक कर आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन गांव वालों ने खिड़की की जाली तोड़ कर उसे बचा लिया। देहरादून की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती ने बताया कि हत्यारा राम सिंह पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। पुलिस मामले की जांच करा रही है। हत्यारे राम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ग्राम नांगल ज्वालापुर के प्रधान प्रदीप कुमार ने बताया कि इस हादसे के पीछे जमीन बेचने को कारण बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार की देर रात घर का दरवाजा बंद करके राम सिंह ने अपने बीवी-बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद उसने खुद भी फांसी लगा कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, पर गांव वालों ने उसे बचा लिया।

गांव के लोगों ने जब चीख-पुकार सुनी तो खिड़की तोड़कर उसके घर घुसे तो वहां चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था और राम सिंह के दो बच्चे दम तोड़ चुके थे। उसकी दूसरी बेटी और पत्नी खून से लथपथ थे। दोनों को गांव वाले तुरंत अस्पताल ले गए। साथ ही लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र का माहौल गमगीन है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती ने दलबल के साथ मौका मुआयना किया।

राजस्थान : 'घृणा अपराध' के मामलों में उम्रकैद का प्रस्ताव

जयपुर, 30 जुलाई (भाषा)।

राजस्थान सरकार ने भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जाने वाली हत्या (मॉब लिंचिंग) की घटनाओं पर रोकथाम के प्रयासों के तहत राजस्-थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 मंगलवार को विधानसभा में पेश किया, जिसमें ऐसी घटनाओं में पीड़ित की मौत पर दोषी को कठोर आजीवन कारावास व एक से पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि 'मॉब लिंचिंग' के मामलों में पीड़ित के चोट लगने की स्थिति में दोषी को अधिकतम 10 साल तक का कारावास व तीन लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। इसके अनुसार, मॉब लिंचिंग की घटनाओं का षड्यंत्र रचने, षड्यंत्र रचने में शामिल होने या घटना में शामिल होने पर भी 10 साल जेल की सजा का प्रावधान होगा।

विधेयक के अनुसार, 'मॉब' से आशय दो या दो व्यक्तियों के समूह से है। वहीं 'लिंचिंग' से आशय धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, आहार व्यवहार, राजनीतिक संबद्धता व नस्ल के आधार पर मॉब द्वारा किसी तरह की हिंसा करने, हिंसक कृत्य में सहायता करने, उसके लिए उकसाने या हिंसा के प्रयास आदि से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 जुलाई को बजट भाषण के जवाब के दौरान 'मॉब लिंचिंग' और 'आनॅर किलिंग' को रोकने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी।

'टीपू जयंती' समारोह रद्द किया येदियुरप्पा सरकार ने

बंगलुरु, 30 जुलाई (भाषा)।

मैसूर साम्राज्य के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान की जयंती पर होने वाले वार्षिक समारोह को कनार्टक की भाजपा सरकार ने मंगलवार को रद्द कर दिया। कांग्रेस शासन के दौरान शुरू हुए इस समारोह का आयोजन 2015 से हो रहा था।

बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली नई सरकार ने सत्ता में आने के तीन दिन के भीतर टीपू जयंती समारोह को रद्द करने से संबंधित आदेश पारित किया। भाजपा और दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के बीच सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2015 में टीपू जयंती के अवसर पर 10 नवंबर को वार्षिक समारोह के आयोजन की शुरुआत की थी। एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जद (एस) की गठबंधन सरकार ने भी इसे जारी रखा।

आधिकारिक आदेश के अनुसार विराजपेट के विधायक केजी बोपैया ने येदियुरप्पा को पत्र लिख कर राज्य के कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग द्वारा टीपू जयंती पर आयोजित किए जाने वाले वार्षिक समारोहों को रद्द करने का अनुरोध किया। पत्र में उन्होंने ऐसे समारोह को लेकर विशेषकर कोडागू जिले में होने वाले विरोध की ओर ध्यान आकृष्ट किया। विधायक ने कहा था कि विगत में समारोह के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई हैं और इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए।

भाजपा और दक्षिणपंथी संगठन टीपू को 'धार्मिक कट्टरपंथी' बताते हुए जयंती समारोहों का कड़ा विरोध करते रहे हैं, जिसके कारण अधिकारी हर साल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन कराते थे। इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि टीपू कोई ऐसी शख्सियत नहीं थे जो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के थे, बल्कि वे तो मैसूर के राजा थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे एक महान देशभक्त थे।

उन्होंने कहा कि टीपू ने तत्कालीन मैसूर राज्य के विकास के लिए काम किया। केआरएस बांध की नींव उनके ही शासन में रखी गई थी और उन्होंने उद्योगों, कृषि तथा कारोबार के विकास के लिए भी काम किया था। सिद्धरमैया ने कहा, '...चूंकि वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इसी मंशा से हमने इसे (जयंती) मनाने का फैसला किया था।'

टीपू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कट्टर शत्रु माने जाते थे। मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में अपने किले को बचाने के क्रम में ब्रिटिश बलों के खिलाफ लड़ते हुए उनकी मौत हो गई थी।

चंदौली : आग के हवाले किए गए किशोर की मौत

चंदौली (उ.प्र.), 30 जुलाई (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में कथित तौर पर 'जय श्रीराम' नहीं बोलने पर आग के हवाले किए गए 17 वर्षीय किशोर की मंगलवार को मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया है।

सैय्यद राजा क्षेत्र निवासी मोहम्मद खालिद ने आरोप लगाया था कि 'जय श्रीराम' नहीं बोलने की वजह से रविवार को चार लोगों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। खालिद 50 फीसद जल गया था और उसे एक निकटतम अस्पताल में भर्ती किया गया था। मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। चंदौली के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि किशोर तीन बार अपना बयान बदल चुका था। सिंह ने कहा, 'उसने अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जवाब दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे ध्यान खींचने के लिए यह बोलने को सिखाया गया था।'

स्टर्लिंग बॉयोटेक धोखाधड़ी मामले में अहमद पटेल के दामाद से पूछताछ

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की दवा कंपनी स्टर्लिंग बॉयोटेक के खिलाफ करोड़ों रुपए की बैंक धोखाधड़ी व धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी का बयान लिया।

अधिकारियों ने बताया कि सिद्दीकी का बयान धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया। इससे पहले उनसे यहां प्रवर्तन निदेशालय के एक कार्यालय में वडोदरा की इस कंपनी के मालिक व प्रवर्तक संदेसरा बंधुओं से तार जुड़े होने के आरोप में पूछताछ की गई थी। ऐसा समझा जा रहा है कि सिद्दीकी ने संदेसरा समूह के पूर्व कर्मचारी सुनील यादव के बयान का प्रतिवाद किया है।

यादव ने इससे पहले एजेंसी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संदेसरा बंधुओं ने पटेल के दामाद को बहुत अधिक मात्रा में नकदी सौंपी थी। ईडी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक आवासीय संपत्ति पर सिद्दीकी के तथाकथित कब्जे के आरोप की भी जांच कर रही है। इस संपत्ति को कथित तौर पर संदेसरा बंधुओं ने खरीदा था। दिल्ली के कारोबारी गगन धवन के साथ उनके रिश्तों की भी केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है।

पुलिस-फौज में महिलाओं की पोशाक बदलने का मुद्दा रास में उठा | **बदलाव की वर्दी** | **कद-काठी पर सवाल उठाने पर महिला सांसदों ने जताया विरोध**

सफारी और सलवार-कमीज को मिले वर्दी का दर्जा

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

राज्यसभा में भाजपा के सदस्य डीपी वत्स ने मंगलवार को उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान पुलिस और फौज में तैनात महिला कर्मियों की वर्दी को उनके काम के लिहाज से असुविधाजनक बताते हुए इसमें बदलाव करने की मांग की।

वत्स ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सुरक्षा सेवा में महिला कर्मियों को पैंट, बेल्ट और शर्ट पहनना पड़ती है। साथ ही शर्ट को पतलून और बेल्ट के भीतर दबाना होता है। यह बेहद असुविधाजनक है, खासकर गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद। महिला कर्मियों को इस प्रकार की वर्दी पहनने से खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

वत्स ने हालांकि भारतीय महिलाओं की 'कद-काठी' इस ड्रेस के मुताबिक नहीं होने की भी दलील दी। इस पर कुछ विपक्षी दलों की महिला सांसदों ने आपत्ति दर्ज कराई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस आपत्ति को यह कह कर खारिज कर दिया कि शून्यकाल में किसी सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सदस्य अपनी सहमति और असहमति दर्ज करा सकते हैं लेकिन किसी सदस्य को उनकी मर्जी के मुताबिक बोलने के लिए निर्देश नहीं दे सकते हैं। वत्स ने सरकार को महिलाओं की गरिमा और कामकाज की सहूलियत के मुताबिक वर्दी के तौर पर सफारी सूट या सलवार कमीज पहनने का विकल्प देने का सुझाव दिया। उन्होंने विशेष सुरक्षा बल (एसपीजी) और संसद की सुरक्षा में तैनात महिला कर्मियों की ड्रेस में सफारी सूट होने को बेहतर उदाहरण बताया।

- सुरक्षा सेवा में महिला कर्मियों को पैंट, बेल्ट और शर्ट पहनना पड़ती है। साथ ही शर्ट को पतलून और बेल्ट के भीतर दबाना होता है। यह बेहद असुविधाजनक होती है खासकर गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद। महिला कर्मियों को इस प्रकार की वर्दी पहनने से खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

डीपी वत्स, राज्यसभा सांसद (भाजपा)

वत्स ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की मुहिम में बेटियों के कामकाज को गरिमामय और सहूलियत भरा बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि यद्यपि सैन्यबलों ने महिला कर्मियों को साड़ी का विकल्प मुहैया कराया है लेकिन उनका मानना है कि परेड के लिहाज से यह असुविधाजनक हो सकता है।

वत्स ने कहा कि महिलाकर्मियों की कद-काठी को मौजूदा वर्दी के लिहाज से उपयुक्त नहीं बताए जाने के बयान से अगर किसी सदस्य की भावनाएं आहत हुई हों तो वे इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। वत्स ने साफ किया कि उनका मकसद महिला कर्मियों की सहूलियत और कामकाज को गरिमामय बनाने का सुझाव देना था।

पृथ्वी 8 माह के लिए निलंबित

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

भारत के प्रतिभाशाली सलामी बल्लेबाज पृथ्वी साव को डोपिंग परीक्षण में नाकाम रहने के कारण मंगलवार को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आठ महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।

बीसीसीआइ ने विज्ञप्ति में कहा कि साव ने अनजाने में प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया। यह पदार्थ आमतौर पर खांसी की दवा में पाया जाता है। साव का प्रतिबंध पूर्व से प्रभावी माना गया है जो कि जो 16 मार्च 2019 से शुरू होकर 15 नवंबर 2019 तक चलेगा। साव के अलावा दो अन्य घरेलू खिलाड़ियों विदर्भ के अक्षय दुलारवर और राजस्थान के दिव्य गजराज को भी क्रिकेट बोर्ड की डोपिंग रोधी संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया। साव ने बीसीसीआइ के डोपिंग रोधी परीक्षण कार्यक्रम के तहत 22 फरवरी 2019 को इंदौर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान मूत्र का नमूना उपलब्ध कराया था। परीक्षण के बाद उनके नमूने में 'टरबुटैलाइन' पाया गया। बीसीसीआइ विज्ञप्ति में कहा गया है, टरबुटैलाइन वाडा की प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में है और इसे प्रतियोगिता के दौरान या इससे इतर नहीं लिया जा सकता है। बोर्ड ने कहा, मुंबई क्रिकेट संघ के साथ पंजीकृत पृथ्वी साव को डोपिंग में पकड़े जाने के कारण निलंबित कर दिया गया है।

'टरबुटैलाइन' को अमूमन सांस संबंधी समस्या के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है और अगर कोई खिलाड़ी उपचार के लिए छूट संबंधी प्रमाणपत्र पूर्व में ले लेता है तो वह इसे ले सकता है। साव ने ऐसा प्रमाणपत्र नहीं लिया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2018 में दो टैस्ट मैच खेलने वाले 19 वर्षीय साव इससे पहले रिपोर्टों के अनुसार कूल्हे की चोट के कारण भारत 'ए' टीम के कैरेबियाई दौरे से हट गए थे। साव ने अब तक दो टैस्ट मैचों में 237 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक दर्ज है। साव ने पिछले साल वेस्ट इंडीज के खिलाफ पदार्पण टैस्ट मैच में ही शतक लगाया था लेकिन आस्ट्रेलिया दौरे के शुरू में ही अभ्यास मैच के दौरान चोटिल होने के कारण वह आगे कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाए थे। वह कूल्हे की चोट के कारण अभी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी से जुड़े हैं लेकिन बीसीसीआइ के बयान से संकेत मिलते हैं कि परीक्षण में नाकाम रहने के कारण वह मुंबई प्रीमियर लीग से हट गए थे।

डोप परीक्षण में नाकाम रहने पर 16 मार्च से 15 नवंबर तक किया गया प्रतिबंधित

डोपिंग रोधी परीक्षण कार्यक्रम के तहत 22 फरवरी 2019 को इंदौर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान मूत्र का नमूना उपलब्ध कराया था। नमूने में 'टरबुटैलाइन' पाया गया

बीसीसीआइ विज्ञप्ति में कहा गया है, टरबुटैलाइन वाडा की प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में है और इसे प्रतियोगिता के दौरान या इससे इतर नहीं लिया जा सकता है।

इस खबर ने मुझे झकझोर दिया : साव

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

भारत के प्रतिभाशाली सलामी बल्लेबाज पृथ्वी साव ने डोपिंग परीक्षण में नाकाम रहने के बाद मंगलवार को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आठ महीने के लिए प्रतिबंधित किए जाने की सजा स्वीकार करते हुए कहा कि इस खबर ने उन्हें झकझोर दिया है लेकिन वह और मजबूत होकर वापसी करेंगे।

साव ने ट्वीट किया, मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस फैसले को स्वीकार करता हूं। मैं अभी पिछले टूर्नामेंट में लगी चोट से उबर रहा है और इस खबर ने मुझे झकझोर दिया है। बीसीसीआइ ने विज्ञप्ति में कहा कि साव ने अनजाने में प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया। यह पदार्थ आमतौर पर खांसी की दवा में पाया जाता है। साव ने कहा, मुझे इसे सबक के तौर पर लेना होगा और उम्मीद है कि यह हमारी खेल बिरादरी में दूसरों को प्रेरित करेगा। हम खिलाड़ियों को बीमार होने पर किसी भी दवा को लेने में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, भले ही दवा काउंटर पर उपलब्ध हो और हमें हमेशा इसकी जरूरत हो तो भी प्रोटोकॉल का पालन करें।

एस रवि के बाहर होने से एलीट पैनल में कोई भारतीय अंपायर नहीं

दुबई, 30 जुलाई (भाषा)।

सुंदरम रवि को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के अंपायरों के अमीरात आइसीसी एलीट पैनल से बाहर कर दिया गया है जिसके बाद अब इसमें कोई भारतीय अंपायर नहीं बचा है। आइसीसी ने इंग्लैंड के माइकल गफ और वेस्ट इंडीज के जोएल विल्सन को वार्षिक समीक्षा और चयन प्रक्रिया के बाद 2019-20 सत्र के लिए अंपायरों के अमीरात आइसीसी एलीट पैनल में शामिल किया है।

मैदानी और टेलीविजन अंपायर के तौर पर 53 साल के रवि का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा था और कई बार उनके फैसलों पर सवाल भी उठा। अंपायरों की एलीट पैनल से उनके बाहर होने के बाद भारतीय अंपायरों का खराब स्तर भी सामने आ गया। रवि ने एशेज सहित 33 टैस्ट, 48 एकदिवसीय और 18 टी-20अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की है। उन्होंने विश्व कप और टी-20 विश्व कप में भी अंपायर की भूमिका निभाई है। गफ और विल्सन पहले अमीरात आइसीसी अंतरराष्ट्रीय पैनल के अंपायर थे। आइसीसी महाप्रबंधक (क्रिकेट) ज्योफ एलार्डिस, पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर, मैच रैफरी रंजन मदुगले और डेविड बून की चयन समिति ने दोनों को एलीट अंपायर पैनल के लिए चुना। इन दोनों अंपायरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंपायरिंग का अच्छा अनुभव है। गफ के पास नौ टैस्ट, 59 एकदिवसीय और 14 टी-20 अंतरराष्ट्रीय तथा विल्सन के पास 13 टैस्ट, 63 एकदिवसीय और 26 टी-20 आंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग का अनुभव है। इस पैनल में ए दोनों अंपायर इयान गाउल्ड और रवि की जगह लेंगे।

आलोचनाओं पर एमएसके प्रसाद ने कहा

यह गलतफहमी है कि आप ने ज्यादा खेला है तो समझदार हैं

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट टीम के राष्ट्रीय चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने मौजूदा चयन समिति में शामिल पूर्व खिलाड़ियों के औसत अंतरराष्ट्रीय रेकार्ड पर आलोचकों द्वारा लगातार निशाना साधे जाने पर मंगलवार को कहा कि वह इस बात को नहीं मानते अगर आपने अधिक मैच खेले हैं तो आपको ज्यादा ज्ञान होगा।

प्रसाद ने एजंसी को दिए साक्षात्कार में अपनी राय रखी जिसमें उन्हों अपने स्तर (महज छह टैस्ट मैच खेलने का) पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। उन पर पूर्व महान बल्लेबाज गावस्कर ने कमजोर चयनकर्ता होने का आरोप लगाया है। चयन समिति में शामिल पांच सदस्यों को कुल 13 टैस्ट मैचों का अनुभव है। जब प्रसाद से यह पूछा गया कि चयन समिति के कद और अनुभव को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। क्या इससे आप दुखी हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि चयनसमिति में शामिल सभी सदस्यों ने विभिन्न प्रारूपों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है जो हमारी नियुक्ति के समय बुनियादी मानदंड था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा हमने प्रथम श्रेणी के 477 मैच खेले हैं। आप लोगों ने मिलकर कुल 13 टैस्ट मैच खेले हैं जिस पर लोग सवाल उठाते हैं। इस सवाल पर प्रसाद ने कहा कि अगर कोई हमारे कद और अंतरराष्ट्रीय अनुभव पर सवाल उठा रहें तो उन्हें इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मौजूद चयन समिति के अध्यक्ष एड स्मिथ को देखना चाहिए जिन्होंने सिर्फ एक टैस्ट मैच खेले हैं।

दिग्गज सुनील गावसकर ने कमजोर चयनकर्ता होने का लगाया है आरोप

गावस्कर के नजरिए से असहमत हूं : मांजरेकर

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और चयन समिति को लेकर सुनील गावस्कर की आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति सम्मान के साथ असहमति जताते हुए कहा कि चयनकर्ता के स्तर से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण उसका ईमानदार होना है।

मांजरेकर ने ट्वीट किया, भारतीय चयनकर्ताओं पर और विराट कोहली को कप्तान बरकरार रखने पर गावस्कर सर के नजरिए से पूरे सम्मान के साथ अहसमत हूं। नहीं, विश्व कप में भारत का प्रदर्शन उम्मीद से खराब नहीं था।

प्रजनेश ने दुनिया के 67वें नंबर के खिलाड़ी मिलमैन को हराया

लास काबोस (मैक्सिको), 30 जुलाई (भाषा)।

भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने यहां एटीपी लास कोबोस टेनिस प्रतियोगिता में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया के 67वें नंबर के खिलाड़ी जान मिलमैन को हराया।

दुनिया के 90वें नंबर के खिलाड़ी प्रजनेश ने आस्ट्रेलिया के अपने प्रतिद्वंद्वी को सोमवार रात एक घंटे और 49 मिनट चले पहले दौर के मुकाबले में 6-4, 1-6, 6-2 से हराया। बाएं हाथ के खिलाड़ी प्रजनेश को मुकाबले के दौरान काफी मौके मिले। यह भारतीय खिलाड़ी 16 ब्रेक प्वाइंट में से पांच का फायदा उठाने में सफल रही। उन्होंने अपनी सर्विस पर सात में से तीन ब्रेक प्वाइंट बचाए भी। प्रजनेश को अगले दौर में दुनिया के 28वें नंबर के खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज का सामना करना पड़ सकता है जिन्होंने हाल में ईस्टबोर्न में ग्रास कोर्ट पर अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता।

इक्कीस साल के अमेरिकी खिलाड़ी फ्रिट्ज को पहले दौर में जर्मनी के क्वालीफायर डोमीनिक कोफर से भिड़ना है। युगल में हालांकि जीवन नेदुचेझियन और पूरव राजा की भारतीय जोड़ी को पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। भरतीय जोड़ी को लुकास पाउली और ग्रेगोएर बारेरे की जोड़ी ने 6-3, 6-3 से शिकस्त दी। दिविज शरण और जोनाथन एर्लिच की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत बेन मैकलाकलन और जान पैट्रिक स्मिथ की चौथी वरीय जोड़ी के खिलाफ करेगी।

सौरभ और साई उत्तेजिता राव थाईलैंड ओपन के मुख्य ड्रा में

बैंकाक, 30 जुलाई (भाषा)।

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों सौरभ वर्मा और साई उत्तेजिता राव ने मंगलवार को यहां क्वालीफाइंग दौर में अपने अपने मुकाबले जीतकर थाईलैंड ओपन में क्रम से पुरुष और महिला एकल के मुख्य ड्रा में जगह बनाई।

सौरभ ने पहले दौर में थाईलैंड के कंतावत लीलावेचाबुतर को 21-18, 21-19 से हराने के बाद क्वालीफाइंग के दूसरे दौर में चीन के झाउ झी की को कड़े मुकाबले में 11-21, 21-14, 21-18 से पराजित करके पुरुष एकल के मुख्य दौर में प्रवेश किया। झाउ ने भारत के अजय जयराम को 21-16, 21-13 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई थी। उत्तेजिता राव कनाडा की टैम ब्रिटनी के खिलाफ पहला गेम गंवाने के बाद जोरदार वापसी करते हुए 16-21, 21-14, 21-19 से जीत दर्ज करके महिला एकल के मुख्य ड्रा में पहुंचीं। पुरुष युगल में सात्विकसाइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने हमवतन मनु अत्री और बी सुमीत रेड्डी को 21-11, 24-26, 21-11 से हराया लेकिन महिला युगल में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी को चीन की लिन वेन मेइ और झेंग यु से 1-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा।

अंजुम मोदगिल ने जीता दूसरा स्वर्ण

नई दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा)।

विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता अंजुम मोदगिल ने अर्जुन बाबुता के साथ मिलकर 10 मीटर एअर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में सोने का तमगा जीता जो सरदार सज्जन सिंह सेठी मेमोरियल मास्टर्स निशानेबाजी प्रतियोगिता में उनका दूसरा स्वर्ण पदक है।

महिलाओं की 10 मीटर एअर राइफल में विश्व में आठवीं रैंकिंग की और ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय निशानेबाज मोदगिल ने सोमवार को विश्व रेकार्ड से बेहतर प्रदर्शन किया। मेहुली घोष को 1.7 अंक से हराकर महिला एअर राइफल का स्वर्ण पदक जीता। डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज पर इसके एक दिन बाद पंजाब की मोदगिल और अर्जुन की जोड़ी ने पश्चिम बंगाल की मेहुली और अभिनव साव की जोड़ी को 16-12 से हराकर सोने का तमगा हासिल किया। अयोनिका पाल और अखिल शेरोन ने इस स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। उन्होंने उत्तर प्रदेश की आयुषी गुप्ता और सौरव को 16-10 से हराया। दिन की अन्य स्पर्धाओं में ओलंपियन गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में 585 अंक बनाकर स्वर्ण पदक जीता। सीआरपीएफ की पुष्पांजलि राणा ने महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल जबकि उत्तर प्रदेश की अरुणिमा गौड़ ने जूनियर महिला स्पर्धा जीतीं।

पिल्ले महाराष्ट्र खेल पुरस्कार समिति के प्रमुख बने

मुंबई, 30 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार ने वार्षिक खेल पुरस्कारों के विजेताओं को चुनने के मानदंडों में सुधार करने के लिए पूर्व ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले को 11 सदस्यीय समिति अध्यक्ष नियुक्त किया है।

खेल मंत्री आशीष सेलार ने सोमवार को समिति का गठन किया जो 'शिवछत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार' पाने की श्रेणी में अधिक खेलों को शामिल करने का अध्ययन करेगी। पिल्ले की अध्यक्षता वाली समिति में अनुभवी बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर, पूर्व अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रदीप गंधे, बैडमिंटन कोच श्रीकांत वाड और निशानेबाज तेजस्विनी सावंत जैसे दिग्गज शामिल हैं।

Is your opinion yours?

Your opinion should belong to you.
A voice that is your own.
Because it's not about going where everyone goes.
Or being part of a trend because it is one.

It's about freedom.
The freedom to have an opinion that's yours.
At The Indian Express, we stand by this freedom.
We celebrate it by being fearless and independent.

#InformYourOpinion

The Indian Express.
For the Indian Intelligent.

indianexpress.com

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 255, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।